केवल कार्यालय प्रयोगार्थ

हिमाचल प्रदेश सरकार
जनजातीय विकास विभाग

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश

जनजातीय सलाहकार परिषद्

की

44वीं बैठक

का

कार्यवाही विवरण

जो दिनांक 29 जुलाई, 2015 को 11.00 बजे पूर्वाहन् कॉन्फ्रैंस हाल, आर्मजडेल भवन, शिमला में सम्पन्न हुई।

केवल कार्यालय प्रयोगार्थ

हिमाचल प्रदेश सरकार
जनजातीय विकास विभाग

हिमाचल प्रदेश

जनजातीय सलाहकार परिषद्

की

44वीं बैठक

का

कार्यवाही विवरण

जो दिनांक 29 जुलाई, 2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न कान्फ्रेंस हाल आर्मजडेल भवन में सम्पन्न हुई

विवरणी

पृ०सं०	भाग	मददें
1.	जनजातीय सलाहकार परिषद् की 43वीं बैठक की अनुवर्ती मदें	3–34
2.	जनजातीय सलाहकार परिषद् की 44वीं बैठक की कार्यसूची मदें	35–71
3.	हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की अनुसूचित क्षेत्रों बारे वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2013–14 एवं 2014–15	72

जन जातीय सलाहकार परिषद् की 43वीं बैठक की अनुवर्ती एवं 44वीं बैठक के लिए नई मदे व विशेष आमन्त्रितों से प्राप्त नई मदों का विभागवार ब्यौरा ।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अनुवर्ती मद्दें	नई मद्दें	
1	कार्मिक	42	42,58,59	(10)
2	राजस्व	24,	55,56	(12)
3	वन	15,16,17,18,19, 20,24,27	1,2, 3,4,5,6	(6)
4	लोक निर्माण	12,26,27,28,29, 30,31,32,33,34, 35,47,48	7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17,33	(2,9)
5	जन जातीय विकास	12	19,31,42	
6	विद्युत	26,36,37,38	12,43,44	(4)
7	हिम ऊर्जा		44	
8	स्वास्थ्य	1,2,3,4,5,6,7	41	(7,8)
9	आयुर्वेदा	2		
10	शिक्षा (उच्च)	8,10,11	32,33,34,35,36,37	(1,2)
11	शिक्षा (प्रारम्भिक)	8,9	31,36,37	
12	परिवहन		38,39,40	(5)
13	पंचायती राज	13,14	19,57	
14	पर्यटन	29		
15	वित्त	21	61	(11)
16	सहकारिता	21	60,61	
17	कृषि	22	20,21,22	
18	उद्यान	22,23	22,23	
19	महिला शिशु , अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास	25		
20	सीमा सड़क संगठन	31,32,35	8,11,16,17,18	
21	सामान्य प्रशासन	39,40,41	48,49,50	(3,4)
22	दूरसंचार	39,40,41	48,49,50	(3,4)
23	उद्योग	43,44	51,52,53,54	
24	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	45,46,47,48	24,25,26,27	
25	खाद्य एवं आपूर्ति	3,49,50	28,29,30	
26	लोक सम्पर्क	51		
27	सैनिक कल्याण विभाग	52		
28	गृह		45,46	
29	अग्निशमन		46	
30	योजना		62	
31	सूचना एवं प्रौद्योगिकी			(3)
32	उपायुक्त किन्नौर	38	47	
33	उपायुक्त चम्बा		47	
34	उपायुक्त लाहौल स्पिति		47	

जन–जातीय सलाहकार परिषद् की 44वीं बैठक के अवसर पर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का अध्यक्षीय भाषण ।

श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, माननीय वन मन्त्री हिमाचल प्रदेश, श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा, श्री रवि ठाकुर, माननीय विधायक लाहौल–स्पिति, जनजातीय सलाहकार परिषद् के सभी माननीय गैर सरकारी सदस्यगण, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व समस्त अधिकारीगण।

1. सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस परिषद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पहली बार चार महिलाओं को Special Invitee नामज़द किया । मैं सबसे पहले इन सभी Special Invitee महिलाओं को इस परिषद में नामज़द होने पर बधाई देता हूं और आज की बैठक में उनका स्वागत करता हूं।

2. जन–जातीय सलाहकार परिषद् का गठन भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के प्रावधान संख्या –4 के अन्तर्गत किया गया है । हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास में इस परिषद की अहम् भूमिका रही है । इस परिषद द्वारा जन जातीय क्षेत्रों के विकास तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के उत्थान हेतु नीतिगत मामलों पर सिफारिशें की जाती हैं, जिन पर सरकार गम्भीरता से विचार करती है । इस परिषद की सिफारिशों को सभी विभाग गम्भीरता से लेते हैं। इसके इलावा, माननीय सदस्यों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों व वहां के लोगों की समस्याएं इस परिषद की बैठक में उठाई जाती है जिससे सरकार को इन समस्याओं को समझने तथा तुरन्त इनका समाधान करने में बहुत मद्द मिलती है । अतः मैं माननीय सदस्यों को अवगत करना चाहूँगा कि जहां इस परिषद की सदस्यता आपको आदर व गरिमा प्रदान करती है वहीं आप पर एक जिम्मेवारी डालती है कि आप जन जातीय क्षेत्र से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय इस परिषद में उठायें ताकि उस पर चर्चा उपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके तथा सरकार जन जातीय लोगों के विकास व कल्याण के लिए उचित कदम उठाए । यह भी ध्यान रखे कि भविष्य में इन लोगों के कल्याण व उन्नति के लिये नीतिगत मामलों बारे प्रस्ताव ही बैठक में प्रस्तुत करें क्योंकि अन्य समस्याओं का समाधान Single Line Administration के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर सम्भव है ।

3. राज्य योजना की 9 प्रतिशत राशि जन–जातीय उप–योजना के लिये चिन्हित की जाती है, जिस कारण प्रदेश के जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में काफी सुधार हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर चालू वित्त वर्ष 2015–16 में योजना मद्द के अर्न्तगत मु0 446.97 करोड रूपये तथा गैर–योजना के अन्तर्गत मु0 537.55 करोड़ रूपये व्यय किये जा रहे है । इस वित्तीय वर्ष में भवन, सड़क व पुलों के निर्माण हेतु मु0 47.36 करोड़ रूपये, शिक्षा व

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मु0 68.01 करोड़ रूपये तथा सिंचाई एवं पेय जल योजनाओं के लिए मु0 36.63 करोड़ रूपये बजट में उपलब्ध करवाये गए हैं।

4. मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि समय–समय पर कॉंग्रेस की सरकार ने जन जातीय क्षेत्रों व जनजातीय लोगों के विकास हेतू कई अहम फैसले लिये हैं :

- राज्य योजना की 9 प्रतिशत राशि जन जातीय उप–योजना के अन्तर्गत चिन्हाकित करने का निर्णय सातवीं पंचवर्षीय योजना में लिया गया था जो आज भी जारी है ।
- जन जातीय उप–योजना के लिए वर्ष 1981–82 में अलग से मांग संख्या का सृजन किया गया था ।
- जन जातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए इन क्षेत्रों में वर्ष 1986 में इकहरी शासन प्रणाली (Single Line Administration)लागू की गई जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित उपायुक्तों/आवासीय आयुक्त/अति0 जिला दण्डाधिकारी को विभागाध्यक्षों की शक्तियां प्राप्त है ।
- सर्दियों में जन जातीय क्षेत्र भारी बर्फबारी के कारण अन्य क्षेत्रों से कट जाते हैं । इस आपातकाल के दौरान वहां फंसे मरीजों एवं लोगो को लाने व ले जाने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 1981–82 से हैलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जा रही है ।

5. जनजातीय क्षेत्र व इसके लोगों से मेरा विशेष लगाव रहा है। मैं लगातार इन क्षेत्रों का दौरा करता रहा हूँ तथा मेरा यह सदैव प्रयत्न रहता है कि इन क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर हो। जनजातीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान मैंने पाया कि वहां स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों के कारण कठिनाई पेश आती है । अच्छी स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा सुविधा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में डाक्टरों के 47 पद भरे हैं जिनमें 7 विशेषज्ञ शामिल हैं । हमारा प्रयास रहेगा कि शेष रिक्त पदों को भी शीघ्र भर दिया जाये । शिक्षा क्षेत्र में 5 नये प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं तथा 6 स्कूलों को upgrade कर मिडल, 8 को हाई तथा 9 को वरिष्ठ माध्यमिक का दर्जा दिया गया है।

6. मैं सभी माननीय सदस्यों व अधिकारीगणों से आशा करता हूँ कि वे इस परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णयों पर सकारात्मक सहयोग देंगे तथा सभी विभाग उचित कार्यवाही अमल में लायेंगे । मैं कामना करता हूँ कि आज की बैठक सफल तथा लाभप्रद रहेगी ।

....

भाग–1

हिमाचल प्रदेश जन–जातीय सलाहकार परिषद् की 44वीं बैठक जो दिनांक 29–7–2015 को प्रातः 11 बजे कॉफ्रेंस हॉल में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण ।

हिमाचल प्रदेश जन–जातीय सलाहकार परिषद् की 43वीं बैठक की अनुवर्ती मद्दें।

1. **Requirement of Specialist Doctors, Pharmacists to fill up the different vacancies, in different Hospitals of Lahaul.**

There is total One Regional Hospital, Two CHC and Eleven PHCs and Twenty Six Sub Centers in Lahaul. But due to lack of staff the system of health is not doing well in the Lahaul. Many patients have lost their lives due to lack of medical facilities. We request your honour to fill up the posts of specialists at Regional Hospital Keylong especially Gynecologist and General Surgeon. Besides the vacant lying post of pharmacist should also be filled up on priority basis.

(Pyare Lal, Lahaul)
Health

पिछली बैठक में इस मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करे कि सर्दियों में Doctors/Para Medical Staff को प्रशिक्षण के लिए जन जातीय क्षेत्र से बाहर न भेजें ताकि सर्दियों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाऐं सुनिश्चित की जा सके । इसके अतिरिक्त विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि Regional/Distt. Hospital में कम से कम एक–एक Medical Specialist, Sugeon, Gynaecologist और anesthesist तैनात हो।

विभागीय उत्तर :– जन जातीय क्षेत्रों में सर्दियों में चिकित्सकों को किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए पी0जी0 सीट से बाहर नहीं भेजा जाता । उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए केवल उन्ही चिकित्सको को प्रदेश तथा प्रदेश से बाहर भेजा जाता है, जिन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आवेदन भेजे होते हैं और जो पी0जी0 पॉलिसी के तहत सारी शर्तें पूरी करते हो। पैरा मैडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए सर्दियों में न भेजने बारे निर्देश जारी कर दिए गए है ।

क्षेत्रीय अस्पताल केलांग को अभी हाल ही में विशेषज्ञ डाक्टरों से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु टैलीमैडिसिन की सुविधा शुरू की गई है । यदि यह सुविधा उक्त क्षेत्र में सफल होती है तो यही सुविधा अन्य जनजातीय क्षेत्रों में शुरू की जाएगी ।

निर्णयः—विभाग ने बैठक में अवगत करवाया कि विशेषज्ञ डाक्टरों के अतिरिक्त अधिकतर रिक्त पद भर दिए गये है तथा शेष रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

2. **जिला किन्नौर में स्वास्थ्य विभाग के लिए नीति बनाने बारे ।**

(i) क्षेत्रीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होमोपैथी)में विशेषज्ञ डॉक्टरों व तकनीकि कर्मचारियों की शीघ्र तैनाती हेतु नीति बनाने बारे ।

(ii) विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति न हो पाने की सूरत में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा क्षेत्रीय चिकित्सकों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति–माह कम बार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करवाने के लिए नीति बनाने बारे ।

(अगर चन्द कल्पा,किन्नौर)
स्वास्थ्य/आयुर्वेदा

पिछली बैठक में चर्चा के दौरान प्रधान सचिव (स्वास्थ्य सेवायें) हिमाचल प्रदेश ने बताया कि जिला किन्नौर में अधिकतर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद भर दिये गये हैं । सभी जन जातीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को भेज दिया गया है परन्तु अभी तक इन क्षेत्रों में इन्होने अपना पद ग्रहण नहीं किया है । अध्यक्ष महोदय ने विभाग को निर्देश दिए कि सभी विशेषज्ञ चिकित्सक जिनको जन जातीय क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया गया है की ज्वाईनिंग इन क्षेत्रों में विभाग सुनिश्चित करेगा तथा Orthopaedist और radiologist की तैनाती भी की जाए ।

विभागीय उत्तरः—

स्वास्थ्यः— Reginoal Hospital Reckong Peo में वर्तमान से Orthopaedist और Radiologist कार्यरत है।

आयुर्वेदा— जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांगपिओ में विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक का पद स्वीकृत नही है। प्रदेश मे वरिष्ठ होमियोपैथी चिकित्सकों के पद स्वीकृत नहीं है। यद्यपि होमियोपैथी चिकित्सक को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में नियुक्त किया गया है। जन जातीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष आयुर्वेद चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सकों की प्रतिमाह कम वार नियुक्ति सम्भव नहीं है क्योंकि स्वीकृत 18 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पदो के विरूद्व केवल 5 ही कार्य कर रहे हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए माह जून से माह सितम्बर के दौरान विभिन्न केन्द्रो पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार विशेष उपचार/परामर्श हेतु ऐसे शिवरों का आयोजन किया जा सकता है।

निर्णय :—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

3 **जन जातीय क्षेत्रों में जनजातीय उपयोजना की धनराशि से जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दवाईयां (एलोपैथी, आयुर्वेदा व होमोपैथी) खरीद हेतु नीति बनाने बारे, ताकि समय पर दवाईयां उपलब्ध हो सके ।**

(अगर चन्द, कल्पा, किन्नौर)
स्वास्थ्य/खाद्य एवं अपूर्ति

पिछली बैठक मे प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) ने सूचित किया कि स्थानीय मांग के अनुरूप 15 प्रतिशत दवाईयां जो essential drug list के बाहर है को क्षेत्रीय स्तर पर खरीदने की पहले से ही छूट है। Essential Drug List मे सभी generic medicines उपलब्ध है

जिन्हें नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीदा एवं उपलब्ध करवाया जाना हैं तथा इस संदर्भ में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध निदेशक, नागरिक आपूर्ति निगम यह सुनिश्चित करे कि जनजातीय क्षेत्रों में जितनी भी दवाइयों की आवश्यकता है, की आपूर्ति एवं भण्डारण अगले 10 दिनों में उपलब्ध हो ।

विभागीय उत्तरः–

स्वास्थ्यः– समूचे जन जातीय क्षेत्रों में मांगकर्ता अधिकारियों के औषधि मांगपत्रों के विरूद्ध दिनांक 30/09/2014 को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला ने अनुमोदित स्त्रोतों/फर्मों की आपूर्ति आदेश जारी कर दिए हैं तथा उनके विरूद्ध औषधियों की आपूर्ति भी मिलनी शुरू हो चुकी है । उपरोक्त निगम ने सूचित किया है कि सभी सम्बन्धित आपूर्ति कर्ता फर्मों को आपूर्ति शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिनांक 13.10.2014 व 10.11.2014 को पत्र भी जारी किए जा चुके हैं एवम् दूरभाष पर भी लगातार इन फर्मों को आपूर्ति पूर्ण करने के लिए संपर्क साधा जा रहा है।

खाद्य एवं अपूर्तिः–जन जातीय क्षेत्रों में जन जातीय उपयोजना की धनराशि से जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दवाईयों (एलोपैथी,आयुर्वेद व होम्योपैथी) की खरीद हेतु नीति बनाने बारे निर्णय सम्बन्धित विभाग द्वारा लिया जाता है। निगम केवल राज्य स्तरीय औषध क्रय समिति द्वारा अनुमोदित स्त्रोतों से सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त मांग अनुसार आपूर्ति आदेश जारी कर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। निविदा वर्ष 2013–14 (01.04. 2013 से 30.09.2014) तक समूचे जनजातीय क्षेत्रों से प्राप्त एलोपैथिक औषधियों के मांग पत्रों अनुसार मु0 2,41,57,879.35 रूपये के आपूर्ति आदेश जारी किये गये जिसके प्रति दिनांक 25. 02.2015 तक प्राप्त सूचना अनुसार मु0 2,29,63,987.57 रूपये की आपूर्ति पूर्ण की जा चुकी है जोकि कुल जारी आपूर्ति का 95 प्रतिशत है।

निर्णयः–बैठक में विभाग ने सूचित किया कि जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं तथा नई दवाईयों की आपूर्ति सितम्बर एवं अक्तूबर तक उपलब्ध करवा दी जाएगी । तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

4 **पुराने अस्पताल की जगह सामुदायिक भवन बनाने बारे ।**

पूह गांव में स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल तथा रिहाईश के लिए 8 बीघा जमीन मिली है जिस पर अस्पताल बन गया है तथा वहां अस्पताल खुल भी गया है इसलिए पुराने अस्पताल को पूह पंचायत को स्थानान्तरित कर वहां सामुदायिक भवन बनाया जाए ।

(प्रीतम चन्द, पूह किन्नौर)

स्वास्थ्य

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग की नई जगह में आवासो के निर्माण के लिए उचित बजट प्रावधान किया जाए तथा निर्माण के उपरान्त विभाग के स्टाफ को नव निर्मित आवासीय भवन मे शिफट कर पुरानी ईमारत को ग्राम पंचायत को सामुदायिक भवन के लिए सौंप दिया जाए।

विभागीय उत्तर :– स्वास्थ्य विभाग पंचायत के लिए सामुदायिक भवन बनाने के लिए अपनी जमीन दे सकता है तथा सरकार से अनुरोध है कि स्वास्थ्य विभाग को उसके बदले इतनी ही जमीन उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।

निर्णयः–माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को पुराने अस्पताल को पूह पंचायत को स्थानान्तरित करने के आदेश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

5 **सब सेन्टर खोलने बारे ।**

ग्राम नामङ्या में स्वास्थ्य विभाग का सब सेन्टर खोला जाए । आयुर्वेदा का केन्द है। तुरन्त ईलाज के लिए पूह आना पड़ता है ।

(प्रीतम चन्द, पूह किन्नौर)

स्वास्थ्य

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय ने इस मद पर विभाग को पुनः विचार करने के निर्देश दिए ।

विभागीय उत्तर:– Opening of Health Sub Centre at Namgia was re-considered and the same has been rejected as the proposal does not meet the population norms of 3000 for opening of Helth Sub Centre.

निर्णय:– **माननीय अध्यक्ष महोदय ने नमग्या की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विभाग को नमग्या में स्वास्थ्य विभाग को सब सेन्टर खोलने बारे आदेश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया।**

6 **पांगी घाटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द किलाड़ व विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में पैरा मैडिकल स्टॉफ व डॉक्टर के पद भरने बारे ।**

पांगी घाटी का एक मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किलाड़ में स्थित है वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर तथा एक्सरे तकनिशियन के न होने के कारण सरकार की करोड़ों रूपए की मशीनरी जहां एक ओर बन्द पड़ी है दूसरी ओर आम गरीब आदमी को छोटे मोटे एक्सरे आदि करवाने के लिए चम्बा तथा कुल्लू आना पड़ता है। अतः महोदय से अनुरोध है कि पांगी घाटी के किलाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पड़े आवश्यक पदों को शीघ्र अति शीघ्र जनहित में भरने की अनुकम्पा करें । पांगी घाटी के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में पैरा मैडिकल व डॉक्टरों के पद पिछले कई वर्षों से खाली पड़े हुए हैं जिस कारण आम जनता को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि पांगी घाटी के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए ।

(किशन चन्द चोपड़ा,पांगी)

स्वास्थ्य

पिछली बैठक में चर्चा उपरात विभागीय उत्तर के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि CHC Killar में विशेषज्ञ चिकित्सक मुख्यतः surgeon, gynaecologist, anesthetist के पद प्राथमिकता पर भरें।

विभागीय उत्तर – वर्तमान में सी0एच0सी0 किलाड़ में चिकित्सा अधिकारी के 3 स्वीकृत पदों के विरूद्ध चार चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है । अतः विभाग अभी क्षेत्रीय चिकित्सालयों व सिविल अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियों हेतु प्रयासरत है । जैसे ही विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द किलाड़ में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रयास किया जायेगा ।

निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य को पुनः परीक्षण के आदेश दिए । इस बारे मद संख्या 1 व 2 पर भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है । अतः इस मद को समाप्त किया जाता है ।

7. Radiographer की तैनाती बारे ।

पूह उपमण्डल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्पीलो व रिब्बा में लगभग 10–12 वर्ष पहले X-Ray मशीन स्थापित की गई है लेकिन विगत काफी सालों से Radiographer की तैनाती नहीं होने के कारण इसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थित X-Ray मशीनों के लिए Radiographer की तैनाती कर इस का लाभ लोगो को उपलब्ध करवाया जाए ।

(नरेश कुमार, स्पीलो, किन्नौर)

स्वास्थ्य

पिछली बैठक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि Sub Cadre के तहत खाली पडे पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरें ।

विभागीय उत्तरः—विभाग नवीनतम स्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।

निर्णयः— माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को आदेश दिए है कि रिक्त पडे पदों को दो महीने के भीतर प्रशिक्षित उम्मीदवारों से भरा जाए । अतः इस मद को समाप्त किया जाता हैं ।

8. Requirement of teachers (JBT, TGT, PGT, C &V) to fill up the vacancies in different schools of the Lahaul.

Almost all the schools of the Lahaul including Senior Secondary Schools, High Schools, Middle / Primary Schools are running short of teaching staff. You are requested to fill up these vacancies in different schools through SMC on priority basis. Besides, at DIET, out of total sanctioned 19 posts 17 are lying vacant. You are requested to fill up these posts soon so that the study of the students at the DIET could not suffer.

(Pyare Lal, Lahaul)

Higher Eduction/Ele. Eduction

पिछली बैठक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि रिक्त पडे पदो को पदोन्नति व नई भर्ती द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भरें । यदि फिर भी इन क्षेत्रों में रिक्त पद रहते हैं तो उन्हें नई Sub Cadre नीति के तहत भरा जाए। .

विभागीय उत्तर :–

शिक्षाः– 33 PGTs have been posted in Tribal area through promotion and two posts of Lecturers in Govt. Sr.Sec. School Udaipur and Govt.Sr.Sec.School Jalma have been filled up through direct recruitment by the department .

प्रारम्भिक शिक्षा:– Efforts are being made to fill up the vacant posts of teachers of all categories i.e TGTs, C&V and JBTs in tribal areas on contract basis through Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur & through SMC. At present (2012-14) session there are only 14 students undertaking JBT training at DIET Keylong (L&S). If the number of JBT trainees is increased at DIET Keylong, more Lecturers will be deputed on secondment basis in the said DIET.

निर्णयः–माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को रिक्त पडे पदों को सीधी भर्ती या SMC के तहत शीघ्र भरने के आदेश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

9. **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात अनुसार राशि उपलब्ध करवाने बारे ।**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात अनुसार धनराशि प्रदान की जा रही है जिसके लिए जन–जातीय क्षेत्रों के लिए जन– जातीय उप योजना से अभाज्य धनराशि के रूप में मुख्यालय को हर वर्ष प्रदान की जा रही है, लेकिन भरमौर जन जातीय क्षेत्र को सरकार द्वारा 19 प्रतिशत मानकानुसार धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। अतः सरकार से अनुरोध है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात अनुसार वर्ष 2007–2008 से 2012–2013 तक कितनी राशि किन कार्यो के लिए प्रदान की गई ।

(भजन सिंह ठाकुर, भरमौर)
प्रारम्भिक शिक्षा

पिछली बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक विभाग को यह निर्देश दिए कि वे राज्य के सभी उपायुक्तों तथा जन जातीय क्षेत्रों मे सम्बन्धित आवासीय आयुक्त / उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को विभागाध्यक्ष होने के नाते एस०एस०ए० के अन्तर्गत राशि आवंटन का ब्यौरे की पूर्ण जानकारी देगें। इसके अतिरिक्त जन जातीय क्षेत्रों में आवासीय आयुक्त / उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी विभागाध्यक्ष होने के नाते इस आवंटन का ब्यौरा सम्बधित जिला प्रशासन को भी देगें ताकि कार्य निर्माण के लिए प्रदान की जा रही राशि में duplicacy से भी बचा जा सके।

विभागीय उत्तरः– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात के अनुसार राशि वर्ष 2006–07 तक उपलब्ध होती रही है तथा वर्ष 2007–08 के पश्चात् 65:35 के अनुसार अब तक यह धन राशि उपलब्ध हो रही है । यह राशि राज्य परियोजना अधिकारी (एस०एस०ए०) द्वारा प्रदेश के सभी जिला परियोजना अधिकारी को प्रतिवर्ष जिला के गुणात्मक शिक्षा एवं ढांचागत विकास के लिए प्रदान की जाती है जिसमें जन जातीय क्षेत्र भी शामिल हैं।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के मध्यनजर एवं चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय दिया गया ।

10. जन जातीय क्षेत्र के स्कूलों में लागू की गई शिक्षा कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने बारे ।

जिला के सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं पूर्व पद्धति के अनुसार करने बारे।

जन जातीय क्षेत्र के स्कूलों में पिछली सरकार द्वारा लागू की गई शिक्षा कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। इस प्रणाली में कबाईली क्षेत्रों में जो वार्षिक परीक्षाएं दिसम्बर में होती थी व शीतकालीन अवकाश जनवरी, फरवरी माह में होता था, उसी प्रणाली को लागू किया जाए, क्योंकि सर्दियों में लम्बे समयतक बिजली की समस्याओं से परेशानी रहती है तथा बर्फ में बच्चों को आने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः महोदय से अनुरोध है कि पुरानी शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए। जिला के सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं पूर्व पद्धति के अनुसार दिसम्बर महीने में करवाने बारे व स्कूल खुलने का समय भी मार्च महीने में करवाने बारे निर्देश जारी करें ।

(शुभ करण, भरमौर)
(प्रीतम सिंह नेगी, कल्पा किन्नौर)
उच्च शिक्षा

पिछली बैठक में प्रधान सचिव (शिक्षा) ने सूचित किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से जन जातीय क्षेत्रों में पूर्व पद्धति के अनुसार ही परीक्षाएं ली जाएगीं ।

विभागीय उत्तरः–

उच्च शिक्षाः– सरकार के दिनांक 12.12.2013 के निर्णय अनुसार जन जातीय क्षेत्र, किन्नौर, पांगी, भरमौर के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश में कक्षा पहली से 9वीं तक वार्षिक परीक्षाएं दिसम्बर माह में होंगी तथा 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं वर्ष 2013–14 से प्रतिवर्ष मार्च माह में ली जाएगी । इन क्षेत्रों में अवकाश का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

1. शीतकालीन अवकाश 01 जनवरी से 26 फरवरी तक।
2. मानसून अवकाश अगस्त के प्रथम सोमवार से शुक्रवार तक परन्तु दूसरे शनिवार का अवकाश जनजातीय क्षेत्रों में मान्य नहीं होगा।

निर्णयः– चर्चा उपरान्त एवं विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

11. कन्या उच्च पाठशाला का दर्जा बढ़ाने बारे ।

जन–जातीय क्षेत्र भरमौर में एक मात्र कन्या उच्च पाठशाला है, जिसमें इस समय 300 छात्राएं अध्ययनरत है । जिसमें नौंवी कक्षा की 109 व दसवीं कक्षा की 93 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। दसवीं कक्षा के बाद उन्हें या तो पढ़ाई छोडनी पड़ती है या कहीं दूसरे बाहरी कन्या विद्यालयों में जाना पडता है। भरमौर में एक Boys वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है जिसमें पहले से ही विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। अतः सरकार से अनुरोध है कि कन्या माध्यमिक पाठशाला का दर्जा प्रदान किया जाए ।

(भजन सिंह ठाकुर, भरमौर)
उच्च शिक्षा

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले का परीक्षण करने का निर्देश दिया।

विभागीय उत्तरः–कन्या उच्च पाठशाला भरमौर को शैक्षणिक सत्र 2014–15 के लिए स्तरोन्नत कर दिया गया है।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

12. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भवन शीघ्र बनवाने बारे ।

भारत सरकार द्वारा संचालित फ्री स्कूल एकलब्य का भवन आठ वर्षों से अधूरा है, जिस कारण नए बच्चों का प्रवेश हर वर्ष आधा ही हो रहा है, इस भवन को शीघ्र बनवाकर हर वर्ष पूर्ण प्रवेश दिया जाए।

(जगदीश चन्द,निचार, किन्नौर)

लोक निर्माण/जन जातीय विकास विभाग

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि एकलब्य मॉडल आवासीय विद्यालय भवन को शीघ्र पूर्ण करें व भविष्य में नए भवन निर्माण sliding zone में न किया जाए । निर्माण कार्य भी निर्धारित समय अवधि एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए जिससे cost escalation से बचा जा सके ।

विभागीय उत्तरः–

लोक निर्माणः– The Construction of Eklavya Residential School at Nichar Distt. Kinnaur H.P.(SH:- balance work of school building i.e site development, WS & SI and rain harvesting tank) का कार्य को करच्छम मण्डल द्वारा दिनांक 30–03–2014 को 2,62,38,866/–रूपये आबंटित किया गया है तथा छत का कार्य प्रगति पर है। बजट उपलब्ध न होने के कारण ठेकेदार का भुगतान लम्बित है। Construction of Eklavya Residential School at, Nichar Distt. Kinnaur HP(SH:- C/O balance work of Girls & Boys Hostel (Two Units) Site Development,WS&SI,Septic Tank & rain harvesting tank) का कार्य श्री ज्ञान सिंह ठेकेदार गांव व डाकघर नरेण, तहसील रामपुर जिला शिमला (हि0प्र0) को करच्छम मण्डल के पत्र दिनांक 30–03–2010 के अन्तर्गत मुबलिग रूपये 2,48,13,037 केवल को आबंटित किया गया है तथा कार्य पूर्ण अवस्था में है । इस भवन को सबंधित विभाग को सौंप दिया जाएगा। उपरोक्त भवन के निर्माण हेतु करच्छम मण्डल में मुबलिक 350.10 लाख रूपये का बजट जमा है जिसमें से अभी तक मुबलिक 366.48 लाख रूपये व्यय-हो चुका है तथा मुबलिक 10,00,000 रूपये की अदायगी करने को है लेकिन बजट उपलब्ध नही है।

जनजातीय विकासः– एकलब्य मॉडल आवासीय विद्यालय भवन व छात्रावासों के निर्माण कार्यों के लिए 350.10 लाख रूपये लोक निर्माण को उपलब्ध करवाए गए हैं जिसके विरूद्ध लोक निर्माण विभाग ने 366.48 लाख रूपए व्यय दर्शाए है । इन कार्यों के लिए वर्ष 2015–16 में मु0 32.56 लाख रूपए जनजातीय उप योजना में उपलब्ध किए गए हैं । लोक निमार्ण विभाग पहले उपरोक्त कार्यों को पूर्ण करें तदोपरान्त ही नए कार्य (प्रधानाचार्य आवास/स्टॉफ क्वाटरस) के लिए धन उपलब्ध करने पर विचार किया जा सकता है ।

निर्णयः– चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि लोक निमार्ण विभाग द्वारा अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात् नए कार्यों (प्रधानाचार्य आवास/स्टॉफ क्वाटरस) के लिए जन जातीय विकास विभाग द्वारा फेसड मैनर में धन उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करेगा। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

13 **वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को जन जातीय क्षेत्रों में अक्षरशः एवं शीघ्र लागू करने बारे।**

14. **भारत सरकार द्वारा लागू किए गए एफ0.आर0.ए0–2006 को प्रभावी तरीके से लागू करने बारे।**

अनुसूचित जन जातीय एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 को जन जातीय क्षेत्रों में अक्षरशः एवं शीघ्र लागू किया जाए। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए एफ.आर.ए.–2006 को हिमाचल प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाए ताकि जन जातीय क्षेत्र के लोगों को इसका समुचित लाभ मिल सके।

(नवांग बौद्य, लाहौल स्पिति)
(नरेश कुमार, स्पीलो, किन्नौर)
पंचायती राज

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग समस्त जन जातीय क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर कमेटी का गठन करेगा ताकि इस अधिनियम के अनुरूप आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

विभागीय उत्तरः– वन अधिकार समितियों का गठन ग्राम स्तर पर जिला किन्नौर में 74.83 प्रतिशत और जिला लाहौल स्पिति में 100 प्रतिशत किया जा चुका है।

निर्णयः– माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्राम स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम पर तीन महीने के भीतर प्रशिक्षण दिलवाने के निर्देश जारी किए। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

15 **जिला लाहौल स्पिति में T.D लकड़ी के आबंटन की पुनः समीक्षा करने बारे।**

16 **टी0 डी0 पुनः शुरू करने बारे।**

जिला लाहौल स्पिति में T.D लकड़ी के आबंटन की पुनः समीक्षा की जाए ताकि पांच वर्ष के अन्तराल से T.D लकड़ी प्राप्त करने की पात्रता बहाल हो।

टी0 डी0 बन्द होने से जनजातीय क्षेत्र में घर बनवाना बहुत मुश्किल हो गया है। टी0डी0 को पुनः बहाल किया जाए, ताकि जन जातीय क्षेत्रों की गरीब जनता इस का पूरा लाभ ले सके।

(नवांग बौद्य लाहौल स्पिति)
(जगदीश चन्द,निचार किन्नौर)
वन

पिछली बैठक में विभाग ने सूचित किया था कि नई टी0डी0 नीति बनाई जा रही है जिसमें टी0डी0 शर्तें उदार तथा व्यवहारिक कर दी गई है। अभी इस विषय पर महाअधिवक्ता से विचार–विर्मश किया जा रहा है कि क्या इस नई नीति को माननीय उच्च न्यायलय के अवलोकन/मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाना है या नहीं क्योंकि पहले की नीति माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार ही बनाई गई थी जिससे भविष्य में पुनः कानूनी बाधाओं का सामना न करना पड़े।

विभागीय उत्तरः– सरकार द्वारा नई टी0डी0 नीति 2013 में बनाई गई है जिसके प्रावधानों के अनुसार टी0डी0 लकड़ी प्रदान की जाएगी जिसकी अधिसूचना की प्रति समस्त ग्राम पंचायतों व वन मण्डल अधिकारियों को प्रचार हेतु भेजी जा चुकी है। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय बर्तनदारों को टी0 डी0 में खड़े वृक्षों के रूप में इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

17. लकड़ी का डिपो खोलने बारे ।

18. **बालन लकड़ी व इमारती लकड़ी का डिपो खोलने बारे ।**

ग्राम हॉगो तथा चूलिंग में लकड़ी का डीपू खोला जाए, जो दोनो गांवों के बीच में हो । N.H-5 पर स्थित गांव स्पीलो में एक बालन लकड़ी व इमारती लकड़ी का डिपो खोला जाना अतिआवश्यक है क्योंकि रिकांग पिओ या झाबुंग–पूह जहां पर बालन लकड़ी का डिपो है काफी दूर पड़ता है । लगभग पिओ 40 कि0मी0 व पूह 30 कि0मी0 तथा सर्दियों के मौसम में ज्यादातर स्पीलो से आगे पूह की तरफ ढोपन नामक स्थान से आगे पिओ की तरफ सड़क चट्टाने व मलवा गिरने के कारण अवरूद्ध ही रहता है। अगर उपरोक्त डिपो स्पीलों में खोला जाता है तो इसका लाभ लगभग 10–11 पंचायतों को मिल सकता है।

(प्रीतम चन्द, पूह किन्नौर)
(नरेश कुमार,स्पीलो, किन्नौर)
वन विभाग

पिछली बैठक में प्रधान सचिव वन ने बताया कि शीघ्र ही उपयुक्त स्थान पर बालन लकड़ी डिपो खोल दिया जाएगा ।

विभागीय उत्तरः—17 ग्राम हांगो व चुलिंग जो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय मालिंग (स्थित नाको) से लगभग 15 कि0मी0 की दूरी पर है इन गांव के लोगों को बालन लकड़ी व इमारती लकड़ी की आपूर्ति नाको व लियो में स्थित डिपुओं से की जा रही है।

उत्तरः— 18 स्पीलो में बालन डिपो खोल दिया गया है।

निर्णयः— विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद 17 व 18 को समाप्त कर दिया गया ।

19. **ईमारती लकड़ी रियायती दर में उपलब्ध करवाने बारे ।**

वर्ष 2008 में नया टी0डी0 कानून बनाया गया जिसके अन्तर्गत स्थानीय लोगों को ईमारती लकड़ी स्थानीय जंगलों में Silviculture या salvage उपलब्ध होने पर भी ईमारती लकड़ी उपलब्ध की जाएगी । वह भी 30 सालों में एक ही बार या तायुम्र में एक बार। पूह जैसे सूखे मरूस्थल में जंगल न के बराबर है ऐसे में Silviculture या salvage उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है । परिणाम स्वरूप इस खण्ड के लोगों को इमारती लकड़ी से वंचित होना पड रहा है। इस खण्ड के लोगों को ईमारती लकड़ी रियायती दरों पर डीपो द्वारा उपलब्ध करवाए जाने का निवेदन किया जाता है।

(नरेश कुमार,स्पीलो, किन्नौर)
वन विभाग

पिछली बैठक में विभाग ने अवगत करवाया कि स्पिति, लाहौल, पूह व अन्य जन जातीय उप–मण्डलों में भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की भांति टी0डी0 के माध्यम से रियायती दरों पर ईमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जा रही है, जन जातीय क्षेत्रों में जहां अधिकार तो है परन्तु वन नहीं है में उसी रेन्ज की दर से ईमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी ।

विभागीय उत्तरः— सरकार द्वारा नई टी0डी0 नीति 2013 में बनाई गई है जिसके प्रावधानों के अनुसार टी0डी0 लकड़ी प्रदान की जाएगी जिसकी अधिसूचना की प्रति समस्त ग्राम पंचायतो व वन मण्डल अधिकारियों को प्रचार हेतु भेज दी जा चुकी है। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय वर्तनदारों को टी0डी0 में खडे वृक्षों के रूप में इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी।

निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने वन विभाग को आदेश दिए कि जनजातीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार ईमारती लकड़ी लोगों के घरेलू उपयोग के लिए रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाए तथा रियायती लकड़ी **Commercial purpose** के लिए न दी जाए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

20. **वन विभाग के निचार स्थित खाली भवनों में Eco-Tourism शीघ्र शुरू करने बारे।**
वन विभाग के खाली भवनों में जो Eco-Tourism की योजना प्रस्तावित है। इसे शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए ताकि इस क्षेत्र में Tourism को बढ़ावा मिल सके व स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।

(जगदीश चन्द,निचार, किन्नौर)
वन विभाग

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में वन विभाग को पर्यटन विभाग के साथ विचार विमर्श कर इस complex में टूरिजम यूनिट खोलने के निर्देश दिए ।

विभागीय उत्तरः– इस बारे मुख्य अरण्यपाल ने प्राक्कलन तैयार कर लिए हैं तथा मामला टूरिजम विभाग से विचार विमर्श के उपरान्त आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा।

निर्णयः– इस मद को मद संख्या 29 के साथ निर्णय हेतू रखा गया । तदानुसार इस मद को समाप्त कर दिया गया ।

21 **पांगी घाटी के धरवास पुर्थी व सेचू में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक व किलाड़ में पंजाब नैशनल बैंक की भाखा खोलने बारे।**
माननीय मुख्य मन्त्री जी पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में सिर्फ एक बैंक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है । इसके इलावा कोई भी अन्य बैंक की शाखा किलाड़ में नही है । अन्य बैंक न होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक में लोगों को पैसा निकालने में काफी परेशानी आती है तथा समय भी बर्बाद होता है। अतः महोदय से निवेदन है कि पांगी घाटी के धरवास पुर्थी व सेचू में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक की शाखाएं तथा एक पंजाब नैशनल बैंक की शाखा किलाड़ में खोली जाए ताकि लोगों को बैंक से सम्बन्धित परेशानी से छुटकारा मिल सके।

(राम चरण राणा, पांगी)
वित्त / सहकारी विभाग

पिछली बैठक में प्रधान सचिव (वित्त) ने सूचित किया कि अगली राज्य स्तरीय बैंकर कमेटी में पंजाब नैशनल बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक से साथ मे शाखा खोलने के मामले को pursue किया जाऐगा । यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सहकारी बैंक खोलने के लिए भी सकारात्मक परीक्षण किया जाये ।

विभागीय उत्तरः–

वित्तः– Lead Bank Officer, Chamba has reported on 24-12-2013 that the survey has been done by the concerned Banks to open the Bank Branches at Dharwas, Purthi, Sechu and Killar of ITDP Pangi and at Chhatradi & Tundah of Bharmour area and sent their survey reports to their controlling offices. As per the direction/guidelines of Reserve Bank of India, New Bank Branches will be opened where it is found necessary and at all left out places the banking facilities will be provided through

the Business Correspondents. The business Correspondents have been appointed by Banks and for banking facilities at village level, the process of appointments of Village Service Provider is under process.

सहकारिता:– Regarding opening of Bank Branches at Dharwas Purthi and Sechu of Pangi area is under process at Bank' level and after completing all codal formalities, the application will be forwarded to Reserve Bank of India(RBI) for obtaining necessary license to open bank's branch there in due course. The response from RBI is still awaited.

निर्णय:–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दिया गया ।

22 **पौली हॉउस के निर्माण बारे।**

जिला लाहौल स्पिति जहां पर अत्याधिक बर्फबारी होती है, के लिए Poly House का निर्माण स्थानीय किसानों के परामर्श से विशेष Design तैयार किया जाए ताकि बर्फबारी में भी यह टिका रह सके।

(नवांग बौध, लाहौल स्पिति)
कृषि /उद्यान

पिछली बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्यान) ने अवगत करवाया कि लोगों की स्थानीय मांग के अनुसार पॉली हाउस के बनाने बारे विचार किया जाएगा ।

विभागीय उत्तर:–

उद्यान :– इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि जिला लाहौल स्पिति तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जहां पर अत्यधिक बर्फबारी होती है, वहां के स्थानीय किसानों तथा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के परामर्श से कृषि विभाग द्वारा उन क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित पॉली हाउस जैड–1 व जैड–3 माडल तैयार किए गए हैं। विभाग जिला लाहौल स्पिति के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित पॉली हाउस के माडलों का अनुसरण करेगा।

निर्णय:– विभागीय उत्तर एवं चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दिया गया ।

23. **Refrigerated Van पर सुगम अभिशीतित परिवहन विधि अपनाने बारे।**

लाहौल में ही उत्पादित फल, फूल एवं सब्जियों को बाहर की मण्डियों में भेजने के लिए Refrigerated Van का विकल्प के तौर पर सुगम अभिशीतित परिवहन विधि अपनाई जाए।

(नवांग बौध, लाहौल स्पिति)
उद्यान

पिछली बैठक में विभाग ने आश्वासन दिया कि माननीय सदस्य के सुझाव पर परीक्षण किया जाएगा ।

विभागीय उत्तर:– :–लाहौल क्षेत्र मे फलों का वार्षिक उत्पादन 1.28 मीट्रिक टन के लगभग है। इस के अतिरिक्त लिलियम एवं टयूलिप के 5 लाख कटे हुए फलों का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। फल उत्पाद का विपणन कुल्लू मार्किट में एवं फूलों का विपणन चण्डीगढ़ एवं दिल्ली की मण्डियों में किया जाता है। उद्यान उत्पाद के विपणन हेतु लाहौल क्षेत्र में कोई सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र मे उद्यान उत्पाद के भण्डारण एवं विपणन हेतु मार्किट यार्ड सी०ए० भण्डार एवं कूल चेन सुविधाओं के सृजन की अत्यन्त आवश्यकता है। बागवानी मिशन के मिनी मिशन–3 के अन्तर्गत मार्किट अधोसंरचना जैसे कि टर्मिनल मार्किट थोक एवं परचून मण्डियां,

पैक हाउस, प्री कूलिंग इकाईयां, शीत भंडारण इकाइयों की स्थापना एवं राफल वैन इत्यादि के क्रय हेतु सहायता का प्रावधान है। 5000 मी० टन क्षमता के नियन्त्रित वातानुकूलित भंडार गृहो की स्थापना हेतु अधिकतम रू0 8.80 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 6 मि0 टन क्षमता की राफर वैन के क्रय हेतु रू0 13.20 लाख की सहायता राशि उपलब्ध है जिसे लाहौल क्षेत्र के इच्छुक उद्यमी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त एच0पी0एम0सी0 द्वारा एपिडा (APEDA) के कोल्ड चेन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेब उत्पादक क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक तौर पर 2 Refrigerated Van खरीदी गई है जिनकी सेवाएं प्रदेश के सभी फल, सब्जी एवं फूल उत्पादकों को किराए पर उपलब्ध करवाई जा सकती है।

निर्णयः— चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने उद्यान विभाग को मामले मे परीक्षण कर कार्यवाही करने के आदेश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

24. भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूचि के तहत जन जातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास व उत्थान के लिए कानून बनाने तथा वर्तमान कानूनों को निलम्बित व संशोधन करने बारे ।

भारत के संविधान की अनुसूचि–5 में माननीय राज्यपाल महोदय को जन जातीय क्षेत्रो के लिए कानून बनाने व वर्तमान कानूनों को निलम्बित व संशोधन करने की शक्तियां प्रदान की गई है। वन संरक्षण कानून 1980 के कारण जन जातीय क्षेत्रों का विकास रूक गया है और जन जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ के हजारों मामले जमीन आवंटन के लिए लम्बित पड़े हैं। इसी प्रकार दर्जनो सड़को के कार्य भी इसी कानून के तहत रूके पड़े हैं। अतः जन जातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास व उत्थान के लिए संविधान के उपरोक्त प्रावधानों को अतिशीघ्र लागू किया जाए।

(जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष, विधान सभा)

वन

पिछली बैठक में प्रधान सचिव (वन एवं राजस्व) ने बैठक में सूचित किया कि इस विषय पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त हो गया है । अतः विषयगत मामले पर परीक्षण किया जाएगा।

विभागीय उत्तरः–

वन :– प्रदेश सरकार ने दिनांक 17–07–2014 के द्वारा जन जातीय क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम,1980 को दो साल के लिए स्थगित किया है ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को नौतोड भूमि दी जा सके। जहां तक सड़क निर्माण का सम्बन्ध है उसमें भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को सड़क निर्माण के लिए अधिकृत किया है बशर्ते वन भूमि का क्षेत्र 1 हेक्टर तक हो तथा कटने वाले पेड़ो की संख्या 50 से अधिक न हो।

निर्णयः— इस मद पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस विषय का विस्तृत परीक्षण करना उचित होगा कि क्या ऐसी अधिसूचना जारी की जाए कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 हिमाचल प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए लागू नहीं होगा। तदानुसार निर्णय लिया गया कि इसका विस्तृत परीक्षण करने के लिए माननीय वन मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव , जन जातीय विकास, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व, अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निमार्ण अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, प्रधान सचिव, विधि तथा प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन (सदस्य सचिव) होंगे । इस कमेटी की अधिसूचना जन जातीय विकास विभाग करेगा जिसके बाद पूर्ण कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जाएगी।

25. **समस्त कार्यक्रमों के लिए एक समान वार्षिक आय सीमा निर्धारित करने बारे ।**
हिमाचल प्रदेश कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पात्रता हेतु अलग–अलग वार्षिक आय सीमा निर्धारित कर रखी है । जैसे कन्यादान योजना के लिए 15000/–, गृह अनुदान के लिए 17000/–, पैन्शन के लिए 24000/– एवं सिलाई मशीन के लिए 11000/– अतः सरकार से अनुरोध है कि समस्त कार्यक्रमो के लिए एक समान वार्षिक आय सीमा निर्धारित की जाए।

(भजन सिंह, ठाकुर, भरमौर)
महिला एवं शिशु विकास तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास

पिछली बैठक में अति० मुख्य सचिव (सा० न्याय एवं अधि०) ने अवगत करवाया कि विभाग ने सभी योजनाओं के लिए एक समान व्यवहारिक वार्षिक आय सीमा के निर्धारण सम्बन्धी मामले में exercise कर ली गई है और यह मामला मन्त्री मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।

विभागीय उत्तर सामाजिक न्याय अधिकारिता :– माननीय मुख्य मन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट अभिभाषण की अनुपालना में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं गृह अनुदान, अनुवर्ती कार्यक्रम (सिलाई मशीन) सामाजिक सुरक्षा पैशन व मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना मे आय सीमा को समान रूप से बढ़ाकर 35000/– रूपये वार्षिक कर दिया गया है। सरकार द्वारा पैंशन योजना, गृह निर्माण अनुदान योजना में अधिसूचना जारी की जा चुकी है ।
निर्णयः– विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया ।

26. **होली से चामुण्डा तक सुरंग के सर्वेक्षण बारे।**
होली से चामुण्डा तक सुरंग के सर्वेक्षण के लिए माननीय मुख्य मन्त्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा वर्ष 2007 में HID विभाग को 17 लाख रूपए की धन राशि दी गई थी। HID विभाग से पूछा जाए कि सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने DPR तैयार की या नहीं। यदि की गई है तो इस सुरंग की लम्बाई कितने किलोमीटर है, यदि नहीं की गई है तो उस धनराशि का प्रयोग कहां किया गया। इस सुरंग के निर्माण से होली चामुण्डा के बीच लगभग 240 किलोमीटर की दूरी कम होगी। अतः महोदय से अनुरोध है कि इस सुरंग का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाया जाए साथ ही होली उतराला सुरंग का कार्य भी शीघ्र आरम्भ करवाया जाए।

(शुभ करण, भरमौर)
लोक निर्माण/विद्युत

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने कि लोक निर्माण विभाग को सर्वे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

विभागीय उत्तर :–
लोक निर्माणः– चामुण्डा होली टनल बनाने की (Pre- Feasibility Study Report) का कार्य M/S SJVNL को दिनांक 9–12–2013 को मुख्य अभियन्ता–कम–प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट रोड प्रोजेक्ट द्वारा दिया गया है कार्य प्रगति पर है।
विद्युत विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णयः– चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को मामले में प्राथमिकता के आधार पर सर्वे का कार्य करके डी0पी0आर0 तैयार करने के निर्देश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

27. न्याग्रां बजोल सड़क निर्माण कार्य **P.M.G.S.Y** के तहत करवाने बारे।

न्याग्रां बजोल सड़क निर्माण कार्य P.M.G.S.Y के तहत बर्ष 2009 में एक निजि ठेकेदार को दिया गया था जिसकी अनुमानित राशि 4 करोड़ रूपये है। वर्ष 2010 में ठेकेदार काम छोड़कर चला गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा कई बार इसे नोटिस भी दिए गए लेकिन उसने काम शुरू नहीं किया। इस क्षेत्र में बजोल गरोड़ा धारकी आदि गांव पड़ते हैं जिन्हें कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। अतः महोदय से अनुरोध है कि इस मामले पर ठोस कदम उठाए जाए । न्याग्रां से बड़ा भंगाल के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव है, परन्तु Forest Clearance न होने की वजह से यह सड़क निर्माण कार्य रूका हुआ है। अतः महोदय से यह भी अनुरोध है कि Forest Department से इस मामले को शीघ्र निपटाने बारे आदेश दिए जाएं।

(शुभ करण, भरमौर)
वन / लोक निर्माण

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि औपचारिकताएं पूर्ण कर शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

विभागीय उत्तरः–

वनः–न्याग्रां बजोल सडक निर्माण की स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार के द्वारा दिनांक 21–07–2009 को दी गई है तथा बजोल से बड़ा भंगाल के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,भारत सरकार,उत्तर क्षेत्रिय कार्यालय चण्डीगढ द्वारा FRA सर्टिफिकेट एवं under taking of NPV मांगा गया है जोकि लोक निर्माण विभाग से अभी तक अपेक्षित है।

लोक निर्माणः– इस कार्य का काम ठेकेदार द्वारा पुनः शुरू न करने पर अधिशाषी अभियन्ता, भरमौर मण्डल ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 21–02–2014 तथा पत्र दिनांक 29–05–2014 द्वारा एग्रीमेंट को बन्द करने के लिए अधीक्षण अभियन्ता 7वां वृत लोक निर्माण विभाग डलहौजी को लिखा। इसके उपरान्त मुख्य अभियन्ता(का0 क्षे0) धर्मशाला ने अपने पत्र दिनांक 30–09–2014 द्वारा इस कार्य को Clause 52.1 of General Condition of Contract के अंतर्गत एग्रीमेंट terminate करने की स्वीकृति दे दी। इसके उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता भरमौर मण्डल के पत्र दिनांक 01–11–2014 द्वारा इस कार्य के एग्रीमेंट को terminate कर दिया गया, जिसकी सूचना ठेकेदार को भी दे दी गई है। अब इस कार्य को विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त शीघ्रतिशीघ्र निविदाएं लगा कर दोबारा शुरू किया जाएगा।

निर्णयः– विभाग ने बैठक में अवगत करवाया कि 5 अगस्त,2015 को पुनः निविदाएं आमन्त्रित कर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

28. **निचार वांगतू लिंक रोड़ को खोलने बारे।**

निचार जाने के लिए NH-22 से पलिंगी होते हुए 16 KM का रोड़ है जबकि बांगतू से निचार का रास्ता मात्र 2 KM है। अतः निवेदन यह है कि इस रोड़के खुलने से इस क्षेत्र के लोगों को पर्यटन से जुड़ने का मौका मिलेगा साथ ही रिकांगपिओ से आने वाले वाहनों के लिए 30 KM की दूरी भी कम होगी ।

(जगदीश चन्द्र,निचार, किन्नौर)
लोक निर्माण

पिछली बैठक में इस कार्य हेतु अगले वित्त वर्ष में बजट उपलब्ध करवाने हेतु विचार किया जाएगा।

विभागीय उत्तरः– भू–स्वामियों द्वारा निजी भू–दान की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। इस बारे प्रधान, ग्राम पंचायत निचार को जल्दी से जल्दी भू–दान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भू–दान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर वन अनापति का केस तैयार करके स्वीकृति के लिए वन विभाग को भेजा जाएगा ।

निर्णयः–माननीय सम्बन्धित सदस्य ने बैठक में अवगत करवाया कि भू–स्वामियों ने शपथ पत्र विभाग को सौंप दिया है । विभाग ने अवगत करवाया कि यदि शपथ पत्र विभाग को प्राप्त हुए होंगे तो शीघ्र ही आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

29. **निचार में विश्राम गृह बनवाने बारे ।**

निचार में एकमात्र वन विभाग के विश्राम गृह को छोड़ कर न तो यहां पर कोई होटल रात्रि ठहराव के लिए है, न ही दूसरे विभागों के विश्राम गृह निचार में है । अतः निवेदन यह है कि निचार में PWD का Rest House बनवाया जाए।

(जगदीश चन्द्र, निचार,किन्नौर)
लोक निर्माण/पर्यटन

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त मद पर पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय उत्तरः– विश्राम गृह के लिए अभी भूमि उपलब्ध नहीं हुई है भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त और सरकार से स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।

निर्णयः– इस मद को मद संख्या 20 के साथ जोडते हुए चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग ने कहा कि यदि यहां लोक निर्माण का विश्राम गृह बनाना है तो इसके लिए जनजातीय उप योजना में धन उपलब्ध करवाना होगा । विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह की संभावना तथा पर्यटन विभाग इक्को टूरिजम की संभावना तलाश कर जल्द निर्णय पर पहुचे कि वन विभाग के विश्राम गृह का बेहतर उपयोग क्या रहेगा व तदानुसार आगामी कार्यवाही की जाए ।

30. **निचार गरादे पूजे लिंक रोड खोलने बारे।**

स्थानीय लोगों की मांग है कि गरादे–पूजे के लिए लिंक रोड निकाली जाए । उक्त सड़क के लिए लोगों ने अपनी निजि भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम कर दी है । इस सड़क के लिए

पैसे की कमी आ रही है जिसके लिए धनराशि का प्रावधान किया जाए तथा सड़क का निर्माण शीघ्र किया जाए ।

(जगदीश चन्द्र,निचार किन्नौर)
लोक निर्माण

पिछली बैठक में विभाग ने सूचित किया कि यह सड़क 2.500 कि0 मी0 बननी है तथा अभी तक इस कार्य हेतु लोगों से 75 प्रतिशत गिफट डीड प्राप्त हुई है जब शत–प्रतिशत डीड प्राप्त हो जाऐगी कार्य आरम्भ कर दिया जाऐगा । चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाए।

विभागीय उत्तरः– इस सड़क के लिए निजी भू–मालिकों द्वारा हल्फनामें (Gift Deed) की प्रक्रिया जारी है तथा लगभग 75% भू–मालिकों ने हल्फनामा (Gift Deed) दे दिया है और शेष भू–मालिकों द्वारा हल्फनामा (Gift Deed) देना बाकी है। इस सड़क का मु0 86,86,800/– का प्राक्कलन जिलाधीश, किनौर को आवश्यक प्रशासनिक व वितीय स्वीकृति के लिए करच्छम मण्डल कार्यालय के पत्र संख्या 12556 दिनांक 28–02–2014 द्वारा भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर व समुचित बजट का प्रावधान होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

निर्णयः– चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जन जातीय विकास विभाग इस कार्य के लिए चरणबद्व तरीके से धन उपलब्ध कराएगा। तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

31 NH-22 की मुरम्मत बारे ।

32. राष्ट्रीय राजमार्ग –22 की खस्ता हालत को जल्द सुधारने बारे ।

NH-22 का सडक वांगतू से रिकांगपिओ तक जगह–जगह टूटा व टायरिंग पूरी तरह से जर–जर है जिससे छोटे वाहनों को चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड रहा है अतः इसे शीघ्र अति शीघ्र मुरम्मत कराने की कृपा करें। नैशनल हाईवे –22 की खस्ता हालत को जल्द सुधारा जाए ताकि जनता को कोई असुविधा न हो ।

(जगदीश चन्द्र, निचार, किन्नौर)
(प्रीतम सिंह नेगी, कल्पा किन्नौर)
लोक निर्माण/सीमा सडक संगठन

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाले सुधार कार्य के लिए शीघ्र आवश्यक कारगर कदम उठाए तथा बी0आर0ओ0 के अधीन सडक के सुधार के लिए उनसे पत्राचार करें। भविष्य में बी0आर0ओ0 के अधिकारियों को भी जनजातीय सलाहकार परिषद् की बैठक में बुलाया जाए।

विभागीय उत्तरः–

सीमा सडक संगठनः–NH-22 की मुरम्मत का कार्य इस विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस मार्ग का किलोमीटर 336 (वांगतू) से किलोमीटर 368 (पोआरी) तक का भाग दिनांक 19 अगस्त 2014 को लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया गया है।

लोक निर्माणः–वांगतू से काकस्थल तक सडक की हालत ठीक है। काकस्थल से पवारी सन्धिस्थान तक सडक दिनांक 19–8–2014 को लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च मार्ग)

रामपुर मण्डल को BRO द्वारा हस्तांतरित की गई है। उसके पश्चात सड़क को दरूस्त करने के लिए विभागीय मजदूरों और जे0सी0बी0 से लगाकर मुरम्मत की गई है। काकस्थल से पवारी सन्धिस्थल तक सड़क को पक्का करने के लिये परिवहन मन्त्रालय द्वारा 2013–14 में सड़क को पक्का करने हेतू 2226.22 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। जिसकी निविदा आमंत्रित कर तकनीकी बोली (Technical bid) हो रही है जैसे ही यह कार्य आवंटित किया जाता है निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य है वह रली से लाल ढांक और शौंगटौंग से पवारी सन्धिस्थान तक कई जगह पर सड़क की चौड़ाई अभी नहीं हुई है। वित वर्ष 2014–15 के लिए काकस्थल से पवारी सन्धिस्थान तक सड़क सुरक्षा के लिए 24 करोड़ का बजट का प्रावधान वार्षिक योजना के अन्तर्गत किया गया है जिसका प्राक्कलन परिवहन मन्त्रालय को भेजा गया है। पवारी, पिओ कल्पा सड़क के RD 0/00 से 3/00 का भाग जो अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वृत लोक निर्माण विभाग रामपुर के अन्तर्गत है निरन्तर धंस रही है जिसे समय–समय पर मुरम्मत कर मोटर योग्य किया जा रहा है ।

निर्णयः–विभागीय उत्तर एवं चर्चा उपरान्त मद को तदानुसार समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

33 **शिलती सड़क को वाहन योग्य बनाने बारे ।**

वर्षों से निर्माणाधीन (शिलती सडक) रिकांगपियो कड़च्छम का निर्माण कार्य शीघ्र समाप्त कर इस सड़क को वाहन चलाने योग्य बनाया जाए ।

(प्रीतम सिंह नेगी, कल्पा किन्नौर)
लोक निर्माण

पिछली बैठक में विभाग ने अवगत करवाया कि बरसात के दौरान हुए नुकसान तथा sliding zone होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका । विभाग कार्य को अगस्त 2014 तक पूर्ण करने के लिए प्रयत्नरत है ।

विभागीय उत्तरः– यह सडक एन0एच0–22 करच्छम नामक स्थान से एन0एच0–22 के कि0मी0 353 से शुरू होती है जिसकी कुल लम्बाई करच्छम से रिकांगपिओ तक 12.620 कि0मी0 है जिसको इन्टरमिडीएट लेन बनाया जा रहा है। 12.620 कि0मी0 सिंगल लेन बन चुकी है इसमें से 8 कि0मी0 इन्टरमिडीयट लेन भी बन चुकी है 15 से 17 जून 2013 में भारी बारिश के कारण कि0मी0 2/670 से 2/900 तथा कि0मी0 4/740 से 5/050 तथा कि0मी0 5/820 से 5/920 तक लगातार भूमि खिसकने व भारी मलवा सडक पर आने से सडक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कि0मी0 2/670 से 2/900 तक सड़क अभी भी बन्द पड़ी है क्योंकि शोंगठाग में सेना अधिकारियों द्वारा लिखित रूप से इस पर काम बन्द करने हेतू आग्रह किया गया है क्योंकि कि0मी0 2/670 से 2/900 के ऊपर शिलती गांव है और नीचे सेना कार्यालय है सारा मलवा उनके कैम्प के ऊपर जाता है जब तक पहाड़ी का खिसकना पूरी तरह बन्द नहीं हो पाता तब तक सडक पर कार्य कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही पहाडी का खिसकना बन्द हो जाएगा,सडक को शीघ्रतिशीघ्र खोल दिया जाएगा।

निर्णय :–विभागीय उत्तर एवं विस्तृत चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

34. मुद भावा सड़क के निर्माण बारे।

मुद भावा सड़क का निर्माण जल्द किया जाए तथा इसके निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस सड़क के बन जाने से कम से कम 90 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है जिससे स्पिति उपमण्डल की आम जनता को काफी लाभ मिल सकता है।

(सोहन सिंह, काजा)
लोक निर्माण

पिछली बैठक में चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि यह सड़क राज्य महत्व के साथ–2 राष्ट्र महत्व की भी है । इस सड़क के बनने से inter connectivity के साथ–2 सीमा क्षेत्र की दूरी भी 95 कि0मी0 तक कम हो जाएगी । अतः इस सड़क का निर्माण उच्च प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु यदि आवश्यकता हो तो विशेष प्राधिकरण का गठन किया जाए जो इस कार्य का कार्यान्वियन(execute) कर सके।

विभागीय उत्तरः– इस सड़क का नाम अतरगू मुद भावा है । इस सड़क की कुल लम्बाई 106.330 (61.930+44.400) कि0मी0 बनती है इसमें से 61.930 कि0मी0 की लम्बाई काजा मण्डल व 44.400 कि0मी0 की लम्बाई करच्छम मण्डल के अधीन पड़ती है। काजा मण्डल के अधीन पड़ने वाली सड़क में से कि0मी0 0/0 से 33/500 तक सड़क मोटर योग्य बनी हुई है। शेष सड़क 33/500 से 61/930 तक का भाग पिन वैली नेशनल पार्क वाइल्ड लाईफ के अन्तर्गत आती है तथा यह क्षेत्र वाइल्ड लाईफ फोरेस्ट डिविजन काजा के अन्तर्गत पड़ता है जिसका निर्माण (Central Empowered Committee)- सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा मिलने के बाद हो सकता है। काजा मण्डल के अधीन पड़ने वाली सड़क का एफ0सी0ए0 केस अधिशासी अभियन्ता काजा द्वारा वाइल्ड लाईफ फोरेस्ट डिविजन काजा को भेज दिया गया है और इसे डी0एफ0ओ0 वाइल्ड लाईफ फोरेस्ट डिविजन काजा के द्वारा वन विभाग के उच्च कार्यालय को उनके पत्र संख्या–187 दिनांक 02–05–2014 द्वारा आगामी कार्यवाही हेतू भेज दिया गया है। करच्छम मण्डल के अधीन पड़ने वाली सड़क की लम्बाई 44/400 कि0मी0 सड़क पड़ती है जिसमें से कि0मी0 0/0 से 0/135 वन भूमि तथा 0/135 से 0/290 (155 मी0) निजि भूमि 0/290 से 7/00 तक वन भूमि एवं 7/00 से 44/400 तक भावा वाईल्ड लाईफ सैन्चयूरी पार्क वाइल्ड लाइफ डिविजन सराहन के अन्तर्गत पड़ती है। इस सड़क में आने वाली निजि भूमि आर0डी0 नं0 0/135 से 0/290 तक भू–स्वामियों द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्राप्त हो चुके हैं। करच्छम मण्डल के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के संयुक्त निरीक्षण हेतु वन मण्डलाधिकारी, वन्य प्राणी मण्डल सराहन को करच्छम मण्डल के कार्यालय पत्र दिनांक 12–06–2014 व स्मरण पत्र दिनांक 25–06–2014 द्वारा अनुरोध किया गया है। संयुक्त निरीक्षण के पश्चात रिपोर्ट को आगामी कार्यवाही हेतू भेज दिया जाएगा। वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति आने पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

निर्णयः– चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को मामले में परीक्षण कर आगामी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के आदेश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

35. **सीमा सड़क संगठन के बारे।**

इस बारे यह कहना है कि स्पिति उपमण्डल में मुख्य सड़क के कार्य इस समय सीमा सड़क संगठन के माध्यम से करवाई जा रही है, लेकिन स्पिति उपमण्डल के समस्त गावों

के बीच से सड़क बनाई हुई है। इस सड़क को डबल लाईन करने पर स्पिति के गावों को थोड़ी रियायत देने बारे केन्द्रीय सरकार से मुद्दा हिमाचल सरकार के माध्यम से उठाया जाए।

(सोहन सिंह काजा)

सीमा सड़क संगठन/लोक निर्माण

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मामला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,भारत सरकार से उठाया जाए।

विभागीय उत्तर:–

सीमा सड़क संगठन:– स्पिति उपमंडल में सड़क सुमदो–काजा ग्राम्फू को डबल लेन करने का प्रस्ताव सीमा सड़क विकास मंडल, नई दिल्ली की कार्य योजना में शामिल करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। इस सड़क का रख–रखाव एवं मुरम्मत का कार्य उपलब्ध धनराशि के अन्दर पूर्ण तत्परता से किया जा रहा है। अन्य कोई मुदा यदि हिमाचल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर इस विभाग द्वारा उचित कार्यवाही हेतु विचार विमर्श किया जायेगा।

लोक निर्माण:– इस कार्यालय द्वारा इस बारे मुख्य अभियन्ता दीपक परियोजना से पत्राचार किया गया जिसके उत्तर में उन्होने निवेदन किया है कि सड़क के डबल लाईन करने से प्रभावित गांव की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए ताकि यथासम्भव कदम उठाने का प्रयास किया जा सके।

निर्णय:–मुख्य अभियन्ता, दीपक परियोजना ने माननीय सदस्य को आश्वासन दिया कि सीमा संगठन मामले में पुनः परीक्षण करेगा। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

36. **जिला किन्नौर में सुचारू विद्युत आपूर्ति में तीव्र सुधार हेतु।**

i) 66 के0वी0 टावर लाईन जो निर्माणाधीन है समदो तक समय सीमा के भीतर पूर्ण करना

ii) मौजूदा 22 के0वी0 लाईन व भिन्न–भिन्न गांवों में छोटी विद्युत लाईनो सुरक्षित जगहों पर पोल लगवा कर गुणवत्ता पूर्ण तार (counductor) लगवाना ।

iii) बोगटू , आकपा के नजदीक व जरूरत के आधार पर समय सीमा के भीतर उपकेन्द्रों की स्थापना करना ।

iv) आधुनिक उपकरणों सहित भिन्न भिन्न स्थानों पर जरूरत के आधार पर नियन्त्रण बिन्दु स्थापित करना ।

v) जिला किन्नौर में विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजनाओं से मुख्य लाईन क्षतिग्रस्त होने पर आपदा के समय विद्युत आपूर्ति करने पर बाध्य पर जुर्मानों का प्रावधान करने बारे नितिगत फैसला ।

vi) जिला किन्नौर में आजतक लगभग 33 सौ मेगावाट बिजली उत्पादन होता है तथा भविष्य में अधिक उत्पादन की सम्भावना है। अतः जिला किन्नौर में घरेलू स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सामाजिक महत्व वाले संस्थान में चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क विद्युत मुहैया करने की नीति बारे ।

(राम सिंह नेगी,रोपा, किन्नौर)

विद्युत

पिछली बैठक में चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि लाहौल में निर्मित विद्युत प्रोजेक्ट उद्धारणतयः थिरोट परियोजना ने भी कभी भी अपनी निर्धारित 4 मैगावॉट क्षमता के मुताबिक विद्युत उत्पादन नहीं किया। बैठक में अवगत किया गया कि शायद विद्युत बोर्ड को अन्य उद्यमी से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वह इस परियोजना से 14–15 मैगावॉट बिजली उत्पादन कर सकता है जिसका एक हिस्सा पॉवर प्रोजेक्ट निर्माण के लिए रखेगा व शेष बिजली घाटी में स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध करवायेगा। प्रधान सचिव विद्युत ने सुझाव दिया कि घाटी की आवश्यकता पूर्ण होने के पष्चात् जो बिजली बचेगी व बतौर निर्माण कार्य के रूप में दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय ने विद्युत बोर्ड की कार्य प्रणाली पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की और खेद प्रकट किया कि यह कार्य कई वर्षो से अधूरे पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महादेय ने इन कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिला किन्नौर में बिजली की समस्या की चर्चा के दौरान यह अवगत करवाया गया कि यहां आपूर्ति grid के माध्यम से की जाती है तथा इसके अवरूद्ध होने पर लोगों को काफी कठिनाइओं का सामना करना पडता है। अतः इस स्थिति में बिजली आपूर्ति Stand Alone System(Isolation System) से की जानी चाहिए। प्रबंध निदेशक, हि0प्र0 रा0 विद्युत निगम लिमिटिड ने आश्वासन दिया इस माध्यम से बिजली आपूर्ति एक महीने के भीतर प्रदान कर दी जाएगी।

विभागीय उत्तरः– स्पिति उपमण्डल के लिए किन्नौर से लोसर तक 22 के0वी0 लाईन 66 के0वी0 टावरों पर निर्माण हेतु कार्य की स्थिति निम्न हैः–

1. **बोखटू से अकपा लाईनः**–बोखटू से अकपा तक 13.8 किलोमीटर,22 के0वी0 लाईन को 66 के0वी टावर पर बनाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इस लाईन को दिसम्बर,2006 में चालू कर दिया गया है। दिनांक 16.06.2013 से 18.06.2013 भारी वर्षा एवं प्राकृतिक आपदा के कारण इस लाईन के टावर संख्या 18 से 20 तक 3 टावर एवं लाईन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस क्षतिग्रस्त कार्य को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए दिनांक 16.12.2013 को मैसर्ज हेम पावर निर्माण गांव व डाकखाना टापरी जिला किन्नौर को 96.87 लाख रू0 में आवंटित किया गया है तथा इस कार्य को पूरा करने की अवधि 4 मास प्रदान की गई है, इस क्षेत्र के कार्य केवल मई /जून में ही शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस समय कार्यस्थल पर वर्फ पडी हुई है।

2. **अकपा से पूह लाईनः**– अकपा से पूह तक 22 के0वी0 लाईन को 66 के0वी0 टावरों पर बनाने के लिए सभी 110 टावरों को खडा कर दिया गया है तथा 34.67 किलोमीटर लाईन में से 28.680 किलोमीटर लाईन में तारें बिछा दी गई हैं। शेष 6.00 किलोमीटर में तारें बिछाने का कार्य प्रगति पर है। अकपा से स्पीलो तक लगभग 14 कि0मी0 लाईन चालू कर दी गई है। दिनांक 16.06.2013 से 18.06.2013 भारी वर्षा एवं प्राकृतिक आपदा के कारण इस लाईन के 14 टावर एवं लाईन, टावर संख्या 55 से 105 के बीच क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस क्षतिग्रस्त कार्य को पूर्ण करने के लिए 116.40 लाख रूपये का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है तथा इस कार्य को शीघ्र ही आवंटित कर दिया जाएगा। इस क्षेत्र के कार्य केवल मई/जून में ही शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस समय कार्यस्थल पर वर्फ पडी हुई है।

3. **पूह से काजा लाईनः**– पूह से काजा तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 107.00 किलोमीटर लाईन बनना प्रस्तावित है, जिसमें से बी0ए0डी0पी0 तथा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिनकी भौतिक उपलब्धियां निम्न हैः–

(क) **पूह से काजा तक (गलेशियर जोन)**:– इस लाईन की कुल लम्बाई 12.345 कि0मी0 है जोकि बी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत है। जिसमें खाब से का तक 3.9 किलोमीटर पोह

से सिचलिंग तक 5.995 किलोमीटर तथा लिंगटी से लिदांग तक 2.45 किलोमीटर का प्रावधान है। इस लाईन के निर्माण कार्य के लिए कुल 42 टावरों में से 29 टावर खड़े कर दिए गए हैं तथा 13 टावरों को खड़ा करने का कार्य जारी है। 9.445 किलोमीटर लाईन को चालू भी कर दिया गया है। शेष लाईन का कार्य प्रगति पर है।

(ख)पूह से काजा तक (स्लाईडिंग जोन) :— इस लाईन की कुल लम्बाई 28.52 कि0मी0 है जोकि 13 वें वित्त आयोग से स्वीकृत है। जिसमें पूह से खाव तक 10.47 किलोमीटर, का से चॉगो तक 13.3 किलोमीटर तथा समदो से हुरिलंग तक 4.75 किलोमीटर का प्रावधान है। इस लाईन के निर्माण कार्य के लिए कुल 102 टावरों का प्रावधान है। इस लाईन का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पूह से समदो तथा समदो से लिदांग तक फौरैस्ट कलीरैन्स केस तैयार किया गया है तथा वन विभाग के पास प्रकियारत है। FCA के अन्तर्गत फोरैस्ट कलीरैन्स स्वीकृति प्राप्त होने के बाद NPV charges / Forest Charges लगभग 11.50 करोड़ रूपये वन विभाग में जमा होंगे उसके बाद ही उपरोक्त लाईनों का कार्य किया जाएगा।

(ग) पूह से काजा तक (गलेशियर एवं सलाईडिंग जोन को छोड़कर):— गलेशियर एवं सलाईडिंग जोन को छोड़कर शेष लाईन की कुल लम्बाई लगभग 66.00 किलोमीटर है। सर्वेक्षण के अनुसार चांगो से समदो 13.00 किलोमीटर, हुरलिंग से पोह 33.00 किलोमीटर सिचलिंग से लिंगटी 8.00 किलोमीटर तथा लिदांग से काजा 12 किलोमीटर लाईन बनना प्रस्तावित है। इस लाईन के निर्माण कार्य के लिए अभी तक जन जातीय विकास विभाग से धन भी उपलब्ध नहीं हुआ है।

4. **काजा से लोसर लाईन**:— काजा से लोसर तक लगभग 50 कि0मी0 लाईन बनाने के लिए सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

(ii) जन जातीय जिला किन्नौर में 13वें वित्त आयोग से बी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत 22 के0वी एच0टी0 लाईन,पुराना पूह 22 के0वी0 कंट्रोल प्वाईट प्याला नाला से जगीं तक, प्याला नाला गलेशियर प्वाईट से 6 पोल स्ट्रक्चर स्पीलो तक व 22 के0वी0 फीडरों की पुर्नस्थापना, खारो से अकपा व पवारी से काशंग के मध्य 22 के0वी0 लाईनों को सुरक्षित व उचित जगहों पर पोल लगवाकर गुणवत्ता पूर्ण उच्च क्षमता की तार लगवाने के निर्माण कार्य के प्राक्कलन तैयार किए जा चुके हैं तथा निविदाएं प्रकिया जारी है विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आवंटित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 22के0 वी0 कंट्रोल प्वाईट रिकांगपिओ में पुराने ब्रेकरों को नये आधुनिकतम ब्रेकरों के साथ बदलने का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत सापनी के गांव बटूरी कडां में बचे हुए घरों के विद्युतिकरण हेतु किए जाने वाले कार्यों की निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी है व शीघ्र ही कार्य आवंटित कर दिया जाएगा। नाथपा से रिकांगपिओ तक के लिए शौंगटौंग कडछम परियोजना द्वारा जमा राशि से तारे बदलने का कार्य भी प्रगति पर है तथा 14 वे वित्त आयोग मे भी विभिन्न गांवो के लिए प्रस्तावित विद्युत लाईनों का प्रावधान रखा गया है।

(iii) योगटू से 220 / 66 / 22 के0वी0 सब–स्टेशन का निर्माण कार्य HPPTCL द्वारा किया जा रहा है। अकपा से 66 / 22 के0वी0, 1X6.3 एमवीए सब–स्टेशन के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लि0 द्वारा 781.00 लाख रू0 की स्कीम स्वीकृत की है। इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति दिसम्बर 2010 मे प्रदान की गई है। अकपा में सब स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। निर्माण कार्य के लिए भूमि 21.10.2013 को फर्म को दे दी गई है और कार्य प्रगति पर है।

(iv) 22 के0वी0 के नियन्त्रण केन्द्र थांगथंग,स्पीलो,सांगला व टापरी के अतिरिक्त 22 के0वी0 लाईनों की पुर्नस्थापना के निर्माण कार्यों को 14वें वित्त आयोग में प्रस्तावित किया गया है जिसे सरकार के अनुमोदन उपरान्त ही शुरू किया जाएगा।

यह सत्य है कि 4.5 मैगावाट थिरोट परियोजना में कभी भी अपनी पूरीक्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हुआ है। इस प्रोजैक्ट को 23.44 मिलियन यूनिट सालाना विद्युत उत्पादन के हिसाव से डिजाइन किया गया है तथा इसमें वर्ष 1995 से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। केवल वर्ष 1997–98 में अधिकतम 12.41 मिलियन युनिट का उत्पादन हो पाया है। इसका मुख्य कारण जून 1996 में इसकी जल संचालक प्रणाली(Water Conductor System) के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होना रहा।

जल संचालन प्रणाली के बार–बार क्षतिग्रस्त होने व परियोजना की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थाई समाधान हेतु 1175.30 लाख रूपये की योजना बोर्ड द्वारा 7/2006 में स्वीकृत की गई है। जिसमें 2.50 मीटर ब्यास की 1338 मीटर लम्बी सुरंग के निर्माण के अलावा ट्रेंच वेयर की आवश्यक मुरम्मत का कार्य भी किया जाना है। अब नई सुरंग तैयार हो चुकी है। और 12–7–2012 से नई जल संचालक प्रणाली (Water Conductor System) सुचारू रूप से कार्य कर रही है परन्तु ट्रेंच वेयर की मुरम्मत का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि घाटी में सर्दियों में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है जिसमें काम करना असम्भव होता है और सिर्फ नवम्बर व दिसम्बर माह में ही काम हो पाता है तथा गर्मियों में स्त्रोत में पानी बहुत बढ़ जाने के कारण ट्रेंच वेयर की मुरम्मत का कार्य सम्भव नहीं है इसलिए अभी पानी की उपलब्धता के अनुसार पावर हाऊस में प्रतिदिन विद्युत उत्पादन हो रहा है। जैसे ही ट्रैंच वेयर की मुरम्मत का कार्य पूरा होगा स्त्रोत का पूरा पानी विद्युत उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाएगा जिससे पावर हाऊस में पूरी क्षमता से विजली का उत्पादन होगा।

परन्तु 33 के0वी0 मनाली कारगा फीडर जो रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है, जिसके द्वारा इस पावर हाऊस से उत्पन्न बिजली(स्थानीय खपत के बाद शेष) ग्रिड में डाली जाती है सर्दियों के मौसम में प्रायः बन्द रहता है। अतः उस समय थिरोट पावर हाऊस की पूरी क्षमता का दोहन सम्भव नहीं होगा। बहुत से स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक (Independent Power Producers) जो लाहौल घाटी में अपने प्रोजैक्ट बना रहे हैं हिमाचल सरकार से अभ्यावेदन (Representation) कर रहे है कि 4.5 मैगावाट थिरोट प्रोजैक्ट को इसकी स्थापित क्षमता (Installed Capacity) पर लाने के लिए जीर्णेंद्वारा (Revovation) हेतु उन्हें सौंप दिया जाए। इन स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकों को प्रोजैक्ट निर्माण हेतु आवाध उर्जा उपलब्ध रहे इसके लिए वे इसकी क्षमता को भी 4.5 मैगावाट से 9 मैगावाट तक करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को दिनांक 04.02.2012 को हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

इस प्रोजैक्ट की देखरेख व परिचालन (O&M) हेतु इसे आऊट सोर्स (Out Source) करने के लिए दिनांक 17.01.2014 को अलग से प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूर किया कि आरम्भिक आऊट सोरिंग (Out Sourcing) पांच साल के लिए ओपन टेण्डर विडिंग (Open tender bidding) द्वारा की जाए।

निम्न उर्जा उत्पादन अवधि में थिरोट प्रोजैक्ट में केवल इतनी ही बिजली पैदा होती है जिससे घाटी के लोगों की जरूरत ही पूरी हो पाती है। अतः इस अवधि में स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकों को उनकी परियोजनाओं के निर्माण हेतु बिजली उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं होगा।

जिला किन्नौर में बिजली की आपूर्ति grid के माध्यम से की जाती है। यदि grid System में खराबी आ जाती है उस स्थिति में बिजली की आपूर्ति रौंगटौंग,लिंगटी व टिटौंग पावर हाऊस (Isolation System) से की जाती है।

निर्णयः– विभाग ने बैठक में आश्वासन दिया कि पूह तक का शेष कार्य अक्तूबर मास तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत काजा तक बिछने वाली लाईन के लिए शेष कार्य बारे विस्तृत रिर्पोट विभागीय नस्ति पर 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। विस्तृत चर्चा उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य की प्रगति और शेष कार्य की समीक्षा मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाए शेष कार्य के प्रत्येक भाग को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम सम्भव समय अवधि निश्चित की जाए जिसमें विद्युत बोर्ड को यह कार्य पूरा करना होगा। अध्यक्ष महोदय ने लाईन बिछाने का कार्य (दोनों छोर पूह से काजा तथा काजा से पूह)करने के निदेश दिए ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके।

37 सतलुज जल विद्युत निगम (NJPC) के प्रभावित क्षेत्रों को 1.1% रायल्टी देने बारे।

विद्युत नीति 2008 के पास होने के बाद जो प्रावधान प्रभावित क्षेत्र के लोगों को 1.1% रायल्टी देने का है NJPC प्रभावित क्षेत्रों में भी इसे शुरू किया जाए, क्योंकि यह नीति 2008 में आई जबकि परियोजना का उत्पादन 2004 से शुरू हुआ । इस परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के लोगो को कोई लाभ नहीं हुआ है । अतः निवेदन यह है कि 1.1% रायल्टी की विद्युत नीति इन प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र लागू करने हेतु विचार किया जाए।

(जगदीश चन्द, निचार,किन्नौर)

विद्युत

पिछली बैठक में विभाग ने सूचित किया कि मामले पर उच्च न्यायालय ने रोक (स्टे) लगाई है तथा अन्य IPPs भी इस केस में शामिल हो गये है । माननीय न्यायालय के निर्णय पश्चात् उचित कार्यवाही की जाएगी ।

विभागीय उत्तरः– विभाग नवीनतम स्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।

निर्णयः–बैठक में विभाग ने अवगत करवाया कि मामला अदालत में विचाराधीन है तथा GOI से स्पष्टीकरण Power Policy 2008 के अर्न्तगत प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर मसले को सुलझाया जाए। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

38 Local Area Development Policy, 2011 में परियोजना बनाने वाली कम्पनियों को छूट देने के परिणामस्वरूप जन जातीय क्षेत्रों के लोगों का जो नुकसान हुआ है, की भरपाई करने बारे ।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार ने वर्ष 2011 में लाडा (LADA Policy) में भारी संशोधन व परिवर्तन किया जिससे परियोजना निर्माण कम्पनियों को LADF में धन जमा किए बिना उनके द्वारा तथाकथित प्रभावित क्षेत्रों में किए गए कार्यों को समायोजित करने की छूट दी गई , जिससे LADF में पैसा जमा किए बिना कम्पनियों को करोड़ों रूपये का

की छूट दी गई , जिससे LADF में पैसा जमा किए बिना कम्पनियों को करोड़ों रूपये का फायदा मिला है जो न्याय संगत नहीं है । अतः इसे ठीक किया जाए ।

(जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष विधान सभा)

विद्युत/उपायुक्त किन्नौर

पिछली बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त उपायुक्त किन्नौर को यह निर्देश दिए कि उपायुक्त किन्नौर इस विशय पर निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करवाऐः–

1. Funds allocated out of affected areas in Distt. Kinnaur by power projects.
2. Funds utilizised out side Distt. Kinnaur.
3. List of works executed under LADF.

विभागीय उत्तरः– उपायुक्त किन्नौर से प्राप्त सूचना के आधार पर मुख्य अभियन्ता उर्जा/विद्युत ने निम्न प्रकार से नवीनतम समेकित उत्तर दिया हैः–

1. विद्युत परियोजनाओं द्वारा कोई भी Funds जिला किन्नौर के बाहर स्वीकृत नहीं किया गया।
2. LADF से मु0 2,00,000/–की राशि जिला किन्नौर से बाहर खर्च की गई है।
3. स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के कार्य सूची से पाया गया कि मु0 2,41,57,960/– रूपये की राशि ऐसे कार्यों को स्वीकृत की गई है जो कार्य सरकार की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि नीति निर्देश दिनांक 05–10–2011 के अन्तर्गत नहीं आते है।

निर्णयः– चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विद्युत विभाग को मु0 2,41,57,960/–रूपए की राशि किन–किन कार्यों के लिए खर्च की गई की विस्तृत रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर विभाग माननीय मुख्य मंत्री महोदय को विभागीय नस्ति पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

39. दूरसंचार सुविधा में सुधार की तीव्रता बारे।

मोबाईल टॉवर लगाने के नाम पर जिला किन्नौर में लगभग टेलीफोन (exchange) बन्द हैं, लैण्डलाईन फोन बन्द पडे है, केवल लाईन भी पूर्ण क्षतिग्रस्त स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण व आम आदमी की सुविधा हेतु पूरे टॉवरों को सेटेलाइट से जोडा जाए ।

(राम सिंह नेगी, रोपा, किन्नौर)

सामान्य प्रशासन/दूरसंचार

पिछली बैठक में इस मद पर यह निर्णय लिया गया कि सचिव सामान्य प्रशासन विभाग BSNL के अधिकारियों से शीघ्र कार्यवाही करने बारे अनुरोध करें तथा प्राइवेट कम्पनियों द्वारा दी जा रही दूरसंचार सुविधा में सुधार लाने बारे TRAI से भी मामला उठाएं ।

विभागीय उत्तरः–

दूरसंचारः– लैंड लाईन दूरभाष के बंद होने का मूल कारण केवल चोरी एवं रोड कटिंग मे ओ0एफ0सी0 का बार–बार खराब होना हैं। किन्नौर और स्पिति क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए 44 मोबाईल टॉवर लगाए गए हैं। मोबाईल सेवा टॉवरों को सैटलाईट कनेक्टिवीटी देने के लिए विभाग को सालाना सैटेलाईट स्पैक्ट्रम शुल्क के तौर पर भारी राशि अदा करना पडती है। यदि यह व्यय ट्राईबल सब प्लान के अंतर्गत जन जातीय निधि से मुहया करवाया जाए तो जन जातीय क्षेत्रों में संचार व्यवस्था और सुदृढ हो सकती हैं।

निर्णयः–अध्यक्ष महोदय ने सचिव सामान्य प्रशासन को प्राईवेट कम्पनियों द्वारा लगाए गये टॉवर तथा अव्यवस्थित दूरसंचार सुविधा बारे मामला ट्राय से उठाने का निर्देश दिया। तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

40. **B.S.N.L की मोबाईल व लैण्ड लाईन सेवा को सुचारू करने बारे ।**

(प्रीतम सिंह नेगी कल्पा किन्नौर)
सामान्य प्रशासन / दूरसंचार

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि BSNL जिला किन्नौर में स्थापित सभी मोबाईल टावरों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए तुरन्त मामला उठाएं ।

विभागीय उत्तरः–

दूरसंचार :– रिकांग पिओ के मध्य मिनि लिंक ने कार्य करना शुरू कर दिया है। नाको,नामगिया,ताबो, काजा और पूह में सोलर पैनल कार्य कर रहे हैं। ताबो और सगनम में सोलर पैनल लगाने का कार्य प्रगति पर है। दुर्गम जन जातीय क्षेत्रों में सभी जगह सोलर पैनल लगाने के लिए भी ट्राईबल फंड मुहैया करवाया जाए ताकि बिजली के अभाव में भी सुचारू संचार सुविधाए प्रदान की जा सके।

सामान्य प्रशासनः–विभाग नवीनतम स्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।

निर्णयः–माननीय अध्यक्ष महोदय ने सामान्य प्रशासन विभाग को मोबाईल टावरों पर सोलर पैनल बारे मामला TRAI से उठाने के निर्देश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

41 **पांगी घाटी में Broad Band सुविधा उपलब्ध करवाने बारे ।**

पांगी घाटी में दूरसंचार व्यवस्था तो है परन्तु ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे सरकारी कार्यालयों व स्थानीय लोगों को इन्टरनेट से ई–मेल भेजने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि पांगी घाटी में ब्रॉड बेड की सुविधा उपलब्ध करवानी अति आवश्यक है ताकि पांगी घाटी के कार्यालयों से सम्बन्धित ई–टेन्डरिंग, ई–समाधान, पी० एम० आई० एस० व अन्य सेवाओं से काम हो सके ।

(किशन चन्द चोपडा, पांगी)
सामान्य प्रशासन / दूर संचार

पिछली बैठक में इस मद पर यह निर्णय लिया गया कि सचिव सामान्य प्रशासन विभाग विषयगत मामले को appropriate authority से मामला उठाए।

विभागीय उत्तरः–

दूरसंचार :–पांगी घाटी में ब्राडबैंड सुविधा को सुचारू करने के लिए आप्टीकल फाईबर मीडिया व उचित क्षमता वाला सैटलाईट मीडिया का होना आवश्यक है। लेकिन उदयपुर- किलाड के मध्य भूमिगत ओ०एफ०सी० बिछाने की योजना को अधिकारियों की एक समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण मे तकनीकी रूप से असाध्य घोषित किया है। किलाड को तीसा से ओ०एफ०सी० केबल के माध्यम के लिए तकरीबन 105 किलोमीटर ओ०एफ०सी० केबल बिछाने की जरूरत पड़ेगी जिसका बिछाने और लोक निर्माण को सड़क के साथ काम करने की अनुमति के लिए लागत बहुत अधिक है। सर्दियों में मार्ग के बर्फ की वजह से अवरूद रहने और इलाके के भूस्खलन संवेदनशील होने की वजह से ओ०एफ०सी० का रखरखाव अत्यन्त कठिन है। दुर्गम जन जातीय क्षेत्रों के लिए सैटेलाईट माध्यम से संचार कनेक्टिवीटी सबसे सुदृढ माध्यम है। किलाड के लिए अतिरिक्त 8 एम०बी० क्षमता वाला आई०डी० आर० भी स्वीकृत है। जन जातीय क्षेत्रों में संचार

सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए अगर जन जातीय निधि से सहायता और सैटेलाईट स्पैक्ट्रम शुल्क में छूट मिले तो जन जातीय क्षेत्रों को पर्याप्त क्षमता के सैटेलाईट उपकरणों से जोड़ा जा सकता है।

सामान्य प्रशासन विभाग नवीनतम स्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।

निर्णयः– माननीय अध्यक्ष महोदय ने सामान्य प्रशासन विभाग को मामला TRAI से उठाने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

42 जनजातीय क्षेत्र से स्थानान्तरण बारे ।

जिला किन्नौर में सरकारी विभागों से पद सहित स्थानान्तरण पर रोक की आवश्यकता है जैसे कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निमार्ण विभाग, विद्युत विभाग व अन्य विभागों में मस्टरोल व ठेके पर लगे कर्मचारी नियमित होने पर पद सहित जिला से बाहर स्थानांतरित हो रहे हैं । परिणामस्वरूप जल व विद्युत आपूर्ति पूर्णतः प्रभावित हो रही है क्योंकि विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का अभाव है। इसलिए इस विषय में नीति बनवाई जाए ।

(राम सिंह नेगी, रोपा,किन्नौर)

कार्मिक

पिछली बैठक में इस विषय पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिए कि यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी सूचना है तो वे इसे उपलब्ध करवाये ताकि सम्बधित विभागो द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जा सके ।

विभागीय उत्तरः– समेकित मार्गदर्शी सिद्वान्त 2013 के पैरा 12 में Hard/Difficult/ Remote/Hard क्षेत्रों के नियुक्ति बारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पेटीशन सं0 1105/2006 में दिनांक 27–08–2007 को दिये गये निर्णय के अनुरूप प्रावधान प्रावधित किए गए हैं। पैरा 13 में जनजातीय/कठिन क्षेत्रों को स्थानांतरित अधिकारियों/ कर्मचारियों को भारमुक्त करने की प्रकिया दी गई है। इन सिद्वान्तों में पद सहित स्थानातरण बारे कोई प्रावधान निहित नहीं है। सभी विभागों द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करते समय इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

निर्णयः–माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य से जो भी अधिकारी/कर्मचारी पद सहित जिला से बाहर स्थानांन्तरित हुए हैं उन की सूची पद सहित उन्हें उचित कार्यवाही हेतू उपलब्ध करवाने के लिए आग्रह किया है ताकि इस विषय पर परीक्षण पश्चात् उचित कार्यवाही की जाए। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

43 खनन नीति बारे :–

निजी उपयोग के लिए स्थानीय हकदारो को रेत, बजरी सतलुज तट से लेने के हकूक तो हैं लेकिन वाहन द्वारा ले जाने पर चालान होता है । अतः बदलते परिवेश में स्थानीय लोगों को अपने उपयोग तथा विकासात्मक कार्य के लिए ढुलाई की अनुमति प्रदान की जाए ।

(अगर चन्द, कल्पा, किन्नौर)

उद्योग

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कि निजि भूमि/सरकारी भूमि जहा वाजिब–ऊल–अर्ज में हक हकूक निहित हो वहां स्थानीय लोगों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के दृष्टिगत खनन नीति को व्यवहारिक बनाए जाने को विभाग को निर्देश दिए।

विभागीय उत्तर :– इस सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायतें) संशोधित नियम,1971 के नियम–3(11) के अन्तर्गत कोई भी प्रार्थी अपने घरेलू प्रयोग हेतु अपनी निजि भूमि/सरकारी भूमि जिसमें वाजिब–ऊल–अर्ज में प्रार्थी के हक हकूक निहित हों से लघु अवधि परमिट दो माह की अवधि के लिए प्रदान करने का प्रावधान है तथा खनिज ले जाने हेतु प्रयोग किए गये जाने वाले वाहन का चालान नहीं किया जा सकता,बशर्ते उसके पास निर्यात पत्र होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति वन भूमि से घरेलू प्रयोग हेतू खनिज निकालता है व खनिज वाहन द्वारा ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो इस स्थिति में उक्त व्यक्ति के विरूद्व खन्न अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है तथा वाहन इत्यादि का चालान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में खनन नीति को स्थानीय लोगो की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा व्यवहारिक बनाया गया है तथा हि0 प्र0 सरकार ने वर्तमान में नई हिमाचल प्रदेश मिनरल पॉलिसी–2013 के नाम से लागू की है जिसमें प्रदेश की बहुमूल्य खन्न सम्पदा को बनाए रखने के लिए व उसके वैज्ञानिक व सुव्यवस्थित दोहन के लिए तथा अवैध खन्न पर नियन्त्रण करने के लिए प्रभावी प्रावधान किए गये हैं। इस नई खनन नीति–2013 की प्रमुख विशेषता यह भी है कि उक्त पॉलिसी में स्थानीय लोगों की निजि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि पत्थर व स्लेट के दोहन के लिए निजि भूमि में से खनिज को उठाने की अनुमति जो कि पहले तीन मास थी, से बढ़ाकर छः मास से तीन वर्ष तक की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त नीति में नदी–नालों के कटाव को रोकने के लिए व पानी के बहाव को सुनियोजित करने के लिए भी निजि भूमि में 1–00 हैक्टैयेर क्षेत्र तक रेत निकालने का प्रावधान रखा गया है ताकि स्थानीय लागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। परन्तु माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 5–8–2013 को पारित आदेश के अनुसार नदी– नालों में रेत व खनन कार्य पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने के कारण उक्त प्रावधान को अस्थाई रूप से स्थगित किया गया है तथा जैसे ही इस संदर्भ में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश पारित होते हैं तो प्रदेश में स्थानीय लोगों को उक्त नीति के अन्तर्गत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजि भूमि में से खनिज को निकालने की अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को असुविधा न हो।

निर्णयः–चर्चा एवं विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

44 **उद्योग विभाग के अन्तर्गत चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों में दिए जाने वाले अनुदान बारे ।**

उद्योग विभाग की ग्रामीण दस्तकार योजना/ग्रामीण औद्योगिक योजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षणार्थियों/ लाभार्थियों के छात्रवृति मानदेय अनुवर्ती अनुदान एवं अन्य संघटकों की राशि दरों में वृद्धि हेतु नीति बनाई जाए ।

(अगर चन्द, कल्पा, किन्नौर)

उद्योग

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभाग विषयगत मामले पर परीक्षण करे ।

विभागीय उत्तर :– ग्रामीण दस्तकार योजना/ग्रामीण औद्योगिक योजना के पुनः निर्माण हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत छात्रवृति व मानदेय की राशि बढ़ाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना की Revamping हेतु प्रस्ताव सरकार

के अनुमोदन हेतु भेजा गया है जिस पर निर्णय उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया जाएगा।

निर्णयः– चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने उद्योग विभाग को मामले में पुनः परीक्षण कर आगामी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के आदेश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

45 पेयजल की कमी बारे ।

पूह गांव में सिंचाई एवं पेयजल की कमी को देखते हुए मौसुमा ऋषि दोगरी से साईफन विधि द्वारा पानी लाने पर विचार किया जाए ।

(प्रीतम चन्द पूह, किन्नौर)
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

पिछली बैठक में प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ने अवगत करवाया कि डी0पी0 आर0 बनाई जा रही है तथा मई,2014 तक तैयार हो जाएगी।

विभागीय उत्तरः– मौसमा ऋषी दोगरी स्त्रोत से पूह गांव सिंचाई एवं पेयजल योजना बनाने के लिए अधिशाषी अभियन्ता द्वारा 04/07/2014 और 05/07/2014 को ग्राम पंचायत सदस्य श्री देव लोवटस, सोनम एवं सनडुप के साथ सर्वेक्षण किया गया था। यह स्त्रोत डुबलिंग पुल (NH-5) से लगभग 20 कि0मी0 की दूरी पर जोकि समुद्रतल से लगभग 4300 मीटर ऊचाई पर स्थित है तथा इसी स्त्रोत पर आधारित ऋषि दोगरी कूहल वर्ष 1991–92 में डी0डी0पी0 के अन्तर्गत निर्मित की गई थी। स्त्रोत के चारों तरफ गलेशियर पॉईंट तथा स्त्रोत के धंसने वाले क्षेत्र (Loose fragile strata) होने के कारण इस कूहल से सिंचाई नहीं हो रही है। ऋषि दोगरी स्त्रोत के तकनीकि रूप में अव्यहारिक पाये जाने के कारण पूह गांव के लिए पेयजल योजना अन्य source तीतन खड्ड के Power house की tailrace से योजना बनाने का कार्य out source किया गया है।

विभाग डी0पी0आर0 बनाने की नवीनतम स्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।

निर्णयः– अध्यक्ष महोदय ने विभाग को अगस्त के प्रथम सप्ताह में सांई प्रौजेक्ट के अधिकारियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र का दौरा करने के निर्देश दिए तथा मद को समाप्त कर दिया गया ।

46 मल निकासी बारे ।

ग्राम नामज्ञा में मल निकासी की योजना बनाई जाए ।

(प्रीतम चन्द, पूह किन्नौर)
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विभाग कार्य की feasibility हेतु परीक्षण करें ।

विभागीय उत्तरः– ग्राम नामज्ञा के लिए मल निकासी योजना बनाने के लिए पेयजल योजना का सम्बर्धन कार्य भी आवश्यक है क्योकि वर्तमान मे इस योजना द्वारा केवल 70 LPCD ही पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि मल निकासी योजना बनाने के लिए कम से कम 120 LPCD पानी की मात्रा की आवश्यकता है। इस योजना को बनाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता मण्डल पूह द्वारा 02/09/2014 को प्रधान ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया है कि वह

पेयजल योजना के सम्वर्धन हेतु स्त्रोत का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा मल निकासी लाईन और सयंत्र लगाने के लिए अपनी सहमति तथा जमीन उपलब्ध करवाएं, जोकि अभी तक अपेक्षित है। विभाग द्वारा इस योजना के सर्वेक्षण तथा अनवेषण का कार्य out source किया गया है। योजना की डी0पी0आर0 बनाने का कार्य पंचायत से अनापति प्रमाण पत्र तथा सहमति और जमीन उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही बनाई जाएगी।

निर्णयः– विभाग को पंचायत से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है तथा प्राक्कलन भी तैयार हो चुका है । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जन जातीय विकास विभाग विभाज्य राशि में इस कार्य के लिए धनराशि का प्रावधान करेगा ।

47. पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग आई0पी0एच0 विभाग मे ई0 टैन्डर प्रकिया समाप्त करने बारे ।

पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग एवं आई0पी0एच0 विभाग से इस जिला मे ई0 टेन्डर प्रकिया समाप्त की जाए।

(प्रीतम सिंह नेगी, कल्पा, किन्नौर)

लोक निर्माण /सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

पिछली बैठक मे विस्तृत चर्चा उपरान्त विशयगत मामले मे यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितिओं, technical manpower, internet connectivity तथा बिजली आपूर्ति समस्या को ध्यान में रखते हुए tendering की दोनों प्रणालियों (E-tendering तथा manual) निर्धारित राशि तक लागू करेगा ताकि tendering प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाया जा सके ।

विभागीय उत्तरः–

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्यः– जनजातीय क्षेत्रों की समस्या को ध्यान मे रखते हुए सरकार द्वारा दिनांक 26–11–2013 को जारी निर्देशानुसार 30 लाख रूपयें व इससे कम दर के टेण्डर हेतु दोनो प्रणालियो अर्थात E-tendering तथा Manually से इन क्षेत्रों मे विकल्प के प्रावधान से कार्य किया जा रहा है।

लोक निर्माणः– हिमाचल सरकार के पत्र संख्या PBW(B) F(2)3/2012 दिनांक 20-09-2014 द्वारा e-tendering की प्रकिया 10 लाख और इससे ऊपर वाले कार्य के लिये निर्धारित की गई है। 10 लाख के नीचे की राशि वाले कार्य के टैण्डर manual प्रणाली द्वारा लगाये जा रहे हैं।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मामले को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

48 **टेन्डरों के फार्म छोटे करने बारे ।**

टेन्डरों के फार्म छोटे किए जाए ताकि C व D क्लास के ठेकेदारों को भी काम मिल सके ।

(प्रीतम सिंह नेगी, कल्पा, किन्नौर)

लोक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

पिछली बैठक मे चर्चा उपरान्त विषयगत मामले मे पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय उत्तर–

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्यः–किसी एक क्षेत्र/ जिला के लिए टैण्डरों के लिए निर्धारित मापदण्डों मे बदलाव लाना व्यवहारिक नही लगता।

लोक निर्माणः– कार्य को सक्षम अधिकारी द्वारा Split-up करने का प्रावधान पहले से ही है इसमें कोई भी action लेने की आवश्यकता नही है।

निर्णयः– विभागीय उत्तर एवं चर्चा अनुसार तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

49. LPG गैस का गोदाम भी स्पीलो में खोलने बारे।

LPG गैस का गोदाम भी स्पीलो में खोला जाना अति आवश्यक है क्योंकि गैस सिलेन्डर स्पीलो होते हुए लगभग 30–35 कि0 मी0 पूह के गोदाम में ले जाया जाता है। जहां से इसे वितरण के लिए वापिस नेसंग,स्पीलो,कानम,लाबरंग मूरंग व ठंगी आदि पंचायतों को भेजा जाता है जिसके कारण उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भाड़ा चुकाना पड़ता है।

(नरेश कुमार, स्पीलो, किन्नौर)
खाद्य एवं आपूर्ति

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने विभाग को निर्देश दिए कि जन जातीय क्षेत्रों में रियायति दरों में मिलने वाले 9 LPG cylinder की आपूर्ति जन जातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत रखते हुए जन जातीय क्षेत्र के लोगों को उनकी सुविधानुसार आगामी वर्षों के लिए मामला भारतीय तेल निगम से उठाए ताकि वे सर्दियों से पूर्व या अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में बचे cylinder जो उन्हें सर्दियों में उपलब्ध नहीं होता, को प्राप्त कर सकें।

विभागीय उत्तरः– जन जातीय क्षेत्रों में रियायती दरों पर मिलने वाले 9 LPG घरेलु सिलेण्डरों के स्थान पर सरकार द्वारा वित वर्ष 2014–15 के माह अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को भी सरकार की नीति अनुसार वर्ष 2014–15 हेतु 12 सिलेण्डरों की मांगानुसार आपूर्ति की जाएगी।

निर्णयः– माननीय अध्यक्ष महोदय ने LPG गैस का गोदाम स्पीलो में खोलने बारे विभाग को पुनः परीक्षण के आदेश दिए ।

50. पांगी घाटी में पैट्रोल पम्प खोलने बारे ।

पांगी घाटी में पैट्रोल पम्प का होना अति आवश्यक है क्योंकि घाटी में इस समय सरकार व स्थानीय लोगों के पास गाड़ियों की संख्या अधिक है जिस कारण डीजल व पैट्रोल भरने के लिए घाटी से तांदी, मनाली, किश्तवाड़ जाना पड़ता है । अतः महोदय से अनुरोध है कि घाटी में एक पैट्रोल पम्प खोला जाए ।

(किशन चन्द चोपड़ा, पांगी)
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने विभाग को यह निदेश दिए कि पांगी घाटी में भी पैट्रोल पम्प काजा में स्थानीय पैट्रोल पम्प के pattern पर खोलने बारे विभाग तुरन्त पग उठाए ।

विभागीय उत्तरः– आवासीय आयुक्त पांगी द्वारा भूमि का चयन कर लिया गया है, परन्तु भारतीय तेल निगम के पत्र दिनांक 20–11–2013 व निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एफ0डी0 एस0 एच0(4) 7/93–10–247 दिनांक 6–1–2014 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि0 प्र0 में दायर याचिका संख्या CWP 3723/2010 के निर्णय में यथा स्थिति रखने के दृष्टिगत फिलहाल मामला स्थगित रखा गया है।

निर्णयः–माननीय अध्यक्ष महोदय ने आवासीय आयुक्त पांगी को पांगी घाटी में पैट्रोल पम्प खोलने हेतु समस्त औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात दस्तावेज सम्बन्धित विभाग को सौंपने के आदेश दिए । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

51. **पांगी किलाड़ में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी का पद सृजित करने बारे।**
किलाड़ में लोक सम्पर्क विभाग का कार्यालय कार्य कर रहा है इस कार्यालय में एक कार्य देखने हेतु मात्र एक चतुर्थ श्रेणी तथा सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी जोकि लोक सम्पर्क विभाग डलहौजी से अस्थाई तौर पर नियुक्त किया गया है परन्तु अब उसे वापिस डलहौजी भेजा गया है और यहां पर कार्यालय बन्द हो गया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि किलाड में एक सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी का पद सृजित किया जाना जरूरी है।

(राम चरण राणा, पांगी)
लोक सम्पर्क

पिछली बैठक में विभाग ने सूचित किया कि विषयगत मामले को पुनः वित्त विभाग से उठाया जाएगा।

विभागीय उत्तरः– पांगी उपमण्डल में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी के पद को सृजित करने का मामला विभाग ने पुनः वित्त विभाग से उनकी सहमति हेतु उठाया गया था परन्तु इस मामले पर वित्त विभाग ने अपनी असहमति व्यक्त की है।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया ।

52. **पांगी घाटी के किलाड़ में भारतीय सेना भर्ती केन्द्र खोलने बारे।**
पांगी घाटी के कोई भी नौजवान भारतीय सेना में भर्ती नहीं हुए है क्योंकि यहां पर नौजवानों को भरती के बारे कोई भी सूचना नहीं मिलती है तथा भर्ती होने के लिए पालमपुर जाना पड़ता है। महोदय के ध्यान मे लाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले किलाड में भारतीय सेना के अधिकारी नौजवानों की भर्ती के लिए आते थे परन्तु अब इसे बन्द कर दिया गया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड में भारतीय सेना का भर्ती केन्द्र खोला जाए।

(राम चरण राणा, पांगी)
सैनिक कल्याण विभाग

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विषयगत मामले को सेना की पश्चिमी कमाण्ड से उठाया जाए ।

विभागीय उत्तरः– (A) In the present system where recruitment is carried out through open rallies the location of an ARO has no bearing on recruitment process, as rallies are conducted away from permanent location and it is ensured that each District is covered at least once,if not twice in a recruitment year.

(B) Area of Killar of Pangi Valley is adequately covered by Chamba District and Chamba District is located under the jurisdiction of Army Recruitment Office(ARO),Palampur. Candidates from these Districts are being recruited regularly.Presently, there is no difficulty in meeting the recruitment target from this area and setting up of an additional ARO is not under consideration.

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया ।

भाग–2

जन जातीय सलाहकार परिषद् की 44वीं बैठक हेतु कार्यसूची मद्दें।

1 **CAT Plan के अन्तर्गत होने वाले कार्यों के बारे।**

जिला किन्नौर में CAT Plans के बजट को अन्य इलाकों में divert होने से लोगों मे भारी रोष है। शोंगटोंग–कड़छम CAT Plan को मु0 20 करोड़ रूपये ECO Battalion जो कि मण्डी जिला में तैनात है को divert किया गया जबकि नियमानुसार CAT Plan एरिया specific होता है और उसका पूरा बजट कैचमैंट एरिया में ही व्यय किया जाता है।

CAT Plan के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में User Group व परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों के सहयोग व सहमति से योजना बनाने व अनुमोदन जिला योजना समिति से करने बारे ।

क्षेत्र की आवश्यकताओं के मध्यनजर ऊपरी सीमा कुल बजट में से निर्धारण न करने बारे विचार विमर्श।

(ii) किन्नौर जिला के CAT Plan की धनराशि किन्नौर जिला में ही व्यय करने तथा जिला से बाहर व्यय न करने बारे।

(iii) पूह खण्ड विशेषकर पूह तहसील व हंगरंग उप तहसील के लोगों को टी0डी0 के बदले अनुदानित दर पर (Subsidized Rate) इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाने बारे।

जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष, विधान सभा
राम सिंह नेगी, रोपा, किन्नौर
वन विभाग

विभागीय उत्तर –प्रदेश सरकार द्वारा कैट प्लान बनाने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कैट प्लान में Eco Battalion के लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रावधान रखा गया है। इसी के अनुरूप शौंगटोंग कडछम कैट प्लान में 21.40 करोड़ रूपये Eco Task Force (ETF) हेतु रखे गये हैं शोंगटोंग कड़छम केट प्लान के सन्दर्भ में यह बताना उपयुक्त होगा कि इस कैट प्लान के लिए उपलब्ध धनराशि कुल 60.40 करोड़ रूपये थी जबकि इसके कैचमैंट में जो कार्य किए जा सकते थे उनका कुल खर्च 39 करोड़ ही बनता था। इसलिए शेष 21.40 करोड़ रूपये को Eco Task Force के बजट हेतु व अन्य स्थानों पर Comprehensive Cat Plan को कार्यन्वयन हेतु कैट प्लान में ही प्रावधित किया गया है। इसी के अनुरूप इस 21.40 करोड़ रूपये Eco Task Force पर खर्च किया जा रहा है। Eco Task Force की A कम्पनी सतलुज कैचमैंट में ही कार्यरत है। केवल B कम्पनी ब्यास कैचमैंट में कार्यरत है। प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जब तक ETF के लिए बजट के वैकल्पिक स्त्रोत की व्यवस्था नहीं होती तब तक इसको बजट का प्रावधान वर्तमान की कैट प्लानों से ही किया जाना है । CAT Plan एक तकनिकी दस्तावेज होता है जो प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बनवाया जाता है तथा वन विभाग मे विभिन्न स्तरो पर पड़ताल के पश्चात् अनुमोदित किया जाता है। इसका मुख्य

उद्देश्य जल ग्रहण क्षेत्र का उपचार करना होता है ताकि स्थानीय परिस्थिती को सुदृढ़ बनाकर परियोजना को न्यूनतम गाद वाला पानी सतत मिलता रहे। जल ग्रहण क्षेत्र परियोजना के बांध/Diversion Point से ऊपर का क्षेत्र होता है जहां परियोजना का साधरणतः कोई निर्माण कार्य नहीं होता फिर भी जल ग्रहण क्षेत्र में रहने वाली आबादी पर यदि परियोजना का कोई पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव पड़ता है तो उसके निराकरण के उपाय CAT Plan में रखे जाते हैं। कई कैट प्लान का क्षेत्र एक से अधिक जिले में भी पड़ता है। वर्तमान में कैट प्लान को जिला योजना समिति से अनुमोदित कराने से कोई सार्थक परिणाम अपेक्षित नहीं है।

(i) प्रदेश सरकार द्वारा कैट प्लान बारे जारी दिनांक 30.09.2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार कैट प्लान का size कुल परियोजना व्यय का न्यूनतम 2.5 प्रतिशत होना अनिवार्य है लेकिन अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है तथा क्षेत्र में वास्तविक रूप से जो कार्य करवाये जाने वांछित है उनका समावेश किया जा सकता है परन्तु यहां यह लिखना उपयुक्त होगा कि यह 2.5 प्रतिशत भी परियोजना प्रस्तावना (Project Proponents) व उर्जा विभाग द्वारा अधिक बताए जा रहे हैं क्योंकि इससे परियोजना की आर्थिक क्षमता (Economic Vialility) कर असर पड़ता है। मामला नीतिगत है एवं सरकार को निर्णय लेना है।

(ii) कैट प्लान की राशि कैटप्लान दस्तावेज के अनुरूप ही खर्च की जाती है। कुछ कैट प्लान के उपचार क्षेत्रों में और अधिक कार्य करवाए जाने की संभावना नही होती । ऐसी दशा में उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि को अन्य व्यापक कार्यों पर खर्च किया जाता है। यहां यह लिखना भी उपयुक्त होगा कि वन विभाग द्वारा सतलुज बेसिन के लिए Comprehensive Cat Plan (CCP) बनाई गई है ताकि कैट प्लान को परियाजना विशेष (Project specific) न रखा कर बेसिन बार व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि पूरे बेसिन में जहां परियोजना नहीं भी है वहां भी परिस्थितिक संतुलन हेतु कार्य किए जा सके। इस CCP के कार्यान्वयन हेतु धन परियोजना विशेष Cat Plans के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि को Pool करके ही प्राप्त हो सकता है CCP को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाए यह विषय विभाग के विचाराधीन है।

(iii) सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जारी की गई टी०डी० नीति में लोगों को टी०डी० के बदले अनुदानित दर (Subsidized rate) पर इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नहीं है।

निर्णयः–(i) विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(ii) बैठक में चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने वन विभाग को मामले में पुनः जांच करने के निर्देश दिए । तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(iii) विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

2. **रिकांग पिओ के बालन लकड़ी डिपो में लकड़ी उपलब्ध न होने बारे।**

रिकांगपिओ के बालन लकडी डिपो में लकडी उपलब्ध करवाई जाए।

प्रीतम सिंह, कोठी किन्नौर
वन विभाग

विभागीय उत्तर :— बालन डिपो रिकांगपिओ में बालन लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।
निर्णयः—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

3. कोमिक गांव में लकड़ी का डिपो खोलने बारे।
ग्राम पंचायत लांगचा के कौमिक गांव में एक लकड़ी वितरण का डिपो खोला जाए ताकि वहां के लोगों को कोई परेशानी न हो। यह डिपो सर्दियों से पहले खोलने की कृपा करें।

दोरजे छोपेल, काजा लाहौल स्पिति
वन विभाग

विभागीय उत्तर :— यह मामला विभाग के विचाराधीन है।
निर्णयः— इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 17 एंव 18 पर हो चुकी है । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

4. Tribal Status बहाल करने बारे।
पूह उपमण्डल के वन विभाग के अकपा, पूह व यंगथंग फोरेस्ट रैंज को जनजातीय स्थिति (Tribal Status) बहाल करने बारे।

नरेश कुमार नेगी, स्पीलो किन्नौर
वन विभाग

विभागीय उत्तर :— जन जातीय–II पूह उपमण्डल के अकपा (मूरंग) पूह व मालिंग वन परिक्षेत्र पहले ही जन जातीय क्षेत्र का भाग है परन्तु इन वन परिक्षेत्रों में पौधरोपण व उनके रख रखाव के कार्यों पर जन जातीय –I के मानक (Norms) के आधार पर बजट आबंटित किया जा रहा है जबकि इन क्षेत्रों में वर्ष 2010–11 से पहले जन जातीय–II शुष्क क्षेत्र (Dry Zone) के मानक लागू होते थे। इन मानको को पुनः बहाल करने हेतु मामला विचाराधीन है।
निर्णयः—बैठक में विभाग ने सूचित किया है कि माननीय सदस्य द्वारा जैसा चाहा गया है विभाग मामले में कार्यवाही कर रहा है । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

5. Forest Road निचार से पानवी को चौड़ा करने बारे।
निचार पानवी पैदल पथ कई जगहों से कटा है व काफी वर्षों से मुरम्मत नहीं होने से पैदल चलना मुश्किल हो गया है इसकी तुरन्त मुरम्मत की जाए।

जगदीश नेगी, निचार, किन्नौर
वन विभाग

विभागीय उत्तर :— यह सत्य है कि निचार से पानवी पैदल पथ (Forest Path) को कई वर्षों से मुरम्मत नहीं किया गया है जिस कारण यह पथ कई जगहों से कटा हुआ है तथा इसे मुरम्मत किया जाना आवश्यक है। अतः इस कार्य हेतु वर्ष 2015–16 के बजट में उचित धन राशि का प्रावधान रखा जाएगा।
निर्णयः—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

6. Forest Road निचार को पक्का करने हेतु धन मुहैया करवाने बारे।
निचार लिंक रोड जिरो पौइंट से फोरेस्ट रैस्ट हाउस निचार करीब एक कि0मी0 कच्चा रोड

है इसे शीघ्र पक्का करना जरूरी है इसे पक्का किया जाए।

जगदीश नेगी, निचार, किन्नौर
वन विभाग

विभागीय उत्तर वनः— निचार लिंक रोड, जिरो पौंइट से FRH Nichar करीब एक कि0मी0 कच्चा रोड़ को पक्का करने व मुरम्मत हेतु इस वर्ष NJPC Cat Plan के अन्तर्गत 10 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है तथा कार्य प्रगति पर है।

निर्णयः— विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

7. **उरनी ढांक के नीचे से एक छोटी सुरंग के निर्माण करने बारे।**

राष्ट्रीय उच्च मार्ग 22(5) टापरी से चोलिंग तक उरनी ढांक में भूमि कटाव के कारण बाधित है। उरनी ढांक के नीचे से एक छोटी सुरंग जिसकी लम्बाई लगभग 500 मीटर तक की होगी, का निर्माण कराना जनहित व सीमा रक्षा बल के लिए बहुत आवश्यक है। अतः केन्द्र सरकार से इस कार्य के लिए उचित धनराशि के प्रावधान हेतु आग्रह किया जाए।

जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष विधान सभा
लोक निर्माण विभाग

विभागीय उत्तर :— राष्ट्रीय उच्च मार्ग —22 (नया रा0 उ0 मा0—05) जो उरनी नामक स्थान पर दिनांक 16 व 17 जून, 2014 से लगातार बन्द है, का निरीक्षण भूतल एवं परिवहन मन्त्रालय के कार्यालय एवं हि0प्र0 लोक निर्माण के उच्च अधिकारियों द्वारा 11 एवं 12 अक्तूबर, 2014 को किया गया। भू—स्खलन की रोकथाम तथा सड़क को खोलने के लिए सलाहकार के साथ विस्तृत विचार कर उसे योजनाबद्व तरीके से कार्य करने के लिए कहा गया है और कार्य जारी है। इसी भू—स्खलन के साथ एक छोटी सुरंग निर्माण बारे भी विस्तृत चर्चा की गई जिसका निर्माण परिवहन मन्त्रालय द्वारा निर्णय के बाद अमल में लाया जाएगा।

निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि इस कार्य के लिए सलाहकार (consultant) नियुक्त करें तथा इस मामले का परीक्षण करवायें तथा स्थानीय लोगों को भी इसमें भागीदार बनाया जाये और एक युक्ति संगत तरीके से पुनः निरीक्षण करवा कर मामला भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से उठाया जाये।

8. **राष्ट्रीय राजमार्ग न0—5 को वांगतू से लेकर खाब तक दरूस्त करने बारे।**

राष्ट्रीय राजमार्ग न0—5 को वांगतू से लेकर खाब तक दरूस्त किया जाए। खास कर करछम से लेकर खारो व आगे जंगी से लेकर खाब तक N.H No-5 की हालत बहुत ही खराब है इस सड़क पर छोटे व भारी वाहनों को चलाना बहुत ही जोखिम भरा है तथा खराब सड़क की वजह से पर्यटन पर भी इस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । जहां — जहां भी B.R.O द्वारा सड़क चौड़ा करने का कार्य पूर्ण किया गया है उसको शीघ्र ही पक्का किया जाए।

नरेश कुमार नेगी, स्पीलो किन्नौर
लोक निर्माण/सीमा सड़क संगठन

विभागीय उत्तर :—

सीमा सड़क संगठनः--It is intimated that the road sector from Km 336.00(Wangtu) to KM 368.00(Poari) has been handed over to State

PWD on 19 Aug 2014. At present responsibility of maintenance of roads helds with state PWD.The road sector from Km 368.00 to Km 424.00 has been properly maintained. However land slides take place at certain location due to fresh formation cutting and rainfall which are being cleared on regular basis.Regular maintenance of road sector being carried out to facilitate the smooth movement of traffic.The road sector where formation works completed, surfacing works are under progress.

लोक निर्माणः– इस विषय में सूचित किया जाता है कि यह सड़क काक्स्थल से पवारी सन्धिस्थान तक दिनांक 19–08–2014 को लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च मार्ग) रामपुर मण्डल को BRO द्वारा हस्तांतरित की गई है। उसके पश्चात् सड़क को दरूस्त करने के लिए विभागीय मजदूरों और जे0सी0बी0 को लगाकर मुरम्मत की गई है। काक्स्थल से पवारी सन्धिस्थल तक सड़क को पक्का करने के लिये परिवहन मन्त्रालय द्वारा 2013–14 में सड़क को पक्का करने हेतू मु0 2226.22 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। जिसकी निविदा आमंत्रित कर तकनीकी बोली (Technical bid) हो रही है। जैसे ही यह कार्य आवंटित किया जाता है, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य है वह रली से लाल ढांक और शौगढंग से पवारी सन्धिस्थान तक कई जगह पर सड़क की चौड़ाई अभी नहीं हुई है। आगामी वित वर्ष 2014–15 के लिए काक्स्थल से पवारी सन्धिस्थान तक सडक सुरक्षा के लिए 24 करोड़ का बजट का प्रावधान वार्षिक योजना के अन्तर्गत किया गया है जिसका प्राक्कलन परिवहन मन्त्रालय को भेजा गया है तथा शेष भाग पवारी सन्धिस्थान से आगे को सड़क का निर्माण व रख–रखाव BRO द्वारा किया जा रहा है।

निर्णयः– इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 31 एंव 32 पर हो चुकी है । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

9. **PWD के J.E का हैडक्वाटर निचार में करने बारे।**

पौंडा से J.E हैड क्वार्टर पलिंगी जाने के कारण निचार व निचार के लिंक रोड से सम्बन्धित कार्य नहीं हो पा रहे है। निचार में PWD के दो J.E आफिस व रैजिडैन्स क्वार्टरज अभी है। लोगों की मांग है कि J.E. निचार से ही कार्य करें।

जगदीश नेगी, निचार किन्नौर

लोक निर्माण विभाग

विभागीय उत्तर :– इस मद के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि जे0ई0 का हैडक्वाटर निचार कर दिया गया है ।

निर्णयः– माननीय सदस्य ने अवगत करवाया कि यदि मुख्यालय स्थानान्त्रित हो गया है परन्तु J.E. निचार में नहीं बैठते अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि विभाग J.E. का निचार में बैठना तथा वहां से कार्य करना सुनिश्चित करेगा। तदानुसार मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

10. **किलाड़ में मैकेनिकल का सब डिविजन खोलने बारे।**

महोदय जी पांगी घाटी के किलाड में मैकेनिकल का सब डिविजन नहीं है तथा यहां पर एक कनिष्ठ अभियन्ता है जो कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल के अधीन है। अतः

महोदय जी से निवेदन है कि पांगी घाटी के किलाड में मैकेनिकल का सब डिविजन खोला जाए।

किशन चोपड़ा पांगी
लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :– किलाड़ में इस समय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मैकेनिकल विंग का अनुभाग है। मण्डल के अधीन 4 जीपे, 3 टिपर, 2 जे0सी0बी, 2 डोजर ,3 रोड रोलर, 1 होट मिक्स प्लाट, 1 स्टोन क्रशर तथा 15 एयर कम्प्रेशर हैं। उक्त मशीनों को समय–समय पर विशेष मुरम्मत के लिए चम्बा या कुल्लू में लोक निर्माण विभाग की कार्यशाला या निजि कार्यशाला में काम करवाना पड़ता है। अतः अगर किलाड़ में लोक निर्माण विभाग का यांत्रिक उप मण्डल खोल दिया जाता है तो इस मण्डल में कार्यरत मशीनरी के रख रखाव में आसानी होगी तथा कार्य के स्तर में भी प्रगति आयेगी।
निर्णयः–बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले का परीक्षण करके वित्त विभाग से उठाने के आदेश दिए । तदानुसार मद्‌द को समाप्त कर दिया गया।

11. **एन0एच0–21 सड़क की मुरम्मत व जल्द ठीक करवाने बारे।**
एन0एच0–21 सड़क की हालत ठीक नही है। राहनी नाला से लेकर कोकसर के बीच सड़क की हालत बहुत खराब है। कई जगह सड़के टूटी पडी हैं, कुछ जगहों में टारिंग की गई है और कुछ जगहों पर टारिंग का नामोनिशान तक नहीं है। कोकसर से आगे शलिंग गांव तक 93 किलोमीटर तक टारिंग वर्ष 2011–12 में हो चुकी है। उससे आगे केलांग तक टारिंग का काम नहीं हो पाया है और सड़कों के किनारे बजरी आदि ढेर लगा रखा है जिससे सड़क तंग हो गई है और कई जगह टूटी फूटी होने की वजह से आम आदमियों को परेशानी का सामना करना पडता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इन सड़कों को शीघ्र ठीक करवाया जाए।

नवांग बौद्ध लाहौल स्पिति
लोक निर्माण/सीमा सड़क संगठन

विभागीय उत्तर :–विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएंगे ।
निर्णयः–मुख्य अभियन्ता,सीमा सुरक्षा बल एवं दीपक प्रोजैक्ट ने बैठक में बताया कि उनके पास भी सीमित कार्य क्षमता के मध्यनजर सभी सड़कों में कार्य करना सम्भव नहीं होता परन्तु जहां–जहां भी वन विभाग की स्वीकृति (clearence) प्राप्त है उन स्थानों पर सड़क की मुरम्मत कर दी गई है। 7 कि0मी0 की (clearence) मिली है जिस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होने कहा कि जहां तक सम्भव होगा सड़क को Trafic योग्य बनाया जाएगा। विभागीय उत्तर एवं चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

12. **अन्दरलाग्रां को सड़क से जोड़ने बारे।**
महोदय के ध्यान में लाया जाता है कि होली से तत्तापानी अन्दलाग्रा सड़क वर्ष 1986–87 से बजट में है। जिस स्थान से सड़क का सर्वे हुआ था उस स्थान पर होली प्रोजेक्ट का कार्य चल पड़ा और उस समय विभाग ने अन्द्रलाग्रां वासियों को आश्वासन दिया कि जो 350 मी0 ढांक है उस स्थान पर विभाग हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड पाईप को underground कर देगा । 1995–96 में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने ढांक को छोडकर आगे का कार्य शुरू कर दिया लेकिन 1997 में सरकार बदल गई और हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड ने हमारी एक भी नही

सुनी और पाईप को ओपन ही डाल दिया जिस कारण गांव अन्द्रलाग्रां के लोग आज तक सड़क से वंचित है। हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग ने जो 350 मी0 ओपन पाईप डाली है उसके ऊपर लैंटर डाल कर रोड़ बनाने बारे प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसकी स्वीकृति हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड से दिलाने की कृपा करें ताकि गांव अन्द्रलाग्रां के लिए सड़क की सुविधा मिल सके।

शुभकरण सिंह, भरमौर चम्बा
लोक निर्माण/विद्युत

विभागीय उत्तर:–

लोक निर्माण:– यह सत्य है कि अन्दरलाग्रां सड़क निर्माण हेतु वर्ष 1986–87 से बजट मे सम्मिलित है। उक्त सड़क के मध्य होली–बजोल पावर प्राजैक्ट ने पाईप लाईन बिछाने का कार्य आरम्भ किया और राज्य विद्युत बोर्ड ने आश्वासन दिया था कि उक्त Transmit line को अन्डरग्राउंड कर दिया जाएगा। अतः इस विभाग ने उक्त को छोड़कर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था, परन्तु यह भाग अभी तक सड़क निर्माण से वंचित है। यद्यपि इस विभाग द्वारा उक्त भाग के 350 मीटर ओपन पाईप के ऊपर लैंटर डालकर सड़क बनाने हेतु प्राक्कलन तैयार करके इसको अग्रिम स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है। इस सड़क के निर्माण कार्य में भूमि मालिकों की निजि भूमि आ रही है जिसके लिए Gift Deed लेने हेतु अथक प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु अब तक लोगों ने अपनी निजि भूमि Gift Deeds के रूप में उपलब्ध नहीं कराई है।

विद्युत:– हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन होली–जल विद्युत परियोजना का कार्य जल अन्वेषण मण्डल भरमौर द्वारा अप्रैल,1996 में शुरू किया गया था तथा इसमें 27–11–2004 से उत्पादन शुरू हो गया था। प्राजैक्ट के कार्य के दौरान पाईप को अंडरग्राउंड करने के आश्वासन के बारे में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास कोई लिखित जानकारी/दस्तावेज नहीं है। होली जल विद्युत परियोजना में पाईप को प्रोजैक्ट की स्वीकृत ड्राईंग के अनुसार ही डाला गया है। जहां तक होली परियोजना के पाईप के ऊपर सड़क बनाने हेतु सलैब डालने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि इसमें 150 मीटर खुली नहर बनी हुई है तथा शेष 200 मीटर पाईप बिछी हुई है। अगर इसको भूमिगत किया जाता है और ऊपर से सड़क बनाई जाती है तो किसी भी प्रकार की खराबी आने पर इसकी मुरम्मत नहीं की जा सकती है। इसलिए यह कार्य तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है।

निर्णय:–बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सम्बन्धित सदस्य से भूमि मालिकों से Gift Deeds ले कर विभाग को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। बैठक में माननीय सदस्यों ने अवगत करवाया कि Gift Deeds दे दी गई है। विभाग द्वारा कार्य शुरू कर दिया जाएगा । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

13. **त्यारी से कल्लाह बस योग्य सड़क के कार्य बारे।**

महोदय के ध्यान में लाया जाता है कि त्यारी से कल्लाह बस योग्य सड़क का कार्य तीन वर्षों से बन्द पड़ा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि लोक निर्माण विभाग को इसे जल्द से जल्द बनवाने के आदेश विभाग को जारी करें। इसके अन्तर्गत कल्लाह से मणीमहेश सच्चार योग्य सड़क का भी कार्य गत वर्षो से बन्द पड़ा है इसे भी अतिशीघ्र बनवाने की कृपा करें।

शुभकरण सिंह भरमौर चम्बा
लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :– इस सड़क की कुल लम्बाई 8.000 कि0मी0 है जिसमें 0/0 कि0मी0 से 4/0 कि0 मी0 तक बस योग्य सड़क बन चुकी है तथा कि0मी0 0/200 पर बस योग्य पुल का निर्माण जरूरी है जिसके लिए missing bridge PMGSY के अन्तर्गत revised DPR अधिशाषी अभियन्ता भरमौर मण्डल हि0प्र0 लो0नि0वि0 भरमौर द्वारा बनाई जा रही है तथा स्वीकृति के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जा रहे है। इस सड़क के निर्माण कार्य में वन भूमि आ रही है तथा जिसका मामला तैयार किया जा रहा है तथा शीघ्रतिशीघ्र यह स्वीकृति हेतु वन विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

निर्णयः– विभागीय उत्तर तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

14. **चिच्चम पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने बारे।**

ग्राम पंचायत किब्बर में किब्बर व चिच्चम को जोड़ने वाले पुल को शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों व ठेकेदारों को दिशा निर्देश दिए जाए।

दोरजे छोपेल काजा लाहौल स्पिति

लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :– इस पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा सब स्ट्रेक्चर का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा तथा सुपर स्ट्रेक्चर का कार्य अगले वित वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।

निर्णयः–बैठक में निर्णय लिया गया कि चिच्चम पुल के सब स्ट्रेक्चर का कार्य पूर्ण करने हेतु जन जातीय विकास विभाग द्वारा धन राशि चरणबद्व रूप से उपलब्ध करवाने का पर्यत्न करेगा। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

15. **अलवास–किलाड़ (सॅाच पास) सड़क को खोलने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने बारे।**

माननीय मुख्य मन्त्री जी, पांगी घाटी में अलवास किलाड सॅाच पास सडक सर्दियों में भारी बर्फ बारी के कारण बन्द हो जाती है तथा गर्मियों में इस सडक को खोलने के लिए कम से कम दो से तीन करोड़ धनराशि का खर्चा आता है जिससे पांगी क्षेत्र के लिए आबंटित जन–जातीय उप–योजना में धनराशि कम हो जाती है। मैं महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि इस सडक के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए जो कि जन–जातीय उप–योजना से अलग हो।

राम चरण राणा पांगी

लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :– अलवास किलाड सॅाच पास सडक की लम्बाई 67 किलोमीटर है तथा सर्दियों के मौसम में यह सडक भारी बर्फबारी के कारण बन्द हो जाती है। इस सडक पर लगभग 1 मीटर से 20 मीटर तक बर्फ को काट कर यातायात के लिए बहाल करना पडता है। सडक से बर्फ को हटाने के लिए लगभग 2 करोड राशि का खर्चा आता है जो कि जन जातीय उपयोजना में आंबटित धनराशि से नही होता है। अतः उक्त कार्य के लिए हर वर्ष लगभग 2 करोड रूपये का प्रावधान मुरम्मत के लिए आवश्यक है।

निर्णयः–चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि विभाग इस कार्य के लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। तदानुसार मद्द को समाप्त कर दिया गया।

16. **समदो ग्राम्फू रोड़ को समय पर खोलने बारे।**

सरकार से अनुरोध है कि समदो ग्राम्फू जो कि BRO के अधीन है उसे समय पर खोला जाए क्योंकि रोहतांग दर्रा मई माह में यातायात के लिए BRO द्वारा खोल दिया जाता है जबकि समदो गाम्फु सड़क को इस वर्ष जुलाई के अन्त में खोला गया। यह सड़क स्पिति वैली के लोगों की जीवन रेखा तो है ही परन्तु
सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

सोहन सिंह, काजा, लाहौल स्पिति
सीमा सड़क संगठन

विभागीय उत्तरः– Efforts will be made to open the road at the earliest during next year. At present extensive maintenance work has been carried out on the road and road is in good condition.

निर्णयः– इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 35 पर हो चुकी है । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

17. **लियो Bye pass खोलने बारे ।**

चौंगो–लियो Bye pass को शीघ्र अति शीघ्र खुलवाने की कृपा करें ताकि स्पिति के लोगों को सफर कम तय करना पड़े जिससे समय व धन की भी बचत होगी। अतः महोदय इसको खुलवाने का प्रयत्न करें।

दोरजे छोपेल, काजा लाहौल स्पिति
लोक निर्माण/सीमा सड़क संगठन

विभागीय उत्तर :–

लोक निर्माणः– लियो By pass सडक का कार्य **सन 2005–06 में शुरू** किया गया था। प्रारंभिक सर्वे के अनुसार इस सडक की कुल लम्बाई 10/070 कि0मी0 थी। इस सडक को बनाने के लिए 1981.73 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया था। इस सड़क का कार्य 8.200 कि0मी0 तक पूर्ण कर लिया गया है मगर विस्तृत सर्वे का कार्य निष्पादन के दौरान मे इस सडक की कुल लम्बाई 11/500 कि0मी0 पाई गई तथा इसको बनाने के लिए 2170 लाख रूपये की राशि खर्च कर ली गई है। बजट का प्रावधान न होने के कारण इस सडक का दोबारा 3194.10 लाख रूपये का प्राक्कलन बनाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय काजा को पुनः (Revised A/A& E/S) स्वीकृति के लिए भेजा गया था लेकिन इस सड़क में पैसे का प्रावधान न होने के कारण इस सडक का प्राक्कलन अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय काजा द्वारा अधिशासी अभियन्ता काजा मण्डल को वापिस भेज दिया गया है। अब इस सडक के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए नाबार्ड के तहत डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है।

सीमा सडक संगठन विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।

निर्णयः–चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए कि मामले का पुनः परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करें विभाग ने अवगत करवाया कि

नाबार्ड के अर्न्तगत कार्य करवाने हेतु **Tender** प्रकिया शीघ्र आरम्भ कर दी जाएगी। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

18. कहडू नाला–किलाड़–संसारी सड़क का सुधार व कार्य ग्रैफ द्वारा शुरू करवाने बारे।
माननीय मुख्य मन्त्री जी कहडू नाला से संसारी तक सड़क ग्रैफ अथोरिटी के अधीन है जिस पर अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं है और न ही सड़क का सुधार हुआ है जो निम्न प्रकार से है:–

(क) छोउ ढांक के पास ऊंचाई कम होने के कारण बड़ी गाड़ियां (एल0पी0) पुर्थी से किलाड नहीं आती है। गत वर्ष ग्रैफ द्वारा इस ढांक को काटने का प्रयास किया था परन्तु उसके बाद इस ढांक को नहीं काटा गया है। अतः छोउ ढांक को दुबारा से काटा जाये ताकि बड़ी गाड़ियां किलाड पंहुच सके।

(ख) चैरी बंगले के पास सॅाच जगह पर बने पुल की हालत ठीक नहीं है जो कि जगह – जगह से टूट गया है तथा गत वर्ष भी इस पुल पर गाड़ियां नहीं चल सकी थीं। अतः इस पुल की मुरम्मत या नया पुल बनाया जाये।

(ग) किलाड़ में ग्रैफ का कैम्प/डैट खोला जाये जिसमें मशीनें व तेल भण्डारण रखा जाये ताकि सर्दियों में किलाड से संसारी नाला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

(घ) केहडू नाला–किलाड़–संसारी सडक पर जगह–जगह पर गढ्ढे व सडक उबड़ खाबड होने के कारण गाड़ियां चलाना मुश्किल है । अतः इस का सुधार किया जाए। अतः माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस बारे में ग्रैफ अथोरिटी को उचित दिशा–निर्देश दें ताकि सडक का सुधार व कार्य शुरू किया जा सके।

राम चरण, राणा पांगी
सीमा सड़क संगठन

विभागीय उत्तर :– Under the said road stretch, improvement work between Km 86.00 and Km 96.00 already in progress and in balance stretch of the road, maintenance work in all respect are being carried out and all the point raised under this para are being addressed on priority during the maintenance of the road. Functioning of a dett. Is already, in operation at Killar and operation of another dett. In that area is not felt necessary.

निर्णयः–विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि **BRO** जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली सड़क जो हिमाचल के हिस्से में आती है, कि **Alignment** व **strengthing** को प्राथमिकता पर ठीक करेगा तथा किलाड़ तक **Single lane** पर **metaling** करने का भरपूर प्रयत्न करेगा।

19. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों को लागू करने बारे।
अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है पर यह धीमी गति से किया जा रहा है इसे

शीघ्रतिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। अर्थात अभी तक इस अधिनियम के प्रावधानो का किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचा है।

नवांग बौद्ध लाहौल स्पिति
जनजातीय/पंचायती राज

विभागीय उत्तरः–
जन जातीय विकासः– अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 समस्त प्रदेश में लागू कर दिया गया है। जिसके लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति (SLMC) जिला स्तरीय समितियों (DLCs) उप मण्डल स्तरीय समितियों (SDLCs) का गठन कर लिया गया है।

पंचायती राजः–जनजातीय क्षेत्रों के 465 राजस्व गांवों में से 413 (89 प्रतिशत) गांवों में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समितियों (FRCs at village level) का गठन किया जा चुका है। परियोजना क्षेत्र–वार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

परियोजना क्षेत्र	राजस्व गांवों की संख्या	राजस्व गांवों की संख्या जहां वन अधिकार समितियों का गठन कर लिया गया है ।
किन्नौर	139	104
लाहौल	100	100
स्पिति	77	77
पांगी	53	53
भरमौर	96	79
कुल योग	**465**	**413**

ग्राम स्तर पर शेष वनाधिकार समितियों के गठन व बैठक बारे पंचायती राज विभाग वस्तुस्थिति से बैठक मे अवगत करवाएगा ।
निर्णयः–चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

20. **जिला किन्नौर में कृषि विभाग द्वारा पॉली हॅाऊस न लगवाने बारे।**
जिला किन्नौर में कृषि विभाग द्वारा पिछले वर्ष से पॉली हॉऊस नहीं लगाए जा रहे हैं। इन्हें लगवाया जाए।

प्रीतम सिंह कोठी किन्नौर
कृषि विभाग

विभागीय उत्तर :– कृषि विभाग द्वारा डॉ0 वाई0 एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना (पॉली हॉउस) वर्ष 2014–15 से आरम्भ की गई है। अब तक 27 आवेदन पॉली हाउस निर्माण हेतु प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 12 किसानों को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रशिक्षण दे दिया गया है तथा शेष किसानों को जून,2015 में बागवानी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन में प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। पशिक्षण प्राप्त व प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को पॉली हॉउस निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा सेवा प्रदाताओं के साथ agreement हो चुका है। वर्ष 2015–16 मे 30 पॉली हॉउस 690 वर्ग0मी0 क्षेत्र पर स्थापित करने के लिए 12.88 लाख रूपये का प्रावधान किया है। अब तक जिला किन्नौर मे पॉली हॉउस निर्माण हेतु कुल

37.28 लाख रूपये का बजट आबंटित किया गया है। मौसम की अनुकूलता के अनुरूप कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा जो कि 2–3 मास में पूर्ण हो जाएगा।
निर्णयः–विस्तृत चर्चा एवं विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

21. लाहौल स्पिति में पौली हाउस का वर्गमीटर बढ़ाने बारे।
कृषि विभाग द्वारा जिला लाहौल स्पिति में पौली हाउस का जो निर्माण किया जाता है वह काफी छोटा है। इस को करीब सौ वर्ग मीटर तक बढ़ाया जाए और स्थानीय किसानों के परामर्श से विशेष आकार तैयार किया जाए।

नवांग बौद्ध लाहौल स्पिति
कृषि विभाग

विभागीय उत्तर :–कृषि विभाग द्वारा जिला लाहौल स्पिति में 40 वर्गमीटर आकार के पौली हॉउसों का निर्माण किया जाता है। इस क्षेत्र में 100 वर्गमीटर तक के पौली हॉउसों का निर्माण भी किया जा सकता है यदि किसान इसके लिए आवेदन करें। अब तक 6 वर्गमीटर की पौली टनल के लिए 251.40 वर्गमीटर के पौली हॉउस के लिए 291 तथा 100 वर्गमीटर के लिए केवल 1 ही आवेदन प्राप्त हुआ है। 30 पौली हॉउस निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा 10 पौली हॉउसों का निर्माण 400 वर्ग0मी0 क्षेत्र पर पूरा हो चुका है। किसानों की मांग को पूरा करने हेतु वर्ष 2014–15 के लिए 66.35 लाख रूपये बजट आबंटित किया गया है तथा वर्ष 2015–16 के लिए 50 पौली हॉउस 1320 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित करने के लिए 25.45 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया है। मौसम की अनुकूलता के अनुरूप कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा।
निर्णयः– बैठक में चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

22 किसानों एवं बागवानों को दी जाने वाली दवाईयों की किस्मों बारे।
बागवानी व कृषि विभाग द्वारा किसानों बागवानों को आबंटित की जा रही दवाईयां मानकों के अनुरूप नहीं है। अतः अच्छी किस्म की दवाईयां किसानों व बागवानों को दी जाएं। वर्तमान में इन विभागों द्वारा निम्न गुणवता की दवाईयां किसानो और बागवानों को दी जा रही है। यह मामला कई बार पहले भी उठाया गया है कि जब बाजार में अच्छी गुणवता की दवाईयां उपलब्ध है तो निम्न गुणवत्ता वाली दवाईयां क्यों वितरित की जा रही है।

जगत सिंह नेगी उपाध्यक्ष विधान सभा
उद्यान विभाग /कृषि विभाग

विभागीय उत्तर :–
उद्यानः– बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा फलों में लगने वाली बिमारियो व कीटों की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रकार की पौध संरक्षण दवाईयां प्रदेश के बागवानो को 50 प्रतिशत (स्थिर) अनुदान पर उपलब्ध करवाई जा रही है। विभाग द्वारा बागवानों को वही दवाईयां दी जाती है जो केन्द्रीय कीटनाशक अधिनियम, 1968 के मानको के अनुरूप विभिन्न कीट व व्याधियों की रोकथाम हेतु अनुमोदित है और विभाग व बागवानी विश्वविधालय,सोलन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई वार्षिक छिड़काव सारणी में सुझाई गई हैं। विभाग द्वारा इन दवाईयों को खरीदने से पहले इनकी गुणवत्ता की पूर्ण जांच भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से करवाई जाती है तथा वही दवाईयां बागवानों में वितरित की जाती है जिनकी गुणवता सही पाई जाती

है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रसिद्ध फर्मों से क्रय करके बागवानों में वितरित की जा रही कुछ दवाईयों की सूची निम्नलिखित है:–

क्र0स0	फर्म का नाम	दवाई का नाम
1.	बायर कॉप साईंसिस	एन्ट्राकाल,एलान्टो
2.	इन्डोफिल इण्डस्ट्रीज लि0	इन्डोफिल एम–45,इन्डोफिल जैड–78,यूरोफिल
3.	सिन्जेन्टा इंडिया लि0	स्कोर, क्यूकान–एल
4.	कोहिनूर इंडिया लि0	सिलेट,मैजेस्टिक
5.	रैलिज इंडिया लि0	कैपटॉफ, कन्टॉफ
6.	बयोस्टैड इंडिया लि0	रोको,मेडन
7.	यूनाईटिड फॉस्फोरस लि0	यूथेन एम–45
8.	एफ0एम0सी0 लि0	डरमेट
9.	कोरोमण्डल इन्टरनैशनल लि0	साईथियोन
10	एक्सल कॉप केयर लि0	गलाईसैल

कृषिः– कृषि विभाग कृषि विश्वविद्यालय द्वारा टैस्ट किए हुए व कृषि उद्योग निगम द्वारा जारी की गई दर संविदाओं (Rate Contract) के आधार पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कृषकों की मांग अनुसार ही पौध संरक्षण दवाईयां उपलब्ध करवाता है। विभाग इनकी खरीद से पूर्व इनके predespatch सैंपल लेकर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जांच प्रयोगशालाओं तथा विभाग की राज्य स्तरीय पेस्टीसाइड टैस्टिंग प्रयोगशाला से भी जांच सुनिश्चित करवाता है। जो सैंपल सभी मानकों पर सही पाए जाते हैं उसी batch की दवाईयां क्रय करके कृषकों की मांग अनुसार विभिन्न जिलों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। विभाग केवल generic दवाईयां ही उपलब्ध करवाता है जो गुणवत्ता में branded दवाईयों के बराबर होती है।

निर्णयः– बैठक में चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने विभाग को समय सीमा के भीतर पौध संरक्षण दवाईयों की आपुर्ति के निंदेश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

23 जन जातीय क्षेत्र भरमौर में कोल्ड स्टोर का निर्माण बारे।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर की लगभग 70% लोग सेब के कारोबार से जुडे हैं और अधिकतर भाग मे सेब की पैदावार हो रही है। जब फसल तैयार हो जाती है तो बागवानों को समय के अनुसार ठेकेदारों को या मण्डियो में न चाह कर भी माल बेचना पडता है और भरमौर की 29 पंचायतों में कही पर एक कोल्ड स्टोर का निर्माण हो जाए तो बागवान सेब के स्टोरेज करके समयानुसार मण्डियों में अधिक दाम पर बेच सकता है जिससे और बाकी रहते लोग भी इस व्यवसाय से जुड कर अपनी अजीविका सुदृढ कर सकते है।

भजन ठाकुर, भरमौर चम्बा

उद्यान विभाग

विभागीय उत्तर :– एच0पी0एम0सी0 द्वारा वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत जिला चम्बा के तीसा एवं भरमौर नामक स्थानों पर 1500 टन क्षमता प्रति इकाई के दो सी0ए0 स्टोर एवं पैक हाऊसों का निर्माण प्रस्तावित है।

निर्णयः– चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

24. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में 90 दिन **Muster-roll** पर श्रमिकों को लगाने बारे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में 90 दिन Muster-roll पर लगे श्रमिकों को Muster-roll के आधार पर ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए।

राम सिंह नेगी, रोपा किन्नौर

सिंचाई स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर :– इस क्षेत्र में बर्फबारी होने के कारण छः महीने ही काम होता है तथा कार्य पूर्ण होने पर व बर्फबारी होने पर इन श्रमिकों को काम से हटा दिया जाता है। पूह उपमण्डल में ऐसे 16 श्रमिक है जिनको कार्य अवधी (Working Season) में काम पर लगाया जाता है तथा बर्फबारी होने पर या कार्य बंद होने पर हटा दिया जाता है। काजा मण्डल के अन्तर्गत 235 श्रमिक हैं जिन्हें (Working Season) के दौरान कार्य पर लगाया जाता है तथा बाद में बर्फबारी होने के कारण इन्हें हटा दिया जाता है।

निर्णयः– अध्यक्ष महोदय ने विभाग द्वारा इस विषय का परीक्षण पश्चात उन्हें मामला विभागीय नस्ति पर प्रस्तुत करने के निदेश दिये। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

25. भरमौर में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य का मण्डल कार्यालय खोलने बारे।

भरमौर जन जातीय क्षेत्र आई0पी0एच0 मण्डल चम्बा के अन्तर्गत आता है। चम्बा मण्डल का क्षेत्र इतना बड़ा है, जिसकी एक सीमा चुराह क्षेत्र से जम्मू–कश्मीर राज्य को छूती है तो दूसरी भटियात क्षेत्र की ओर कांगडा जिला को वही भरमौर के कुगती की ओर लाहौल जिला को छूती है। चम्बा मण्डल का बड़ा आकार होने की वजह से भरमौर जन जातीय क्षेत्र में न तो सिंचाई स्कीमों की व्यवस्था हो पाई है और न ही दूर –दराज में पानी की स्कीमें ठीक से चल पा रही हैं तथा जो विकास विभाग द्वारा किया जाना था क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति से पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकता है। अतः भरमौर क्षेत्र में अधिशासी अभियन्ता आई0पी0एच0 का कार्यालय खोला जाना अनिवार्य है।

ताकि क्षेत्र के लोगों को विभाग की मूल–भूत सुविधाओं का पूर्ण लाभ मिल सके।

मजन ठाकुर, भरमौर चम्बा

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर – भरमौर में सिंचाई सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल के सृजन हेतु प्रस्ताव सरकार द्वारा दिनांक 23–07–2014 को अस्वीकार कर दिया गया है।

निर्णयः–चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

26. पूह गांव में सिंचाई एवं पेयजल की कमी को देखते हुए गौसुमा ऋषि दोगरी नामक स्थान से साईफन विधि द्वारा पानी लाने बारे।

पूह गांव में सिंचाई एवं पेयजल की कमी को देखते हुए गौसुमा ऋषि दोगरी नामक स्थान से साईफन विधि द्वारा पानी लाने के लिए पहले बैठक में सर्वे का हुकुम हुआ । अब विभाग और ग्रामीण दोनों का निरीक्षण हो चुका है कार्य को गति देने की कृपा करें।

प्रीतम चन्द नेगी पूह किन्नौर

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर –गौसुमा ऋषि दोगरी स्त्रोत से पूह गांव सिंचाई पेयजल योजना बनाने के

लिए अधिशाषी अभियन्ता द्वारा 04/07/2014 और 05/07/2014 को ग्राम पंचायत सदस्य सर्व श्री देव लोक्टस सोनम एवं सनडुप के साथ सर्वेक्षण किया गया था । यह स्त्रोत डुबलिंग पुल (NH-5) के बीस 20कि0 मी0 दूरी जोकि समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तथा इसी स्त्रोत पर आधारित ऋषि दोगरी कूहल 1991–92 में डी0डी0पी0 के अर्न्तगत निर्मित की गई थी। स्त्रोत के चारों तरफ गलेशियर पाईंट तथा स्त्रोत के धसने वाले क्षेत्र (Loose fragile Strata) होने के कारण सिंचाई नहीं हो रही है। ऋषि दोगरी स्त्रोत तकनीकि रूप से अव्यवहारिक पाये जाने के कारण पूह गांव के लिए पेयजल योजना अन्य Source तीतन खड्ड Power house की tailrace से योजना बनाने का कार्य out Source किया गया है। इसकी डी0पी0आर0 31 जनवरी 2015 तक बना दी जाएगी। पूह गांव को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य अभियन्ता (शिमला क्षेत्र) को पुनः सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिनाक 4 अक्तूबर,2014 को जारी कर दिये गये है। पूह गांव को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए टिंकु नाले से पानी उठाने के लिए स्थानीय निवासी एवं ग्राम पंचायत पूह से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है जैसे ही प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

निर्णयः– इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 45 पर हो चुकी है । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया

27. **सतलुज का जल स्तर घटने पर नदी का बहाव दूसरी तरफ मोड़ने बारे।**

पूह उपमण्डल में स्पीलो से वर्ष 2000 व 2005 में सतलुज नदी में आई बाढ़ व वर्ष 2010 में स्पीति के विभिन्न नालों में बादल फटने के कारण आई बाढ़ व वर्ष 2013 के जून माह में आई भारी बारिश एवं बर्फबारी के कारण सतलुज में अत्याधिक गाद भरन के कारण सतलुज नदी का जल स्तर लगभग 4–5 मीटर ऊंठ गया है जिसके कारण सतलुज नदी का बहाव स्पीलो की तरफ हो गया है तथा करला नाले से आगे भूमि कटाव हो रहा है जिसके कारण स्पीलो ग्राम पंटा मौहल्ला को खतरा हो गया है तथा आर्डम स्पीलो से लेकर ग्रैफ कैम्प व रूनारा एरिया तक भारी भूमि कटाव होने के कारण सेब, बादाम, खुमानी व अन्य फल पौधे तथा खेती नष्ट हो गई है। अगर इसी प्रकार भूमि कटाव व जल स्तर बढता रहा तो यहाँ के रिहाईशी मकानों को भी खतरा हो सकता है। अतः महोदय जी से निवेदन किया जाता है कि सतलुज का जल स्तर घटने पर नदी का बहाव दूसरी तरफ मोड़ा जावे व इसमें भर रेत व बजरी को भी निकाला जाए ताकि नदी का स्तर भी निम्न किया जा सके। करला नाले से रूनारा तक तटिकरण का कार्य केन्द्रीय आर0 सी0सी0 से किया जाये ताकि भूमि कटाव को रोका जा सके तथा भविष्य में होने वाले भारी नुकसान को भी रोका जा सके।

नरेश कुमार नेगी, स्पीलो किन्नौर

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

विभागीय उत्तर :– करला नाले के रूनारा तक नदी की लम्बाई लगभग 1.50 किलोमीटर है। यदि इसे नदी के किनारे ही Dumping किया जाए तो तेज बहाव के कारण यह कट कर दूसरी जगह बैठ जाएगा और वहां पर जल स्तर बढने का खतरा हो सकता है। जिसमें रेत और बजरी भरी होने के कारण सतलुज नदी का बैड लैवल उपर उठने के कारण सतलुज का जल स्तर उपर होने के कारण भूमि कटाव हो रहा है। जहां तक सतलुज से रेत व बजरी को निकालने का प्रश्न है, इसकी अनुमति खनन विभाग द्वारा की जानी है। तटीयकरण के बारे में निर्णय बैड लैवल नीचे हो जाने के उपरान्त ही लिया जा सकता है।

निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित विभाग को मामला उद्योग विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से उठाने तथा समस्या का निदान करने के निदेश दिये। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

28. पूह गांव में डीजल एवं पैट्रोल पम्प खोलने बारे।

जिला किन्नौर में रिकांगपिओ से काजा तक लगभग 230KM के बीच कोई भी डीजल एवं पैट्रोल पम्प न होने के कारण लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। अतःपूह गांव के N.H. पर पैट्रोल एवं डीजल पम्प अतिशीघ्र खोला जाए।

प्रीतम चन्द नेगी पूह किन्नौर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागीय उत्तर :— इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि पूह,जिला किन्नौर में डीजल एवं पैट्रोल पम्प खोलने बारे मामला भारतीय तेल निगम से उठाया गया था जिस बारे उनके द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का आवेदन प्रक्रिया में है एवं अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित जमीन का मुआइना कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त पूह विकास खण्ड के स्पीलो एन0एच0 22 जिला किन्नौर में भी पैट्रोल पम्प खोलने हेतु माह जुलाई 2014 में विज्ञापन जारी किए गए थे, परन्तु प्राप्त आवेदन अयोग्य (ineligible) पाये गये हैं।
निर्णयः— माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले में पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए । तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

29. LPG गैस का स्वीकृत कोटा पूरा सप्लाई करने बारे।

LPG गैस पिछले काफी दिनों से रेगुलर नहीं है। गोदाम खाली है। किसी भी गांव में पूरी सप्लाई नहीं हो रही है। जितना LPG का पूह डिपो में स्वीकृत कोटा है उतना नहीं आ रहा है। इस वजह से किसी भी गांव को गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है।

प्रीतम चन्द नेगी पूह किन्नौर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागीय उत्तर :— पूह क्षेत्र में गैस रिफिल की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। कभी—कभी स्त्रोत से गैस आपूर्ति बाधित होने तथा जिला की कठिन भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण राष्ट्रीय सम्पर्क मार्ग अवरूद्व हो जाता है,जिससे गैस रिफिल की आपूर्ति बाधित हो जाती है, परन्तु स्थिति सामान्य होने पर गैस की आपूर्ति उपभोक्ताओं को सुनिश्चित कर दी जाती है।
निर्णयः—बैठक में चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने पूह डिपो में LPG गैस की आपूर्ति स्वीकृत कोटा के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

30. जन जातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पुरानी पद्धति पर राशन उपलब्ध करवाया जाये।

जन जातीय क्षेत्रो में विशेषकर भरमौर, पांगी में वर्ष भर में एक फसल की पैदावार की जाती है। प्रति हैक्टयर पैदावार भी इतनी कम होती है कि गरीबों का गुजारा मुश्किल से होता है। सिंचाई की व्यवस्था न होने की वजह से भी कुदरत पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर समय पर वर्षा न हो तो अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इन सब बातों को मध्यनजर रखते हुए

जन–जातीय क्षेत्रों में राशन की पुरानी पद्धति बहाल की जाये इसमें दालों इत्यादि में कटौती करके आटा व चावल पूर्ण मात्रा में दिये जायें अन्यथा गरीब परिवारों का जीना मुश्किल हो जायेगा।

भजन ठाकुर, भरमौर चम्बा
खाद्य एवं आपूर्ति

विभागीय उत्तर :– जन जातीय क्षेत्रो में गैर जन–जातीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में जन जातीय क्षेत्रों के ए०पी०एल० उपभोक्ताओं को भी पहले की भांति 35 कि०ग्रा० राशन माह सितम्बर, 2014 से उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है जबकि बी०पी०एल० उपभोक्ताओं को भी 35 कि०ग्रा० खाद्यान माह दिसम्बर,2013 से मिलने आरम्भ हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्तोदय व अन्य पात्र प्राथमिक गृहस्थियों को एन०एफ०एस०ए०(NFSA) के प्रावधानानुसार ही सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

31. जन जातीय क्षेत्र भरमौर में स्कूलों के लिए कोयले के प्रबन्ध बारे।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर में सरकार द्वारा स्कूलों में कोयले का वितरण बन्द कर दिया है ताकि प्रदूषण से बचा जा सके लेकिन सरकार से अनुरोध है कि जन जातीय क्षेत्र भरमौर में सर्दी के दौरान बिजली की आपूर्ति बाधित रहती है जिस कारण बिजली वाले हीटर से प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को यह सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में सरकार ने LPG हीटर खरीदने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं लेकिन सीमित बजट होने के कारण स्कूलों में इतने ज्यादा LPG हीटर प्रदान नहीं किए जा सकते। अतः सरकार से अनुरोध है कि जन जातीय क्षेत्र भरमौर के लिए सर्दी के दौरान कोयले की खरीद के लिए अनुमति प्रदान करें ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो।

भजन ठाकुर, भरमौर चम्बा
जनजातीय विकास/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तर :–

प्रारम्भिक शिक्षाः–Hot and cold weather charges पर व्यय हेतु जन जातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ITDP योजना के अन्तर्गत बजट का आवटन किया जाता है। सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार करते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में चम्बा जिले के भरमौर क्षेत्र को जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मु0 12.00 लाख रूपये का बजट आवंटित किया गया है जिसमें से मु0 5.00 लाख रूपये प्राथमिक तथा मु0 7.00 लाख रूपये माध्यमिक पाठशालाओं के लिए आवंटित है। पाठशालाओं के लिए कोयला क्रय के मामले का निपटारा सम्बन्धित जिला के उपायुक्त/आवासीय आयुक्त द्वारा किया जाता है।

जनजातीय विकास :– सर्वप्रथम शिक्षा विभाग माननीय सदस्य के सुझाव पर उचित निर्णय ले। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से इस कार्य के लिए अतिरिक्त धन राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ । मांग संख्या 31 के अन्तर्गत एस०एस०ए०/आर०एम०एस०ए० में काफी धन राशि उपलब्ध है । अतः शिक्षा विभाग एस०एस०ए०/आर०एम०एस०ए० के अन्तर्गत इस कार्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि इस मद में प्रयोग करें ।

निर्णयः– विभागीय उत्तर एवं चर्चानुसार मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

32. **संस्कृत महाविद्यालय सुन्दरनगर में जन जातीय छात्रावास, में बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने बारे।**

संस्कृत महाविद्यालय सुन्दरनगर में जन जातीय छात्रावास का निर्माण हुआ है। इसमें जन जातीय बच्चे ठहर रहे हैं। उनके लिए एक चारपाई, टेबल व अलमारी का प्रावधान किया जाए जिसकी अनुमानित लागत लगभग दस लाख रूपये बनती है , उपलब्ध करवाने बारे।

प्रीतम सिंह कोठी किन्नौर
उच्च शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तर :– संस्कृत महाविद्यालय सुन्दरनगर ने दूरभाष द्वारा सूचित किया है कि फर्नीचर काकरी छात्रावास में माह अक्तूबर,2014 में उपलब्ध करवा दी गई हैं।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

33. **नवोदय विद्यालय लरी के भवन को शीघ्र पूर्ण करने बारे।**

नवोदय विद्यालय के नए भवन जो लरी में बन रहा है को शीघ्र पूर्ण करवाने की कृपा करें ताकि घाटी के बच्चे एक सुरक्षित व सुसज्जित भवन में शिक्षा ग्रहण कर सकें इसके लिए ठेकेदार को सख्त दिशा निर्देश दिए जाए।

दोरजे छोपेल काजा लाहौल स्पिति
उच्च शिक्षा/ लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :–

उच्च शिक्षाः– इस सम्बन्ध में उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा, लाहौल स्थित केलांग व स्पिति काजा, जिला लाहौल स्पिति, हि0प्र0 को पत्र दिनांक 05/09/2014 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिए गए है।

लोक निर्माण विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।

निर्णयः–लोक निमार्ण विभाग ने बैठक में अवगत करवाया कि उक्त कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण द्वारा किया जा रहा है । इसमें ठेकेदार के साथ झगड़ा होने के कारण कार्य अधूरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को इस मामले का विस्तृत परीक्षण कर CPWD से उठाने के निर्देश दिये। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

34. **Project Sr.Sec.School भावानगर को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लाने बारे।**

Project Sr.Sec.School भावानगर को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लाने बारे पिछली बार कांग्रेस सरकार ने ही कदम उठाया था परन्तु आज तक इसे शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा गया है। अतः इसे शीघ्र शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लाया जाए ताकि भावानगर के आस पास के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके।

जगदीश नेगी, निचार किन्नौर
उच्च शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तर :–इस सम्बन्ध में उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा किन्नौर को इस निदेशालय के पत्र दिनांक 26–09–2014 के द्वारा विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाने बारे लिखा गया है।

निर्णयः–अध्यक्ष महोदय द्वारा लम्बित प्रशासनिक मसलों के निदान पश्चात इस विषय में आवश्यक कार्यवाही के निदेश दिये। तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

35 **DPS School भावानगर का दर्जा बढ़ाने बारे।**

N.J.P.C. द्वारा संचालित DPS School काफी वर्षों से पांचवी कक्षा तक ही है स्थानीय लोगों की मांग है कि इसे कम से कम दसवीं तक किया जाए।

जगदीश नेगी निचार किन्नौर
उच्च शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तरः– इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा केवल 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पाठशाला के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है परन्तु सम्बन्धित पाठशाला से इस निदेशालय में 10वीं स्तर तक की पाठशाला के संचालन हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त नही हुआ है।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

36. **राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरवास, सेचू व पुर्थी में साईस अध्यापकों के पद व राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक पाठशला किलाड़ में डी0पी0ई0 के पद सृजित करने बारे।**

महोदय जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरवास, सेचू व पुर्थी में अभी तक भी साईस की कक्षाएं नही चलती हैं तथा इन स्कूलों को खुले हुए कम से कम 15 साल हो गये हैं। इन स्कूलों के बच्चों को साईस की पढ़ाई के लिए कम से कम 30 कि0 मी0 दूर किलाड़ आना पड़ता है या पांगी घाटी से बाहर चम्बा जाना पड़ता है। किलाड़ में डी0पी0ई0 का पद भी सृजित नहीं है जिससे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को शारीरिक शिक्षा के बारे में कोई भी जानकारी नही मिलती है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि इन स्कूलों में साईस अध्यापकों के पद व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ में डी0पी0ई0 का पद सृजित किये जायें।

राम चरण राणा पांगी
उच्च शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा

विभागीय उत्तर :–

उच्च शिक्षाः– सरकार द्वारा युक्तिकरण को वापिस ले लिया है तथा वर्तमान स्थिति को यथावत रखने के निर्देश दिए है। नए नियम बनाने की प्रकिया जारी है। जैसे ही नए नियम की प्रकिया सम्पन्न होगी वैसे ही पांगी विधान सभा क्षेत्र में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाली वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में साईस एवं कॉमर्स के पाठ्यक्रम आरम्भ करने की प्रकिया शुरू कर दी जाएगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ में डी0पी0ई0 के पद सृजित करने बारे मामला वित्त विभाग से उठाया गया था। वित्त विभाग द्वारा चाही गई सूचना निदेशक उच्चतर शिक्षा से अभी प्राप्त नही हुई है ।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।

निर्णयः–विभागीय उत्तर एवं चर्चा उपरान्त मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

37 **लाहौल के विभिन्न स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को S.M.C. के द्वारा भरने के लिए Permission के बारे।**

महोदय, लाहौल के सभी स्कूलों में लगभग 154 अध्यापकों सभी वर्ग (T.G.T & J.B.T teacters) के पद खाली पड़े होने के कारण छात्रों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

अतः महोदय आप से निवेदन है कि इन पदों को S.M.C. के द्वारा भरने की अनुमति दी जाए।

प्यारे लाल लाहौल स्पिति
उच्च शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा

विभागीय उत्तरः–
उच्च शिक्षाः– दिनांक 17–07–2012 में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश के सभी रिक्त पदों को उप शिक्षा निदेशक S.M.C द्वारा भर सकते हैं।
प्रारम्भिक शिक्षाः–विभाग द्वारा प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने हेतु छात्र अध्यापक मानकों के अनुसार युक्तिकरण प्रक्रिया (Rationalization) प्रारम्भ की गई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं में अधिशेष तौर पर कार्यरत अध्यापकों को अध्यापकों की कमी वाली पाठशालाओं में समायोजित कर रिक्त पदों को भरा जायेगा। जहां तक अध्यापकों के रिक्त पदों को S.M.C के माध्यम से भरने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में प्रस्तुत है कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 22–12–2014 को मनोरमा देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका में दिये गये आदेश के अनुसार मामला सरकार के साथ आगामी आदेशार्थ उठाया गया है। इस सन्दर्भ में सरकार से प्राप्त आदेश के उपरान्त ही प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए जायेंगे।
निर्णयः– इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 8 पर हो चुकी है । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया

38. रिकांगपिओ डिपो की एक बस वाया लुहरी–शिमला चलाने बारे।
रिकांगपिओ डिपो की एक बस वाया लुहरी–शिमला चलाने की कृपा करें।

प्रीतम चन्द नेगी, पूह किन्नौर
पथ परिवहन निगम

विभागीय उत्तर :– वर्तमान में लुहरी शिमला एवं वापसी के लिए निम्नलिखित बस सेवायें चलाई जा रही है जोकि वहा की जनता को परिवहन सुविधा प्रदान कर रही है:–

कम संख्या	रूट का नाम	समय	क्षेत्र
1	ज्यूरी– धर्मशाला	06.15	मण्डी
2	बागीपुल– कुल्लु	06.15	कुल्लू
3	रामपुर–आनी	07.15	रामपुर
4	रामपुर– रिवालसर	08.15	रामपुर
5	रिकांगपियो– मण्डी	09.30	सुन्दरनगर
6	रामपुर– आनी	09.30	रामपुर
7	रामपुर– कुल्लू	09.45	रामपुर
8	रामपुर– छातरी	12.30	रामपुर
9	रामपुर– करसोग	13.00	रामपुर
10	रामपुर –दलाश	14.00	रामपुर
11	सागला– मण्डी	16.00	मण्डी
12	रिकांगपियो– धर्मशाला	19.00	पियो

13	रिकांगपियो–धर्मशाला	20.00	पियो
14	रिकांगपियो –जामला	21.30	केलांग
15	रामपुर –आनी	17.15	श्रामपुर
16	आनी –कुल्लू वाया शिमला	06.15	कुल्लू
17	सराहन– शिमला	08.15	लोकल
18	कराणा –चण्डीगढ़	09.00	रामपुर
19	सिद्धधार– हरिद्वार	10.30	तारादेवी

अतः रिकांगपियो डिपू द्वारा बस वाया लूहरी निगम हित में नहीं है क्योंकि रिकांगपिओ डिपों प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है तथा अकसर सड़के अवरूद्व रहती है।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

39. स्पिति उपमण्डल में बस डिपो खोलने बारे।

स्पिति उपमण्डल में बस डिपो खुलवाने की कृपा करें ताकि यहां पर बस सुविधा अच्छी हो तथा लोगों को इसका लाभ मिल सके।

दोरजे छोपेल काजा लाहौल स्पिति
परिवहन

विभागीय उत्तर परिवहनः–वर्तमान में चलाए जा रहे रूटों को देखते हुए स्पिति उपमण्डल में बस डिपों खोलने की कोई आवश्यकता इस समय अनुभव नही की जा रही है। भविष्य में जब ऐसी आवश्यकता होगी तो डिपो खोलने पर विचार किया जाएगा।

निर्णयः बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निगम को काजा में उप डिपो खोलने के निर्देश दिए । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

40. H.R.T.C केलांग डिपो में चार मिनी बसें व टेक्नीकल स्टॉफ की कमी बारे।

महोदय केलांग डिपो के द्वारा लाहौल पांगी व प्रदेश के कई हिस्सों के लिए बसें चलाई जा रही हैं लेकिन लाहौल के कुछ गांव जैसे चोखंग ,नैनगाहर, भुजूड़, मयारनाला के लिए रोड की तंगी के कारण बडी बसें नहीं चलाई जा सकती हैं और इन रूटों के लिए मिनी बसे ही एक मात्र साधन है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि सम्बन्धित अधिकारियों को लाहौल केलांग डिपो के लिए 4 मिनी बसें भिजवाने के आदेश दिये जायें। इसके अतिरिक्त टेक्नीकल स्टॉफ की भी बहुत कमी है और इसे तुरन्त भरा जाए।

प्यारे लाल लाहौल स्पिति
परिवहन विभाग

विभागीय उत्तर :–वर्तमान में केलांग क्षेत्र के पास केवल एक मिनी बस है जिसे किलाड़ क्षेत्र में चलाया जा रहा है। जहां तक केलांग की जनता की मांग अन्य मार्गों पर मिनी बस चलाने बारे है, वर्तमान में मिनी बसों की उपलब्धता न होने के कारण मिनी बस चलाना सम्भव नहीं है। जैसे ही मिनी बसों की खरीद होगी तो इन पहाड़ी रास्तों पर मिनी बस चलाने की हर सम्भव कोशिश की जाएगी। केलांग में 22 तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध है जोकि 58 बसों के रख रखाव के लिए पर्याप्त है।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

41. **निगुलसरी में PHC खोलने बारे**
भावानगर से आगे चौंरा तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल नहीं है। यहां के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगुलसरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना जरूरी है।

जगदीश नेगी, निचार किन्नौर
स्वास्थ्य विभाग

विभागीय उत्तर :–प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की जनसंख्या मानकों के अनुसार नहीं है। यहां की कुल जनसंख्या 2500 है जबकि मानकोंके अनुसार जनसंख्या 20,000 होनी चाहिए। अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना सम्भव नहीं है ।
निर्णयः–बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य को उपरोक्त स्थान पर एलोपैथिक डिस्पैंसरी खोलने के आदेश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

42. **आवासीय आयुक्त,पांगी को विभागाध्यक्षो द्वारा सरकारी कार्य से सम्बन्धित प्रतिलिपि न भेजने बारे।**
माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी, पांगी घाटी में आपके द्वारा इकहरी प्रशासनिक प्रणाली 1986 में चलाई गई थी तथा पांगी में आवासीय आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। महोदय जी आवासीय आयुक्त, पांगी को विभागाध्यक्षों द्वारा जो भी नई नियुक्ति होती है, विभागाध्यक्षों द्वारा बजट आबंटन, स्थानांतरण इत्यादि की प्रतिलिपि पांगी को नही भेजी जाती है। अतः महोदय से अनुरोध है कि इस बारे में विभागाध्यक्षों को उचित निर्देश दें ताकि सरकार से सम्बन्धित कार्यों के बारे में प्रतिलिपि आवासीय आयुक्त पांगी को प्राप्त हो सके।

राम चरण राणा, पांगी
कार्मिक / जन जातीय विकास

विभागीय उत्तर :–
जन जातीय – इस सम्बन्ध में समस्त प्रशासनिक सचियों को इस विभाग ने दिनांक 30–01–2015 द्वारा अनुरोध किया गया है कि जन जातीय क्षेत्रों में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली (Single line Administration) वर्ष 1986 से लागू है जिसके फलस्वरूप उक्त क्षेत्रो में कार्यरत अधिकारियों को विभागाध्यक्षों की शक्तियां प्राप्त है। इसलिए जो भी सरकारी दिशा–निर्देश एवं अधिसूचनाएं समय–समय पर सरकार द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को प्रेषित की जाती है उसकी प्रतिलिपि जन जातीय क्षेत्रों में कार्यरत आवासीय आयुक्त/जिलाधीशों/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को भी प्रेषित करने बारे अनुरोध किया है ।
कार्मिक विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।
निर्णयः– निर्णय लिया गया कि कार्मिक विभाग भी इस विषय में सभी विभागों को निदेश जारी करेगा। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

43. **महालू नाला पावर हाउस फेस 2 की स्वीकृति बारे।**
माननीय मुख्य मन्त्री जी आपके कर कमलों द्वारा वर्ष 1995 मे महालू नाला पावर हाउस का उदघाटन किया गया था जिसकी क्षमता 300 कि0वा0 है। महोदय जी, इससे घाटी में विद्युत आपूर्ति पूरी नही हो रही है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि महालू नाला मे फेस 2 के

निर्माण की स्वीकृति देने की कृपा करें।

किशन चोपड़ा, पांगी
विद्युत एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं

विभागीय उत्तर :– हिमाचल प्रदेश सरकार के महालू नाला पर दो परियोजनाएं अप्पर महाल (9 मैगावाट) एवं लोअर महाल (8 मैगावाट) चिन्हित की हैं जिन्हें 31/10/2014 को Pre-Bid के लिए लगाया गया है।

निर्णयः– बैठक में विभाग ने अवगत करवाया कि उक्त कार्य की प्रगति संतोषजनक है तथा कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

44. **जिला किन्नौर में आगामी भूमिगत जल विद्युत परियोजनाओं पर पाबन्दी लगाने बारे।**
जिला किन्नौर में आगामी भूमिगत जल विद्युत परियोजनाओं पर पाबन्दी लगाने बारे तथा बैकल्पिक तरीके से जल विद्युत दोहन बारे विचार विमर्श किया जाए।

अमर चन्द,कल्पा, किन्नौर
विद्युत एवं बहुउदशीय परियाजनाएं विभाग/उर्जा

विभागीय उत्तर :–जिला किन्नौर मे आगामी भूमिगत जलविद्युत परियोजनाओं पर पाबंदी लगाने से समस्या का निवारण नहीं होगा। यदि निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाए तो पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव व नुकसान को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। जिसके सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण प्रभावों का विस्तृत आंकलन करने हेतु प्रदेश की सभी पांच मुख्य नदी क्षेत्रों का CEIA अध्ययन करने हेतु विभिन्न उच्च दर्जे की कम्पनियों/Consultancy Firm को Engage किया है। सतलुज नदी क्षेत्र का CEIA अध्ययन ICFRI & HFRI द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा सरकार रिपोर्ट मे दी गई विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु प्रयासरत है।

1 प्रत्येक जल विद्युत परियोजना में एक भूजल निगरानी प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है जो यह स्थापित कर सके कि सुरंग निर्माण का भूजल,जल स्त्रोतो और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पडेगा। इसके लिए अच्छी तरह से परिभाषित व नियमानुसार सुरंग कियान्वयन की आवश्यकता है।

II. हर पन विद्युत परियोजना के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई जाए जो नदी और झरनों के पूरा डाटा परियोजना निर्माण से पहले और बाद में एक लम्बी अवधी के लिए हो ताकि इसके प्रभावों को सही तरीके से आंकलित किया जाए।

III. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ब्लास्टिंग की वजह से भूसख्लन/स्लिप न आये और घरों व सामुदायिक सम्पति को नुकसान न हो। इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाए।

IV. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूकम्पी विशेषज्ञों और साईट तैयार करने वाले विशेषज्ञों के माप–दण्डों के निर्देशों का पनविद्युत उत्पादक कड़ाई से पालन करें।

V. अगर ब्लास्टिंग की जगह हम टी०बी०एम० का इस्तेमाल करें तो पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों व नुकसान को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। परन्तु जिला किन्नौर मे रेतिले पहाड़ होने के कारण इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल केवल कठोर पत्थर वाले पहाड़ पर ही किया जा सकता है।

निर्णयः–चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धि विभाग को आदेश दिए कि यह नीति गत मामला है इसे पुनः निरीक्षण करें । तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

45. पूह ब्लॉक के अकपा नामक स्थान पर स्थापित इनर लाईन चैक पोस्ट को डुबलिंग या चांगो शिफट करने बारे।

पूह ब्लाक के अकपा नामक स्थान पर जो इनर लाईन चैक पोस्ट स्थापित किया गया है उसे डुबालिंग या चांगो शिफट किया जाए क्योंकि जिन सुरक्षा कारणों से इस चैक पोस्ट को स्थापित किया गया है उसके लिए यह स्थान उचित नहीं है।

नरेश कुमार नेगी, स्पीलो किन्नौर
गृह विभाग

विभागीय उत्तर :-(a) In this connection, the comments from SP Kinnaur were sought. He has informed that as per letter dated 17-3-2011 of MHA, Foreign Division Govt. of India, "the part of Himachal Pradesh falling between the inner line and international border has been declared as a Protected Area under the Foreigners (Protected Area) Order 1958.No foreigner can enter or stay in the Protected Area of the state without obtaining a permit from the competent authority. However, foreign tourists in a group consisting of two or more persons, duly sponsored by a recognized travel agency in India with a pre-drawn itinerary,can be allowed to visit some places for 30 days, after obtaining a protected area permit from the competent authority".

(b) In view of these instructions and to ensure that no foreigner enters in the PAP areas without valid permit, an Inner Line Check Post has been established at Akpa.In case the existing check post situated at Akpa is shifted to Dubling bridge,then movement into the Protected Areas namely:-Pooh,Labrang,Shyso,Sunnam,Giabong,Taling,Ropa,Rushkulang, Kanam,Thangi. Lambar Kunu,Charang, Lippa, Asrang and Nesang will remain unchecked.

(c) In order to ensure that no foreigner enters the above PAP areas without valid permit, the existing Check Post at Akpa is the appropriate location.The movement of foreigners in the entire PAP area of Kinnaur district can easily be monitored from this check post.

(d) In order to promote rural tourism in district Kinnaur and to facilitate the movements of local people,if the present check Post is shifted to Dubling bridge, then the following issues would be required to be addressed:-

(i) Ammendment in PAP regime is to be done by deleting 13 villages from Protected Area under the Foreigners (Protected Area), Order 1958. However, some villages fall on the right bank of Satluj river and there is a

natural barrier of Satluj river between the international border and NH and other link roads connecting these villages.

(ii) Villages situated on the left bank of Satluj i.e Moorang, Gramang, Tobaring, Khokpa ,Shiling, Ruwang, Thangi and Lambar would also be required to be exclude from Protected Area.

(iii) For the remaining villages before Dubling bridge i.e Kunu, Charang and Nesang, ITBP has already been deployed in this area and the task of checking permits and keeping vigil upon the movement of foreigners can be entrusted to ITBP.

निर्णयः–बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गृह विभाग मामले का पुनः निरीक्षण कर तथा इस बारे प्रस्ताव मामला भारत सरकार से उठाए।

46. अग्निशमन केन्द्र किलाड़ में खोलने बारे।

माननीय मुख्यमन्त्री जी अभी तक किलाड में अग्निशमन केन्द्र नहीं है तथा यहां पर सितम्बर से लेकर दिसम्बर तक आग की काफी घटनाएं होती है जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान होता है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि पांगी में अग्निशमन केन्द्र खोलने की कृपा करे।

किशन चोपड़ा पांगी

गृह एवं अग्निशमन विभाग

विभागीय उत्तर :–फायर स्टेशन खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करना आवश्यक होता है । किलाड में अग्निशमन केन्द्र खोलने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट में कोई प्रावधान नहीं है । अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण न करने व वित्तीय अभाव के कारण इस समय में दमकल केन्द्र खोलना संभव नहीं है।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

47. जन जातीय क्षेत्र में Family Quarter की सुविधा बारे।

जन जातीय क्षेत्र में वर्ष 2011–2012 में Family Quarter की सुविधा थी लेकिन 2012–13 में यह सुविधा हटाई गई जिसे काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। जिस भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण जन जातीय क्षेत्र में होता है तो आवास न होने के कारण अधिकारी/कर्मचारी जन जातीय क्षेत्र में आने से इन्कार कर देता है और अपनी Adjustment कही और करवा लेता है जिससे जन जातीय क्षेत्र में रिक्त पदों की संख्या ज्यादा होती जा रही है। अतः सरकार से अनुरोध है कि जन जातीय क्षेत्र मे Family Quarter की सुविधा बहाल की जाए।

शुभकरण सिंह, भरमौर चम्बा

उपायुक्त.चम्बा/किन्नौर/लाहौल स्पिति

विभागीय उत्तर :–

आवासीय आयुक्त पांगीः–पांगी के मुख्यालय किलाड में इस समय जनरल पुल के टाईप–2 के आठ आवास है। इसके इलावा सभी विभागों के कर्मचारी रहते है इसके इलावा सभी विभागो के अपने अलग आवास बने है। जिसमें उनके विभाग के अधिकारी व कर्मचारी रहते हैं। वित्त वर्ष 2015–16 मे एक ट्रॉजिट आवास का निर्माण भी किया जाना है जिसमे सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रह सकते हैं।

जिलाधीश किन्नौरः– अतिरिक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला के कार्यालय के पत्र दिनांक 20 जनवरी,2015 द्वारा यह सुविधा बहाल कर दी गई है। उपायुक्त लाहौल एवं स्पिति वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएंगे।
निर्णयः–चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

48. दूरभाष केन्द्र किलाड़ की क्षमता बढ़ाने बारे।
माननीय मुख्यमन्त्री जी पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में जो दूरभाष केन्द्र है वह काफी कम क्षमता का है । इस बारे में आवासीय आयुक्त पांगी ने दूरसंचार निगम के मुख्य प्रबन्धक से इस मामले को उठाया था तथा मुख्य प्रबन्धक ने IRD की क्षमता 8MB से 32 MB करने के लिये भारत दूर संचार निगम लिमिटिड कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली को खरीदने के लिए दिनांक 29–04–2014 को पत्र भेजा था परन्तु अभी तक भी यह मशीनरी पांगी के मुख्यालय किलाड़ में नहीं पहुंची है। जिस कारण पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में फोन करने में घण्टो लग जाते हैं तथा अधिकतर समय यह दूरभाष केन्द्र खराब रहता है। अतः महोदय जी से अनुरोध है कि किलाड़ मुख्यालय के दूरभाष केन्द्र की क्षमता को बढ़ाया जाये तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दें कि इस मशीनरी को जल्दी से जल्दी किलाड़ दूरभाष में स्थापित करें। ताकि आम जनता को समस्या का सामना ना करना पड़े।

किशन चोपड़ा पांगी
सामान्य प्रशासन/दूरसंचार

विभागीय उत्तर :
दूरसंचार :– दूरभाष केन्द्र किलाड में स्थापित आई0डी0 आर0 की वर्तमान क्षमता 8 एम0बी0 की है इसके लिए एक अतिरिक्त 8 एम0बी0 वाली क्षमता का आई0डी0आर0 स्वीकृत भी है। जन जातीय क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अगर जन जातीय निधि से सहायता और सैटेलाईट स्पैक्ट्रम शुल्क में छूट मिले तो जन जातीय क्षेत्रों को पर्याप्त क्षमता के सैटेलाईट उपकरणों से जोड़ा जा सकता है ।
सामान्य प्रशासन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।
निर्णयः– चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

49. पांगी घाटी के ग्राम प0 मिंधल व चलौली में स्थापित टावर कार्य न करने बारे।
माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी पिछले दो वर्ष पहले पांगी घाटी के मिन्धल व चलौली गांव में भारत संचार निगम लिमिटिड द्वारा टॉवर स्थापित किये गये हैं तथा आज तक भी यह टावर कार्य नहीं कर रहा है जबकि भारत संचार निगम लिमिटिड केन्द्र किलाड इन दोनो टावरों के बिजली के बिलों की अदायगी हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम किलाड को हर महीने दे रहा है। अतः महोदय जी से अनुरोध है कि इन दोनो टावरों को चलाया जाये ताकि पांगी घाटी की आठ पंचायतों को दूर–संचार मोबाईल की सुविधा मिल सके।

किशन चोपड़ा पांगी
सामान्य प्रशासन/दूरसंचार

विभागीय उत्तर
सामान्य प्रशासनः– चलौली बी0टी0 एस0 दिनांक 17–10–2014 व मिंधल बी0टी0एस0 ने दिनांक 18–10–2014 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।
दूरसंचार वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।
निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

50. लाहौल में दूरसंचार व्यवस्था के बारे।
महोदय लाहौल मे दूर संचार व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है पिछले चार महीनों से न तो मोबाईल काम कर रहे हैं और न ही इंटरनेट सुविधा काम कर रही है। इसकी वजह से सभी कार्यालयों में काम ठप पड़ जाते हैं और आम पब्लिक को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महोदय से निवेदन है कि सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे कर इसे तुरन्त ठीक करवाया जाये।

प्यारे लाल लाहौल स्पिति
सामान्य प्रशासन/दूरसंचार

विभागीय उत्तर :-
दूरसंचार :- लाहौल क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था के बारे में सूचित किया जाता है कि लाहौल घाटी में सड़क चौड़ी करने का कार्य चल रहा है जिस कारण प्रायः ओ0एफ0सी0 कट जाता है और ओ0एफ0सी0 रूट शीघ्र बहाल नहीं हो पाता है तथा बार-बार ओ0एफ0सी0 कटने व उसे पुनः जोड़ने से जगह-जगह जोड़ पड़ गये हैं जिस कारण सिग्निल स्थिर नहीं हो पाता इसके साथ- साथ हिमपात के दौरान यदि ओ0एफ0सी0 कट जाती है तो उसे पुनः जोड़ना अप्रैल-मई तक संभव नहीं होता है। दुर्गम जन जातीय क्षेत्रों के लिए सैटेलाईट माध्यम से संचार कनेक्टिवीटी सबसे सुदृढ़ माध्यम है। केलांग के लिए अतिरिक्त 8 एम0बी0 क्षमता वाला आई0डी0आर0 भी स्वीकृत है। जन जातीय क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अगर जन जातीय निधि से सहायता और सेटेलाईट स्पैक्ट्रम शुल्क मे छूट मिले तो जन जातीय क्षेत्रों को पर्याप्त क्षमता के सैटेलाईट उपकरणों से जोड़ा जा सकता है।
सामान्य प्रशासन विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।
निर्णयः- इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 40 पर हो चुकी है । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

51. खादी बोर्ड के द्वारा ऊन पिंजाई मशीन को पुनः चालू करने बारे।
खादी बोर्ड द्वारा ऊन पिंजाई मशीन जो काजा में बन्द पडी है को पुनः चालू किया जाए।

दोरजे छोपेल काजा लाहौल स्पिति
उद्योग

विभागीय उत्तर :-ऊन पिंजाई मशीन की मुरम्मत करवा ली गई है परन्तु वहां पर अभी तक स्थाई कर्मचारी की तैनाती नहीं हो पाई है। इसलिए इस केन्द्र का अतिरिक्त प्रभार ऊन पिंजाई केन्द्र पूह के प्रभारी को दिया गया है, जो समय-समय पर मौसम के अनुकूल रहने पर उक्त केन्द्र के लिए प्रवास करता है।
निर्णयः-माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग/बोर्ड को निर्देश दिए कि काजा में स्थाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

52. **Board of Director** में जन जातीय क्षेत्र के सदस्य नियुक्त करने बारे।
खादी बोर्ड और हथकरघा निगम से सम्बन्धित बौद्ध के लोग जो कार्य करते हैं उन्हें उक्त निगम के Board of Director मे किसी एक जन जातीय क्षेत्र से सदस्य नियुक्त किया जाए।

दोरजे छोपेल काजा लाहौल स्पिति
उद्योग

विभागीय उत्तर :–बोर्ड के निदेशक मण्डल के सदस्यों, निदेशकों का मनोयन प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम लिमिटिड के Board of Director में श्री उमेश नेगी को सदस्य नियुक्त किया है, जो जिला किन्नौर के वासी है।
निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

53. **खादी बोर्ड विक्रय केन्द्र को चालू रखने बारे।**
खादी बोर्ड विक्रय केन्द्र को चालू रखा जाए।

दोरजे छोपेल, काजा लाहौल स्पिति
उद्योग

विभागीय उत्तर :– बोर्ड के काजा स्थित विक्रय केन्द्र को चालू कर दिया गया है तथा ऊन पिंजाई मशीन की मुरम्मत भी करवा ली गई है, परन्तु वहां पर अभी तक स्थाई कर्मचारी की तैनाती नहीं हो पाई है। इसलिए इस केन्द्र का अतिरिक्त प्रभार ऊन पिंजाई केन्द्र पूह के प्रभारी को दिया गया है जो समय–समय पर मौसम के अनुकूल रहने पर उक्त केन्द्र के लिए प्रवास करता है।
निर्णयः– इस मद पर चर्चा मद संख्या 51 पर हो चुकी है । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

54. निचार पंचायत के सभी **landslides** का सर्वे **Geological Survey of India** से करवाने बारे।
निचार के दुनो, रांगों पल्यारिंग, राल्पा में अचानक दिसम्बर 2013 के बाद landslide होना शुरु हो गया है इसके कारणों का पता GSI से करवाया जाये।

जगदीश नेगी, निचार, किन्नौर
उद्योग विभाग

विभागीय उत्तर :– जिला किन्नौर के निचार उपमण्डल के दुनों क्षेत्र में भू–स्खलन बारे सर्वेक्षण करने हेतु जिलाधीश किन्नौर से अनुरोध प्राप्त हुआ है। विभाग के भू–वैज्ञानी शाखा द्वारा इस का निरीक्षण किया जा रहा है तथा सर्वे रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इस सर्वे रिपोर्ट को तैयार करने में लगभग एक माह का समय लगना संभावित है, तदोपरात इसे जिलाधीश किन्नौर को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाए ।
निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

55. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भरमौर के लिए स्टॉफ बारे।
जन जातीय क्षेत्र भरमौर में वर्ष 2000 में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की नियुक्ति की गई, लेकिन उनके लिए कोई भी स्टॉफ नहीं दिया गया। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भरमौर का कार्य परियोजना अधिकारी आई०टी०डी०पी० के कर्मचारी अपने कार्य के इलावा कर रहे हैं जिससे कि परियोजना से सम्बन्धित कार्यों में काफी परेशानी आ रही है। अतः सरकार से अनुरोध है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भरमौर के लिए स्टॉफ की नियुक्ति की जाए ताकि विकासात्मक कार्य सुचारू रूप से चलाये जा सकें।

भजन ठाकुर, भरमौर चम्बा
राजस्व

विभागीय उत्तर :– सम्बन्धित कार्यालयों से रिक्त पदों को भरने बारे प्रस्तावनाएं विभाग के पत्र दिनांक 17–10–2014 मांगी गई है, जैसे ही प्रस्तावनाएं प्राप्त होगी रिक्त पदों को भरने हेतु आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

निर्णयः–चर्चा उपरान्त मद को तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

56 **1998 तक स्वीकृत नौतोड़ कब्जा पट्टा दिया जाने बारे।**

1998 तक स्वीकृत नौतोड़ जिसमें प्रार्थियों द्वारा नजराना जमा किया जा चुका हैं और उस जगह पर स्थित वृक्षों का मुल्य जमा नहीं किया जा रहा है को कब्जा तथा पट्टा दिया जाए।

अमर चन्द, कल्पा, किन्नौर

राजस्व

विभागीय उत्तर :– उपायुक्त किन्नौर से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला किन्नौर में कुल 1028 स्वीकृत नौतोड़ प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लम्बित थे। इसके अतिरिक्त जिला किन्नौर में लम्बित सभी स्वीकृत नौतोड़ प्रकरणों में प्रधान सचिव(वन) की अधिसूचना दिनांक 17–07–2014 की अनुपालना में निपटाया जा रहा है।

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

57. **जन जातीय क्षेत्र भरमौर में पंचायत चुनाव बारे।**

महोदय 2015 में पंचायत चुनाव होने हैं जिस समय पंचायत के चुनाव होते है वे दिसम्बर माह के अन्त में होते हैं उस समय कई बार भारी हिमपात होता है और उन दिनों जनजाति क्षेत्र भरमौर के लोग भी उन दिनों 60 प्रतिशत के लगभग नीचे कांगड़ा क्षेत्र को चले जाते है और जो पंचायत के उम्मीदवार होते हैं वे लोगों को कांगड़ा से लाते है और काफी पैसा खर्च हो जाता है । अतः महोदय से निवेदन है कि जन जातीय क्षेत्र भरमौर में पंचायत चुनाव सितम्बर माह तक करवाने की कृपा करें ताकि सभी लोग अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सके व बर्फ की दहशत से बच सकें।

शुभकरण सिंह, भरमौर चम्बा

पंचायती राज

विभागीय उत्तर :– वर्ष 2015 में पंचायत के चुनाव जनजातीय क्षेत्र भरमौर में सितम्बर माह में करवाने बारे राज्य निर्वाचन आयोग से मामला उठाया जा रहा है।

निर्णयः–विभाग ने बैठक में अवगत करवाया कि निर्वाचन आयोग से जैसे ही तिथि सुनिश्चित होगी अवगत करवा दिया जाएगा। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

58. **हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जन–जाति वर्गों के लिए आरक्षण बारे।**

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जन–जाति वर्गों के निर्धारित 7.5% आरक्षण सभी क्षेत्र में पूर्ण दिए जाने बारे विचार व स्पष्ट नीति निर्धारण करने बारे। आरक्षित वर्गों के अभ्यार्थियों द्वारा सामान्य वर्ग के समकक्ष या अधिक अंक लेने की स्थिति मे उन्हे सामान्य वर्ग के तहत मान्यता (Consider) करने बारे विचार–विमर्श तथा अनुसूचित जन–जाति वर्ग का आरक्षण केवल उन्ही पात्र अभ्यार्थियों को देने बारे जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो।

राम सिंह नेगी, रोपा किन्नौर

कार्मिक विभाग

विभागीय उत्तर :– केन्द्र सरकार द्वारा श्रेणी –। व श्रेणी–।। के पदों/ सेवाओं में अनुसूचित जन जाति को सीधी भर्ती/पदोन्नति में प्रदान किए जा रहे 7.5 प्रतिशत आरक्षण के बराबर ही प्रदेश सरकार भी आरक्षण का लाभ प्रदान कर रही है। जबकि श्रेणी–।।। व श्रेणी–IV जिनमें नियुक्तियां/भर्तियां स्थानीय एवं क्षेत्रिय उम्मीदवारों से होती है, मैं भर्ती हेतु अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उनकी क्षेत्रिय जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्तमान में सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत तथा पदोन्नति में केन्द्र सरकार की नीति–अनुसार 7.5 प्रतिशत है। अतः अनुसूचित जन जाति के लोग इस आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में अरक्षित वर्गों के अभ्यार्थियों को सामान्य वर्ग के समकक्ष या अधिक अंक लेने की स्थिति में सामान्य वर्ग के तहत मान्यता का प्रश्न है, राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 20–09–1998, दिनांक 19.02.2000 और दिनांक 04.01.2000 द्वारा सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार/लोग जो अपनी योग्यता/उत्कृष्टता के आधार पर (बिना आरक्षण का लाभ लिए) चुने जाते हैं, की गणना नियुक्ति के प्रयोजन हेतु आरक्षित कोटे में नहीं की जाती है और उन्हें आरक्षित कोटे की अधिकता में अनारक्षित पदो के विरूद्व नियुक्त किया जाता है। परन्तु ऐसी स्थिति में भी नियुक्त उम्मीदवार आगामी पदोन्नति के पदों जहां पर आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है अपनी आरक्षित श्रेणी में आरक्षण के लाभ के पात्र रहेंगे। वर्तमान नीति के अनुसार जनजातीय क्षेत्र के समस्त मूल निवासियों को अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में निर्धारित आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है और अभी तक ऐसा कोई नितिगत निर्णय नहीं हुआ है जिसके अनुसार आरक्षण का लाभ अनुसूचित जनजाति के उन्ही लोगों को प्रदान किया जाए जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों।

निर्णयः–चर्चा एवं विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

59. **Out Source के माध्यम से रोजगार देने बारे।**

Out Source के माध्यम से रोजगार जो दिये जा रहे हैं उनका विज्ञापन व साक्षात्कार सम्बन्धित जन जातीय क्षेत्र मे किये जाने बारे तथा जन जातीय अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दिये जाने बारे विचार विमर्श किया जाए।

अमर चन्द,कल्पा किन्नौर
कार्मिक विभाग

विभागीय उत्तर :–कार्मिक विभाग द्वारा Out Source के माध्यम से रोजगार देने बारे कोई नीति नहीं है यद्यपि Out Source पर नियुक्तियां वित्त विभाग की नीति /सहमति से की जाती है। किसी भी सवर्ग के सेवा नियमों में Out Source पर नियुक्तियां प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नही है जिसके दृष्टिगत इस माध्यम द्वारा नियुक्तियों मे आरक्षण प्रदान करना व्यवहारिक नहीं है। अतः इस मद्द पर कार्मिक विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नही है।

निर्णयः–अध्यक्ष महोदय ने बैठक में निर्देश दिये कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में कार्य के मध्यनजर रखते हुए Out Source के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है अन्य विभाग भी आवश्यकतानुसार इसी प्रकार कार्यवाही करें। तदानुसार मद्द को समाप्त कर दिया गया।

60. **उदयपुर में खाद डिपो खोलने के बारे।**

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय लाहौल में एक ही खाद डिपो गोन्धला नामक स्थान पर ही स्थापित किया गया है जबकि उदयपुर ब्लॉक की 10 पंचायतों के लोगों को लगभग 100 कि0मी0 दूर आना पड़ता है और भारी भरकम कैरिज देना पड़ता है। अतः महोदय से निवेदन है कि खाद का एक डिपो उदयपुर में खोला जाए।

प्यारे लाल, लाहौल स्पिति
सहकारिता विभाग

विभागीय उत्तर :– इस सम्बन्ध में हिमफैड ने जिला लाहौल–स्पिति में गोन्धला में खाद का डिपो खोल रखा है तथा काजा में भी खाद का डिपो खोल रखा है। हिमफैड हिमाचल प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर खाद डिपो खोलती है। इसलिए संघ इस स्थिति में नहीं है कि हिमफैड खाद के डिपो हर स्थान पर खोल दें। इसके साथ–साथ आपका ध्यान इफको के वितरण के बारे में भी लाया जाना अति आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश मे इफको 40% खाद का वितरण राज्य में करती है। जोकि किसानों को एन0पी0के0 12:32:16 तथा यूरिया 46% खाद की आपूर्ति करती है। इफको ने हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना, हमीरपुर, कांगडा, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू तथा शिमला में सहकारी सभाओं को अपना सदस्य बनाया है उनके द्वारा किसानों को इफको के द्वारा भी खाद की आपूर्ति की जाती है । जिला लाहौल–स्पिति में किसानों की मांग एन0पी0के0 12:32:16 तथा यूरिया 46% है। इसलिए इफको के राज्य प्रवन्ध वितरण को निर्देश दिए जाए कि उदयपुर में कम से कम दो चार सहकारी सभाओं को अपना सदस्य बनाए ताकि उनके द्वारा किसानों को उपरोक्त खाद की आपूर्ति करें। एस0एस0पी0 16% तथा एम0ओ0पी0 60% खाद की आपूर्ति हिमफैड द्वारा उदयपुर में की जाएगी।

निर्णयः–माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को उदयपुर में खाद का सब डिपो खोलने के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

61. **ग्राम Lossar Spiti में Kangra Central Bank की शाखा खोलने बारे।**

निवेदन है कि उपरोक्त समस्त ग्रामवासी Lossar ने आपसे मांग की थी। Lossar,Chichong,Kholskar,Mundaskar,kyomo आदि गांव में सर्दियों में व वर्ष भर लेन देन की बडी समस्या रहती है उनकी सिर्फ आपसे यही मुख्य मांग है अतः जनहित में आपसे अनुरोध है कि Lossar गांव में Kangra Bank की शाखा /विस्तार पटल खुलवाने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

सोहन सिंह, काजा लाहौल स्पिति
वित्त /सहकारिता विभाग

विभागीय उत्तरः–

वित्त एवं सहकारिता विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएंगे।

निर्णयः–चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोसर में Kangra Central Bank की शाखा खोलने बारे पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए।

62. **जन जातीय उप–योजना के तहत बजट को चिन्हित (earmark) न करने बारे।**

पिछले कुछ वर्षों से जन जातीय उप–योजना के तहत बजट को चिन्हित (earmark) किया जा रहा है जिससे जन जातीय उप योजना का आकार घट रहा है जिसके

परिणामस्वरूप जन जातीय क्षेत्रों के विकास में काफी कमी आई है। BADP की राशि को TSP के 9% में जोड़ा जाना अनुचित है।

जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष विधान सभा

योजना

विभागीय उत्तर :– योजना आयोग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुपालना करते हुए तथा वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्य योजना की तीनों उप योजनाओं (सामान्य योजना,अनुसूचित जाति उप योजना तथा जन जातीय उप योजना) में समानुपातिक आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धनराशि का चिन्हांकन किया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास रहता है कि प्रदेश में चलाई जा रही अधिकतम स्कीमों एवं कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ जनजातीय क्षेत्रों को भी प्राप्त हो, इसी परिदृष्टि से जन जातीय उप योजना के तहत बजट को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हांकित राशि भी जनजातीय उप–योजना का ही भाग है व जन जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ही व्यय की जा रही है। अतः इस योजना के आकार में कोई कमी नहीं आई है। जहां तक BADP की राशि को जन जातीय उप – योजना से न जोड़ने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि यह राशि योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य के योजना आकार को निर्धारित करते समय चिन्हांकित की जाती है जो कि सकल योजना का भाग रहती है। यहां यह बताना भी उचित होगा कि केन्द्र सरकार से जो भी सहायता प्राप्त होती है चाहे वह सामान्य योजना के अन्तर्गत हो या फिर जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए इस सहायता राशि को सम्बन्धित योजना/ उप योजना का ही भाग माना जाता है।

निर्णयः–चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना विभाग यह प्रयत्न करेगा कि **Earmarked** राशि कम हो ताकि **ITDPs** को **Divisible Plan Outlay** अधिक मिल सके। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

विशेष आमन्त्रितों से प्राप्त मद्दें

(1) **RKMV में जन–जातीय छात्राओं की आवश्यकता अनुसार छात्रावास का निर्माण करने बारे**

RKMV में जन–जातीय छात्राओं की संख्या में बहुत वृद्दि हुई है। आवश्यकता अनुसार छात्रावास का निर्माण करवाया जाए।

सरोज नेगी, कल्पा, जिला किन्नौर
उच्च शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तर :– इस सम्बन्ध में प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय आर0के0एम0वी0 जिला शिमला को निदेशालय के पत्र दिनांक 01–10–2014 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिए गए है।

निर्णयः– बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने शिक्षा विभाग को मामले में उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(2) **महाविद्यालय भरमौर के लिए भवन, विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करना व छात्रावास का निर्माण करने बारे।**

जन जातीय क्षेत्र भरमौर में राजकीय महाविद्यालय वर्ष 2005 से कक्षाएं चल रही है जो कि पुराने तहसील भवन में स्थित है जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। इस समय महाविद्यालय में कला संकाय की कक्षाएं चल रही है परन्तु विज्ञान संकाय कक्षाएं अभी तक आरम्भ नहीं हुई जिस कारण विज्ञान के छात्रों को विज्ञान की पढाई के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र राजकीय महाविद्यालय भवन व छात्रावास का निर्माण आरम्भ किया जाए तथा विज्ञान संकाय की कक्षाएं भी आरम्भ की जाए।

सुमना देवी, भरमौर, जिला चम्बा
उच्च शिक्षा / लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :–

लोक निर्माणः– इस विषय के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय भरमौर के भवन के लिए कुल 880.00 लाख रूपये का प्रावधान है जिसमें विज्ञान की कक्षाओं का भी प्रावधान है। इसकी निविदाएं 3 बार आमंत्रित की गई। अब इसका टेंडर दिनांक 28–07–2014 को खुला है जिसमें एकमात्र टेंडर तीसरी कॉल में प्राप्त हुआ है। इस टेंडर के अवार्ड हेतु प्रकिया जारी है। जैसे ही इस टैंडर की स्वीकृति की प्रकिया पूरी होगी वैसे ही तुरन्त ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने हेतु अवार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसके इलावा वर्तमान में छात्रावास के भवन के निर्माण हेतु न तो उक्त विभाग द्वारा जगह उपलब्ध करवाई गई है और न ही इस वर्ष कोई बजट प्रावधान है।

उच्च शिक्षा विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णयः–चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(3) **जिला किन्नौर में BSNL, Airtel और Reliance के टॉवर लगवाने बारे।**

जिला किन्नौर में BSNL की Landline की सुविधा बिल्कुल न के बराबर है। Broad Band की सुविधा भी जिला मुख्यालय मे सुचारू रूप से नहीं चलती है तथा BSNL का टावर चागो ,नाको ,ज्ञाबूंग, कानम ,रारंग, पॉगी, टापरी, सगांग, भाबा वैली आदि गॉवो मे लगाया

जाये ताकि उक्त गॉवों को सही सुविधा उपलब्ध हो सकें और इसके साथ Airtel और Reliance को भी जिला किन्नौर में मोबाईल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आमन्त्रित किया जाना चाहिये ताकि समस्त जिला किन्नौर को मोबाईल Network से जोड़ा जाये।

सरोज नेगी, कल्पा जिला किन्नौर

सामान्य प्रशासन/दूरसंचार/सूचना एवं प्रौद्योगिकी

विभागीय उत्तर :–

दूरसंचार:– लैंड लाईन दूरभाष के बन्द होने का मूल कारण केबल चोरी एवं रोड़ कटिंग में ओ0एफ0सी0 का बार–बार खराब होना है किन्नौर में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 39 मोबाईल टावर लगाए गये हैं।

सामान्य प्रशासन/ सूचना एवं प्रौद्योगिकी :– एयर टेल एवं रिलाइंस की मोबाइल सुविधा के सुझाव बारे विभाग स्थिति से बैठक में अवगत करवाएंगें।

निर्णयः–बैठक में चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने सामान्य प्रशासन/ सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को एयर टेल एवं रिलाइंस की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे मामला Trai से उठाने का निर्देश दिया। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(4) काजा **BSNL Line** को ठीक करने बारे।

महोदय काजा में न तो land line Phone ठीक चलते हैं और न ही Internet चलता है। अतः BSNL अधिकारियों को आदेश दिए जाएं कि उक्त दोनो सेवाएं काजा में सुचारू रूप से चलाए जाए।

कु0 गतुक आंगमों, लाहौल स्पिति

सामान्य प्रशासन/दूरसंचार/विद्युत विभाग

विभागीय उत्तर सामान्य प्रशासन :–काजा में लैंडलाईन सेवा बिजली बोल्टेज की कमी के कारण बाधित रहती है जबकि काजा में इंटरनैट सेवा अक्तूबर, 2014 में शुरू की गई है और सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

विद्युतः–काजा के लिए विद्युत सप्लाई नाथपा से काजा 22 के0वी0 एच0टी0 लाईन द्वारा की जा रही है जिसकी लम्बाई लगभग 280 कि0मी0 होने के कारण बाल्टेज में कमी रहती है। 220/66/22 के0वी0 सब स्टेशन बोक्टू का कार्य जोकि प्रगति पर है, के पूर्ण होने पर बोल्टेज की कमी नहीं रहेगी। रौंगटौंग पॉवर हाऊस जोकि बन्द पड़ा है,के ठीक होने पर भी बोल्टेज में सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त यह सूचित करना उचित होगा कि अगर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लि0 की बोल्टेज प्र्याप्त नहीं होती तो बी0एस0एन0एल0 अपने तौर पर डी0 जी0 सैट का प्रावधान कर सकता है।

निर्णयः–चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने सामान्य प्रशासन विभाग को मामले की जांच करने तथा उचित स्तर पर मामला उठाने के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(5) भरमौर से ग्रीमा–सियूर–गच्छैतर के लिए परिवहन निगम की जीप उपलब्ध करवाने बारे।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर के भरमौर से ग्रीमा–सियूर–गच्छैतर सडक का निर्माण हो चुका है परन्तु यहा के लोग परिवहन सेवा की सुविधा से वंचित हैं जिस कारण उन्हें अपने जरूरी कार्य निपटाने हेतु आने –जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से

अनुरोध है कि भरमौर से ग्रीमा–सियूर–मच्छैतर तक परिवहन निगम की जीप सेवा को शीघ्र आरम्भ की जाए।

सुमना देवी, भरमौर, जिला चम्बा

परिवहन

विभागीय उत्तर :– अभी जीपों की अनुपलब्धता के कारण यहां जीप सेवा दे पाना सम्भव नहीं है। भविष्य में जैसे ही जीपों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा इन रूटों पर जीप सेवा प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

निर्णयः–विभाग ने बैठक में अवगत करवाया कि दो अतिरिक्त जापें उपलब्ध करवाई जा रही है। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(6) भरमौर होली के मध्य वन विभाग द्वारा लकड़ी (इमारती) का डिपू उपलब्ध करवाने बारे।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर में भरमौर से होली के मध्य वन विभाग का कोई भी इमारती लकड़ी का डिपू नहीं है जिस कारण लोगों को भरमौर या होली क्षेत्र के लिए आना पड़ता है जो कि काफी दूर पड़ता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि गरोला में वन विभाग का एक इमारती लकड़ी का डिपो उपलब्ध करवाया जाए।

सुमना देवी, भरमौर, जिला चम्बा

वन

विभागीय उत्तरः– हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इमारती लकडी वितरण नीति की अधिसूचना दिनांक 26-12- 2013 द्वारा अधिसूचित किया गया है। लोगों को उनके हक–हकूक के तहत टी0डी0 में इमारती लकडी उपलब्ध करवाई जा रही है इसलिए भरमौर से होली के मध्य वन विभाग द्वारा इमारती लकडी का डिपो खोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

निर्णयः– ऐसी मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 17–18 पर हो चुकी है । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

(7) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द गरोला के लिए ऐम्बूलैंस 108 की सुविधा प्रदान करने बारे।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर के गरोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द 108 की सुविधा से वंचित है। इस केन्द्र के अन्तर्गत गरोला,उल्लांसा व चन्हौता पंचायतें पड़ती हैं। यहां पर 108 की काफी जरूरत है क्योंकि भरमौर व होली से 108 को पंहुचने में समय लगता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि गरोला के लिए एक अलग 108 उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

सुमना देवी, भरमौर जिला चम्बा

स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर :–राष्ट्रीय ऐम्बूलैंस सेवा के अन्तर्गत विभाग के पास इस समय कोई भी अतिरिक्त वाहन अथवा ऐम्बूलैंस नहीं है । जिसे की गरोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द मे उपलब्ध करवाया जा सके । हालांकि जो ऐम्बूलैंस भरमौर मे उपलब्ध की गई है वह गरोला के आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहिया करवा रही है एवं करवाती रहेगी ।

निर्णयः–चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(8) **संगनम में चिकित्सक के रिक्त पद को भरने बारे।**

महोदय पिन बैली में एक मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा वहां पर पिछले एक वर्ष से चिकित्सक का पद खाली पड़ा है। अतः सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिए जाएं कि PHC में चिकित्सक व अन्य स्टॉफ की नियुक्ति शीघ्र की जाए।

कु0 गतुक आंगमो, लाहौल स्पिति
स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर :– वर्तमान में पीएचसी संगनम में कोई भी चिकित्सक कार्यरत नहीं है तथा प्रयास किया जा रहा है कि चिकित्सकों की कमी को पूरा करने बारे प्रत्येक मंगलवार को चिकित्सकों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं ताकि खाली पड़े चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ के पदों को भरा जा सके ।

निर्णयः–बैठक में अध्यक्ष महोदय ने चिकित्सक के रिक्त पद को नये चिकित्सक द्वारा भरने के आदेश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(9) **तंगती पुल के कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करने बारे।**

तंगती पुल के कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूरा किया जाए।

कु0 गतुक आंगमो, लाहौल स्पिति
लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :– इस पुल का कार्य 13वां वित आयोग के अधीन स्वीकृत है। इस पुल की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति अतिरिक्त जिला आयुक्त काजा के पत्र दिनांक 19–06–2007 द्वारा मूल्य 4.03 करोड़ की दी गई है। इस पुल के निर्माण के लिए छीदांग की ओर वाली एबॉटमैन्ट एवं एकॉरेज ब्लाक का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं तंगती पुल की ओर वाली ऐंबाटमैन्ट का कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है तथा एकॉरेज ब्लॉक का कार्य प्रगति पर है। अब शेष कार्य (Superstructure) के लिए 5.77 करोड़ रूपये की डी0पी0आर0 विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत नाबार्ड मद से बनाई है जिसे सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रमुख अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के पत्र दिनांक 09–10–2014 द्वारा भेज दी गई है।

निर्णयः– अध्यक्ष महोदय ने विभाग को पुल का कार्य शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(10) **तीन वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को बदलने बारे।**

तीन वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को बदलने पर अपने मन पसंद जगह पर तबादला किया जाए।

कु0 गतुक आंगमो, लाहौल स्पिति
कार्मिक

विभागीय उत्तर :–हिमाचल प्रदेश सरकार,कार्मिक विभाग ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 जुलाई, 2013 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरणों के नियम बारे " वृहद् मार्गदर्शी सिद्धान्त–2013" जारी किए हैं। इन सिद्धान्तों के पैरा 16.1 में कठिन / जनजातीय / दुर्गम / दूरस्थ क्षेत्रों में सामान्य अवधि पूर्ण करने पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को अपने स्थानांतरण हेतु एक से अधिक जिले में अपनी मनपसंद के 5 स्टेशनों के नाम देने के विकल्प बारे प्रावधान पहले से ही विद्यमान है। यथासंभव यह प्रयास किया जाता है कि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को उसकी पंसद के स्टेशनों के वर्ग में से किसी एक स्टेशन पर नियुक्त किया जाए जहां पर उसने पहले कार्य नहीं किया हो।

निर्णयः—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(11) **पिन बेली में पंजाब नैशनल बैंक खोलने बारे।**
पिन बेली में पंजाब नैशनल बैंक की शाखा खोली जाए।

कु0 गतुक आंगमों, लाहौल स्पिति
वित्त

विभागीय उत्तर विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।
निर्णयः— बिस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को पिन वैली में पंजाब नैशनल बैंक की शाखा खोलने बारे परीक्षण करने के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(12) **जमीन शीघ्र दिलवाने बारे।**
ग्राम गियू वासी की जमीन तबादला जो धार करजम्पा में 25.52.52 हेक्टर सरकार के विचाराधीन है को शीघ्र अति शीघ्र कर किसानों को जमीन दिलाई जाए।

कु0 गतुक आंगमों, लाहौल स्पिति
राजस्व

विभागीय उत्तर :— उपमण्डलाधिकारी(ना0) केलांग जिनके पास उपायुक्त लाहौल स्पिति के सहायक आयुक्त का भी कार्यभार है, से प्राप्त सूचना के अनुसार सम्बन्धित भूमि पर वन सरंक्षण अधिनियम 1980 लागू है व उपायुक्त द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति हेतु मामला वन विभाग के साथ उठाया गया है।
निर्णयः—बिस्तृत चर्चा के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने वन विभाग को मामले को Ministry of Environment and Forest के सम्बन्धित कार्यालय से व्यक्तिगत स्तर पर उठाने के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

भाग–3

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की अनुसूचित क्षेत्रों बारे वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2013–14 एवं 2014–12015 का अनुमोदन करने बारे ।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राज्यपाल की अनुसूचित क्षेत्रों बारे तैयार की गई वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 में भी अपना अनुमोदन देने की कृपा करें।

जन जातीय सलाहकार परिषद् द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों बारे वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2013–14 एवं 2014–2015 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

*****

जन जातीय सलाहकार परिषद् की 44वीं बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची।

क0स0	नाम	पद
1.	श्री वीरभद्र सिंह,माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।	अध्यक्ष
2.	श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, माननीय वन मन्त्री,हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
3.	श्री जगत सिंह नेगी, माननीय विधायक,किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
4.	श्री रवि ठाकुर, माननीय विधायक,लाहौल–स्पिति,हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
5.	श्री राम सिंह नेगी,अधिवक्ता गांव व डाकघर रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर।	सदस्य
6.	श्री प्रीतम सिंह नेगी,गांव डाकघर पूह,तहसील पूह,जिला किन्नौर।	सदस्य
7.	श्री जगदीश नेगी,गांव व डाकघर निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर।	सदस्य
8.	श्री अमर चन्द अधिवक्ता, गांव व डाकघर शोंदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर।	सदस्य
9.	श्री प्रीतम सिंह नेगी,गांव व डाकघर कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर।	सदस्य
10.	श्री नरेश नेगी, गांव व डाकघर स्पिलो, तहसील पूह, जिला किन्नौर।	सदस्य
11.	श्री नावांग बौद्ध, गांव शारखांग डाकघर खोकसर, तहसील केलांग, जिला लाहौल स्पिति।	सदस्य
12.	श्री प्यारे लाल, गांव व डाकघर टिण्डी, तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति।	सदस्य
13.	श्री सोहन सिंह, गांव व डाकघर काजा, तहसील स्पिति, जिला लाहौल स्पिति।	सदस्य
14.	श्री दोरजे छोपल, पूर्व प्रधान, गांव व डाकघर लारी, तहसील काजा, जिला लाहौल स्पिति।	सदस्य
15.	श्री किशन चन्द चौपड़ा, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत करयास गांव डाकघर करयास, तहसील किलाड़, जिला चम्बा	सदस्य
16.	श्री राम सरण, पूर्व अध्यक्ष ऊन संघ (woolfed) गांव व डाकघर किलाड़ ,तहसील किलाड़, (पांगी) जिला चम्बा।	सदस्य
17	श्री भजन सिंह ठाकुर ,गांव व डाकघर भरमौर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा।	सदस्य
18	श्री शुभ करण, गांव व डाकघर होली, उप तहसील होली, जिला चम्बा।	सदस्य

19	श्रीमति सुमना देवी,पत्नि श्री ओम राज, गांव व डाकघर सियुर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा हि0 प्र0।	विशेष आमन्त्रित
20	कुमारी सरोज नेगी, पूर्व अध्यक्षता, पंचायत समिति कल्पा, गांव व डाकघर, कल्पा, जिला किन्नौर हि0 प्र0।	विशेष आमन्त्रित
21	कु0 गतुक आंगमों पिन वैली, स्पिति, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।	विशेष आमन्त्रित
22	श्री वी0सी0 फारका,अतिरिक्त मुख्य सचिव (ज0जा0वि0) हि0 प्र0 सरकार।	सदस्य सचिव

*****

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0 शिमला——राजपत्र पी सी /2015-20-8 2015 140 पुस्तकें।